रिज़र्व बैंक आफ इंडिया

कार्य तथा कार्य-पद्धति

प्राक्कथन

कुछ समय पहले रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने अपने "कार्य तथा कार्य-पद्धति" पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। यह पुस्तक अंग्रेजी में थी। यह आवश्यकता अनुभव की गई कि इस राष्ट्रीय संस्था के कार्यो को, जिसका संबंध जनकल्याण से बहुत घनिष्ट है, अत्यधिक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। अतः रिज़र्व बैंक ने देश की विभिन्न मुख्य प्रादेशिक भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद को प्रकाशित करने का निश्चय किया। हिन्दी में यह अनुवाद प्रोफेसर पी सी मलहोत्रा ने किया है। प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद साधारणतया मुक्तरूप से किया गया है। इसलिये यह सम्भव है कि आंग्ल एवं प्रादेशिक भाषाओं के अनुवाद में कुछ विभिन्नता पैदा हो गई हो। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी निर्वचन को ही प्रमाणिक मानना अच्छा होगा।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया,
बम्बई,
जनवरी १९६२

एच व्ही आर. आयगर,
गवर्नर

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

(१)

भूमिका

बैंक की स्थापना

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना १ अप्रैल सन् १९३५ में हुई। यह इस प्रकार की सस्था को स्थापित करने के लगातार प्रयत्नो का फल था। केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता का सबसे पहला विवरण कदाचित् वारन हेस्टिंग्ज के सन् १७७३ ई. के सरकारी पत्र मे मिलता है जिसमें जनरल बैंक आफ बगाल और बिहार की स्थापना की सिफ़ारिश की गई थी। बाद मे इस सम्बन्ध पर समय समय पर विभिन्न सुझाव दिये गये परन्तु इस शताब्दी के दूसरे दशक सन् १९२० के पश्चात् ही इस सुझाव को एक निश्चित रूप दिया गया। केन्द्रीय बैंकिंग संस्था की अत्यधिक आवश्यकता को स्वीकार किया गया तथा जब १९२१ मे तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इपीरियल बैंक आफ इडिया की स्थापना की गई तो यह आशा की जाती थी कि यह सस्था सपूर्णत: केन्द्रीय बैंक का रूप ले लेगी। वास्तव मे, इपीरियल बैंक ने केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य किये भी, जैसे, सरकार के बैंकर का कार्य करना, यद्यपि नोट जारी करना केन्द्रीय सरकार का ही सीधा उत्तरदायित्व रहा। सन् १९२६ में भारतीय मुद्रा एव वित्तशाही आयोग ने (जो हिल्टन यँग कमीशन के नाम से विख्यात है) अनुभव किया कि वह आर्थिक प्रणाली जिसके अन्तर्गत मुद्रा वा साख पर दोहरा नियंत्रण था, जिसमें भारत सरकार तथा इपीरियल बैंक में उत्तरदायित्व बँटा हुआ था तथा जिसमें इन दोनों की नीतियो में भिन्नता होने की सभावना रहती थी, दोषपूर्ण थी ; इसलिये कमीशन ने चार्टर द्वारा, "उन तरीको पर जो तजुर्बे द्वारा ठीक साबित हो चुके थे" केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर एक प्रस्ताव विधान सभा में जनवरी सन् १९२७ को प्रस्तुत किया गया, परन्तु कई स्थल पार करने के पश्चात् सवैधानिक कारणो से आगे नही बढ सका। केन्द्रीय बैंक का प्रश्न सन् १९३३ में भारतीय सवैधानिक सुधारो के ऊपर व्हाइट पेपर के प्रकाशन के समय फिर महत्वपूर्ण हो गया। व्हाइट पेपर के ३२ वे अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय शासन मे ब्रिटेन द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपना, राजनैतिक प्रभाव से स्वतत्र रिज़र्व बैंक की स्थापना तथा उसके सफलतापूर्वक कार्य करने पर निर्भर बना दिया गया। इसने केन्द्रीय बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर दिया। फलतः ८ सितम्बर सन् १९३३ को भारतीय विधान सभा मे एक नया बिल पेश किया गया, जो कुछ समय के अनन्तर पास हो गया तथा उसको ६ मार्च सन् १९३४ को गवर्नर

जनरल की स्वीकृति मिल गई। बैंक ने अपना कार्य १ अप्रैल सन् १९३५ को प्रारभ कर दिया। बर्मा के भारत से पृथक होने तथा बाद में भारत के भारत सघ तथा पाकिस्तान में विभाजित होने एव सघ में देशी रियासतो के विलीनीकरण के कारण पिछले कुछ वर्षो में, रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र की सीमाओ में परिवर्तन हो गया। अप्रैल सन् १९३७ में बर्मा के पृथक होने के पश्चात् ५ जून सन् १९४२ तक रिजर्व बैंक आफ इडिया उस देश के मुद्रा-अधिकारी के कार्य तथा ३१ मार्च सन् १९४७ तक बर्मा सरकार के बैंकर का कार्य करता रहा। देश के विभाजन के पश्चात् ३० जून सन् १९४८ तक बैंक पाकिस्तान राज्य को अपनी बैंकिंग सेवाए देता रहा।

प्रारंभ में शेयर होल्डरों का बैंक

विदेशो के मुख्य केन्द्रीय बैंको के नमूने पर बैंक आरभ में शेयर होल्डरों का बैंक बना जिसकी कुल शेयर पूजी ५ करोड रुपये रखी गई, जिसे पाँच लाख के सौ सौ रुपयो के पूर्णतया शोधित शेयरो में बाटा गया। प्रारभ में कुल शेयर पूजी, सिवाय २,२०,००० रु के अभिहित मूल्य के शेयरो के, जिन्हे (प्रारभिक एक्ट* की धारा ४(८) के अतर्गत) केन्द्रीय सरकार को बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के डाइरेक्टरों के बीच उन लोगो को अल्पिष्ठ पात्रता (Minimum Qualifications) प्राप्त करने के लिए सममूल्य पर देने के लिये दिया गया, वैयक्तिक शेयर होल्डरो के पास थी। परन्तु बैंक के कार्य सार्वजनिक प्रकृति के होने के कारण, यह उचित समझा गया कि विधान में शेयर रखने तथा शेयर होल्डरो को दिये जाने वाले लाभाश की दर सबधी धाराए शामिल की जावे। इसी प्रकार एक्ट में बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यो की पात्रता के बारे में, जिनमें अधिकाश शेयर होल्डरो द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले थे, नियम बनाये गये। उनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस विषय में केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशोंपर विचार करने के पश्चात्, गवर्नर (Governor) तथा दो उप-गवर्नरो की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। सार्वजनिक हित की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को यदि उसकी राय में बोर्ड विधान द्वारा नियत दायित्व को पूरा नही कर रहा हो तो, केन्द्रीय बोर्ड को भग करने का भी अधिकार दिया गया।

राष्ट्रीयकरण

बैंक तथा सरकार की नीतियों में निकट अनुकूलन की आवश्यकता की दृष्टि से बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बार बार उठाया जाता रहा। परन्तु स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्, बदले हुए जनमत के वातावरण में ही बैंक के राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया गया। इस सम्बन्ध में यह लिखना उचित होगा कि युद्ध समाप्त

* जब तक इसके विपरीत न दिया गया हो, इस पूरे प्रकाशन में 'एक्ट' रिजर्व बैंक आफ इन्डिया एक्ट, १९३४ को लक्ष्य करता है।

होने के तुरत बाद कई युरोपीयन केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनमें बैंक आफ इग्लैंड तथा बैंक आफ फ्रास भी शामिल थे। इस प्रकार सन् १९४८ के रिज़र्व बैंक (राष्ट्रीयकरण) एक्ट के अनुसार, बैंक की कुल शेयर पूजी शेयर होल्डरो को हानिपूर्त्ति देकर (११८ रु. १० आने प्रति १०० रु. मूल्य दर से) केन्द्रीय सरकार द्वारा ले ली गई। निर्धारित तिथि १ जनवरी सन् १९४९ को भारत सरकार ने बैंक के सभी शेयर ले लिये तथा उस दिन से रिज़र्व बैंक ने एक राष्ट्रीकृत सस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। सन् १९४८ के एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को, बैंक के गवर्नर की सम्मति से, जनहित की दृष्टि मे, बैंक को आवश्यक आदेश देने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त बैंक के कार्य तथा उस की व्यवस्था मे कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ। एक्ट के अन्दर न्यूनतम सशोधन थे जो स्वामित्व के अंतरण के लिये तथा उसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों, जिनमें केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्डों के विधान मे परिवर्तन भी शामिल थे, आवश्यक थे। सशोधित एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय बोर्ड के सब संचालक जिनमें गवर्नर तथा उप-गवर्नर भी शामिल है, तथा स्थानीय बोर्डो के सब सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।

केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्ड

बैंक का सामान्य अधिक्षण तथा सचालन इस समय केंद्रीय सचालक बोर्ड के हाथ मे है। केन्द्रीय सचालक बोर्ड में १५ सदस्य है—गवर्नर तथा तीन उप-गवर्नर, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक्ट की ८ (१) (क) धारा के अन्तर्गत नियुक्त, चार सचालक (चारो स्थानीय बोर्डो में से प्रत्येक बोर्ड में से एक एक के हिसाब से), धारा (१) (ख) के अनुसार नियुक्त, ६ सचालक, धारा ८ (१) (ग) के अन्तर्गत तथा एक राजकीय अधिकारी, धारा ८ (१) (घ) के अन्तर्गत। धारा ८ (१) (ग) के अन्तर्गत नियुक्त हुए संचालक चार वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं तथा उनके बारी बारी से निवृत्त होने की व्यवस्था है, जब कि धारा ८ (१) (ख) के अन्तर्गत नियुक्त होनेवाले संचालको के पद की अवधि उनकी स्थानीय बोर्डो की सदस्यता पर निर्भर रहती है। केंद्रीय बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम ६ बार तथा हर तिमाही में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है। व्यावहारिक सरलता के दृष्टिकोण से बोर्ड ने एक्ट की धारा ५८ (२) के अन्तर्गत बनाये परिनियत नियमो द्वारा अपने कुछ कार्य एक कमेटी को सौंप दिए। इस कमेटी की बैठक बैंक के उस कार्यालय मे जहा उस समय गवर्नर बैंक के चालू कार्यों को देखने के लिये अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किये हुए उपस्थित हो, साधारणतया सप्ताह में एक बार होती है। देश के चार क्षेत्रो मे प्रत्येक के लिये एक-एक स्थानीय बोर्ड है जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में हैं। स्थानीय बोर्डो मे ५ सदस्य होते है जिनकी नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। जहा तक सभव होता है ये सदस्य क्षेत्रीय तथा आर्थिक स्वार्थों तथा सहकारी एव देशी बैंको के प्रतिनिधि होते हैं।

स्थानीय बोर्डों के कार्य हैं–उन मामलो पर जो साधारणतया व मुख्यतया उनके पास उनकी राय के लिये भेजे गये हो, परामर्श देना तथा उन कार्यों को करना जिन्हे केंद्रीय बोर्ड नियमो द्वारा उन्हे सौंपे ।

आंतरिक संघटन तथा व्यवस्था

केन्द्रीय सचालक बोर्ड का अध्यक्ष तथा उसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गवर्नर होता है (और उनकी अनुपस्थिति में उनका मनोनीत उप-गवर्नर)। गवर्नर को ऐसे नियमो की सीमा में जो गवर्नर के केन्द्रीय बोर्ड के बनाये नियमो के अन्तर्गत आती है बैंक सम्बन्धी सभी कार्य करने का अधिकार है–केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उन सब कार्यों के करने का अधिकार होता है जो बैंक द्वारा किये जा सके। गवर्नर के कार्य में सहायता देने के लिये तीन उप-गवर्नर हैं। इनमे से प्रत्येक के अधीन बैंक सम्बन्धी कार्य का निश्चित क्षेत्र दिया हुआ है। वर्तमान कार्य व्यवस्था के अनुसार एक उप-गवर्नर नोट प्रचालन, विनिमय नियत्रण, जनता के खातो, जमा खातो, खुले बाज़ार की लेन-देन, सार्वजनिक ऋण, तथा सचालन से सबधित आम कार्यों का उत्तरदायी होता है, दूसरा बैंकिंग के कार्यों का उत्तरदायी है तथा तीसरा उप-गवर्नर ग्रामीण साख, बैंकिंग के विकास तथा औद्योगिक वित्त की देखभाल करता है। गवर्नर तथा सभी उप-गवर्नर केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के समय से निर्धारित ५ वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहते है तथा उनकी पुन नियुक्ति हो सकती है। बैंकिंग, वैत्तिक, एव आर्थिक ज्ञान, अनुसधान तथा सलाह का कार्य बैंक के प्रधान सलाहकार के अधीन सघटित किया जाता है तथा इसे बैंक की समस्त कर्मात्मक प्रकार्यो से समग्र किया जाता है।

बैंक का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में है तथा इसमें मुख्य एकाउन्टेट के विभाग के अतिरिक्त, सचिव का विभाग तथा कानून विभाग, अनेक विशेषज्ञ विभाग जैसे कृषि साख विभाग, बैंकिंग क्रियाओ का विभाग, बैंकिंग विकास विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग, विनिमय नियत्रण विभाग तथा अनुसधान एव सांख्यिकी विभाग भी हैं। केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभाग बैंक की नीतियां निर्धारित करने में बैंक के व्यवस्थापकों की सहायता करते है तथा सरकार को वैत्तिक, बैंकिंग तथा आर्थिक मामलों पर सलाह देते है। इन विभागो के कार्यो का वर्णन नवे तथा दसवे परिच्छेदो में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

देशभर में बैंक के प्रकार्यो के सन्तोषजनक निष्पादन के लिये बैंक ने स्थानीय कार्यालय/शाखायें, जिनमें बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग हैं, बगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली में स्थापित कर रखी है। अन्य स्थानो में वह अपने एजेन्टो–स्टेट बैंक आफ इडिया, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद तथा बैंक आफ मैसूर–द्वारा प्रतिनिधित है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग की एक शाखा

लदन मे भी है। पिछले वर्षों में व्यापारिक बैंकों एवं सहकारी बैंको के कार्यों के निरीक्षण अथवा पर्यवेक्षण का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है तथा बैंकिंग क्रियाओ के विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय ऊपर लिखे हुए सब स्थानो मे (बंगलौर के अतिरिक्त) तथा त्रिवेन्द्रम मे स्थापित किये गये हैं। कृषि साख विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में स्थित हैं तथा विनिमय नियत्रण विभाग के कार्यालय इन तीनो स्थानों तथा कानपुर में हैं।

बैंक के मुख्य प्रकार्य

बैंक का प्राथमिक प्रकार्य, आर्थिक स्थायित्व का प्रवर्तन करने एवं सरकार की सामान्य आर्थिक नीति की सीमा मे अर्थव्यवस्था के विकास मे सहायक होने के उद्देश्य से, देश की मुद्रा प्रणाली का नियमन करना है। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, १९३४ की भूमिका के अनुसार बैंक का मुख्य प्रकार्य "बैंक नोटो के प्रचालन का नियमन करना तथा भारत में मुद्रा स्थायित्व स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारक्षण में रखना तथा मुद्रा अथवा साख प्रणाली का, देश के हित की दृष्टि से क्रियाकरण करना है।" मुद्रा कला-विन्यास (Mechanism) के नियमन में देश की चलन, मुद्रा, बैंकिंग तथा साख प्रणाली का नियंत्रण शामिल है। इस कार्य के लिये, बैंक को नोट प्रचालन करने का एकाधिकार दिया गया है तथा वह व्यापारी बैंकों तथा कुछ अन्य वैत्तिक सस्थाओ के, जिनमें राज्य सहकारी बैंक भी शामिल हैं, बैंकर का कार्य करता है, उनकी नकद निधिया अपनी रक्षा मे रखता है तथा उनको विवेकपूर्ण रीति से आर्थिक निभाव प्रदान करता है। साख के नियमन-कर्त्ता के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये बैंक के पास केवल साधारण साख नियत्रण के साधन जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियायें, तथा बैंक की निधि सबधित आवश्यकताओ को कम ज्यादा करने की शक्ति ही नही है वरन् उसको सन् १९४९ के बैंकिंग कपनीज़ एक्ट के अन्तर्गत विवेचनात्मक एव सीधे साख नियत्रण के विस्तृत अधिकार भी प्राप्त हैं। बैंक का एक और महत्वपूर्ण प्रकार्य जो शायद सबसे अधिक पुराना है, सरकार की बैंकिंग तथा वैत्तिक क्रियाओ का संचालन है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं कल्याण के एक दूसरे के ऊपर निकट रूप से आश्रित होने के कारण बैंक को रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर रखने मे महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। यह वास्तव में केन्द्रीय बैंक के आर्थिक तथा वैत्तिक स्थिरता बनाये रखने के विस्तृत उत्तरदायित्व का एक पहलू है। अब इस बात पर साधारणतया सब एक मत हैं कि बुनियादी तौर से आतरिक स्थिरता तथा बाह्य स्थिरता में परस्पर विरोध नही है तथा दोनों न्यूनाधिक रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कार्य को करने के लिये, रिज़र्व बैंक देश के अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षण की रक्षा तथा व्यवस्था करता है। सरकार द्वारा व्यापार नियत्रण के समनुरूप वह अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी तथा प्राप्त सम्बन्धी व्यवहार के ऊपर नियत्रण भी रखता है।

आर्थिक विकास के कार्यों को नया महत्व तथा प्रेरणा मिलने के कारण बैंक के प्रकार्यों का क्षेत्र लगातार विस्तृत होता जा रहा है। बैंक अब विभिन्न प्रकार के विकासनात्मक एवं प्रवर्तनात्मक प्रकार्य करता है जो पहले साधारणतया केन्द्रीय बैंकिंग के कार्यक्षेत्र से बाहर समझे जाते थे। परम्पराप्राप्त साख नियमन के अतिरिक्त बैंक के उत्तरदायित्व में, न केवल वाणिज्य एवं व्यापार वरन् कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त तथा उचित बैंकिंग प्रणाली का विकास करना भी शामिल है, जिनके लिये वित्त व्यवस्था के संस्थानात्मक (Institutional) प्रबन्ध बहुत मंद गति से विकसित हुए थे। यद्यपि कृषि साख की उपलब्धि के साधनों का विस्तार करना बैंक की स्थापना के समय से ही उसका परिनियत उत्तरदायित्व रहा है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति पिछले कुछ वर्षों में ही हुई है। बैंक ने औद्योगिक वित्त के साधनों के विकास के लिये भी कदम उठाया है। मुद्रा एवं साख का नियमनकर्त्ता तथा सरकार का बैंकर होने के कारण, सामान्यत आर्थिक मामलों पर तथा विशेषतः वैत्तिक समस्याओं पर सरकार के सलाहकार के रूप में बैंक के कर्त्तव्यों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

बैंक वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों की क्रियाओं, अदायगी शेष (Balance of Payments), कंपनी तथा सरकारी वित्त तथा ऋण-पत्र बाज़ार के आकड़े एकत्र करता है तथा उन पर आधारित सांख्यिकी एवं विश्लेषण अपनी पत्रिकाओं में नियत समय पर प्रकाशित करता है। बैंक प्रतिमाह एक विवरण पत्र (Bulletin) (साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट के साथ) तथा प्रतिवर्ष सामान्य आर्थिक, वैत्तिक तथा बैंकिंग संबंधी सूचना, जिनमें बैंक के कार्य तथा नीतियां, जैसे केन्द्रीय संचालकबोर्ड की रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रगति की प्रवृत्तियों की रिपोर्ट, भारत के सहकारी आंदोलन का निरूपण (दो वर्ष में एक बार) तथा मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पहली दो परिनियत रिपोर्ट हैं जिन्हें क्रमानुसार रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, सन् १९३४ की धारा ५३ (२) के तथा बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट, सन् १९४९ की धारा ३६(२) के अंतर्गत भारत सरकार को भेजना होता है।

इस प्रकार बैंक के कार्य विस्तृत तथा विभिन्न हैं, जो रूढ़िवादी केन्द्रीय बैंकिंग प्रकार्यों के ऊपर नये दृष्टिकोण के अध्यारोपण को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बैंक के कार्यों की विस्तृत व्याख्या तथा उन कठिन प्रकार्यों को पूरा करने के लिये आन्तरिक व्यवस्था के वर्णन की ओर बढ़ते हैं।

(२)

मुद्रा एवं साख का नियमन – १

सामान्य अवलोकन

रिज़र्व बैंक आफ इडिया का देश में नोट प्रचालन पर पूरा आधिपत्य है (एक रुपये के सिक्के, नोट तथा छोटे सिक्को के अतिरिक्त जिनकी मात्रा तुलना में कम है)। मुद्रा एव साख नीति के अन्तर्गत मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा के सभरण का नियमन करना है। अत्यधिक मानसिक प्रभाव द्वारा रिज़र्व बैंक की नीतिया, क्योकि वह देश के बदलते हुए आर्थिक दृष्टिकोण की सूचक होती है, प्राय देश की मौद्रिक एव आर्थिक प्रवृत्तियो पर प्रभाव डालती है। मुद्रा के सभरण पर औपचारिक नियत्रण होने के कारण, बैंक जनता में मुद्रा सभरण की मात्रा पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। बैंको द्वारा जमा राशि का निर्माण आधार रूप मे उनके नकद प्रारक्षण पर निर्भर करता है जिनका अतिम स्रोत भी रिज़र्व बैंक है। बैंक के पास मुद्रा सभरण को नियमन करने के अनेक साधन है जिनकी इन आगे आनेवाले परिच्छेदो में चर्चा की जाएगी। रिज़र्व बैंक आफ इडिया के पास नियमन के उपलब्ध साधनो मे से अनेक वे है जो साधारणतया केन्द्रीय बैंको के पास होते है; उनमें बैंक दर मे परिवर्तन, खुले बाज़ार की क्रियाए तथा अस्थिर प्रारक्षण आवश्यकताए (Variable Reserve Requirements) शामिल है। यह साधन सीधे साख के आधार (Credit Base) पर प्रभाव डालकर अथवा रिज़र्व बैंक के निभाव की उपलब्धि एव मूल्य में रद्दोबदल करके प्रयोग में लाए जाते है। इसके अतिरिक्त बैंक को बैंकिग कपनीज एक्ट, १९४९, के अन्तर्गत बैंकिग प्रणाली के सीधे एव विवेचनात्मक नियमन के विस्तृत अधिकार प्राप्त है। परन्तु यह कहना ठीक होगा कि व्यवहार में मुद्रा सभरण पूर्णतया या अधिकाश मात्रा मे भी बैंक के नियत्रण मे नही है। यह अधिक मात्रा में सरकार के बजट सबधी कार्यो द्वारा, जिन पर बैंक का बिलकुल नियत्रण नही है, प्रभावित होता है यद्यपि इस विषय मे सरकार को परामर्श देने के अवसर बैंक को प्राप्त है। कुल मुद्रा सभरण को निश्चित करने में देश के अतर्राष्ट्रीय सौदो का भी हाथ है। मुख्यत. कुल मिला कर सरकार की आर्थिक नीति का विस्तृत ढाचा केन्द्रीय बैंक की अपनी नीतियो की अपेक्षा, सामान्य मौद्रिक स्थिति का नियमन करने मे अधिक महत्व रखता है, विशेषतया क्योकि बैंक

द्वारा सरकार को साख देने की कोई परिनियत सीमा नही है। इससे मौद्रिक स्थिरता बनाये रखने के बैंक के उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करने मे सरकार के सहयोग की आवश्यकता प्रगट होती है।

इस सामान्य अवलोकन के पश्चात् हम मुद्रा एव साख के विस्तृत विवरण की ओर अग्रसर होते है। इस परिच्छेद में हम बैंक के मुद्रा प्रचालन संबधित परिनियत आवश्यकताओ तथा प्रशासन सबधी व्यवस्थाओ का पर्यायावलोकन करेंगे। अगला परिच्छेद रिजर्व बैंक द्वारा साख नियमन के विषय में है।

नोट प्रचालन से संबंधित परिनियत प्रावधान

रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट के अनुसार, बैंक के नोट प्रचालन तथा सामान्य बैंकिंग से संबधित कार्य दो अलग विभागो—प्रचालन तथा बैंकिंग—द्वारा किये जाते हैं। प्रचालन विभाग की परिसपत्ति जो नोट प्रचालन की साहाय्य होती है, बैंकिंग विभाग की परिसपत्ति से बिलकुल अलग रखी जाती है। परन्तु व्यवहार में इस भेद का आर्थिक महत्व बहुत कम है।

जनता मे नोटो का वास्तविक प्रचालन तथा उनको सचलन (Circulation) से वापस लेने के कार्य बैंक के बैंकिंग विभाग द्वारा किए जाते है। प्रचालन विभाग नोटप्रचालन अथवा ग्रहण केवल अन्य बैंको के नोटो, या विधान द्वारा बैंक की परिसपत्ति बनने के लिए स्वीकृत मुद्रा, स्वर्ण तथा ऋणपत्रो के बदले में ही करता है। एक्ट की धारा ३३ के अनुसार बैंक की परिसपत्ति में जिसकी पुष्टि पर वह नोट जारी कर सकता है, निम्नलिखित होने चाहिए—जैसे स्वर्णमुद्रा, स्वर्ण, विदेशी ऋणपत्र तथा रुपये के सिक्के, भारत सरकार के रुपयो के ऋणपत्र एव इस प्रकार के विनिमय बिल तथा भारत में भुगतान होनेवाले रुक्के जो बैंक द्वारा खरीदे जाने के लिए ग्रहणीय हो। व्यवहार में इस प्रकार के बिल तथा रुक्के, उचित् बिल बाज़ार के न होने के कारण बैंक की परिसपत्ति के अग नही हो पाये थे। मूल एक्ट में नोट प्रचालन के साहाय्य के लिये सोने अथवा विदेशी ऋणपत्रों के अनुपातिक प्रारक्षण का निर्देशन था, जिसके अनुसार कुल सपत्ति में कम से कम ४० प्रतिशत भाग स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण तथा विदेशी ऋणपत्रो का होना चाहिये था, इस बधेज के साथ ही स्वर्ण मुद्रा तथा स्वर्ण किसी भी समय ४० करोड रुपये के मूल्य से कम के नही होने चाहिये। बीस वर्ष से अधिक समय तक यह अपेक्षा नही बदली। नोट प्रचालन को विदेशी प्रारक्षणो से सम्बद्ध करने का सिद्धान्त एक प्रकार से उस समय से चला आ रहा है जब अतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान (Gold Standard) प्रचलित था। दूसरी ओर युद्ध काल में तथा युद्ध के बाद के वर्षों में केन्द्रीय बैंकिंग विधानो की सामान्य प्रवृत्ति विदेशी प्रारक्षणों को नोट प्रचालन से पृथक करने की रही। यह ससार भर में स्वीकार कर लिया गया है कि

विदेशी विनिमय प्रारक्षण का मुख्य उद्देश्य देश को अदायगी शेष की प्रतिकूल अवस्था पर काबू पाने योग्य बनाना है। भारत में विकास योजनाओं द्वारा दिये जानेवाले प्रोत्साहन के फलस्वरूप आर्थिक क्रियाओं में द्रुतप्रगति तथा अर्थव्यवस्था के द्रव्य पर आधारित क्षेत्र (Monetised Sector) के विकसित होने के कारण मुद्रा में अत्यधिक प्रसार की आवश्यकता पड़ी है। योजना के अर्थ-प्रबंधन के लिये भी बेंक के विदेशी प्रारक्षण की भारी माग आवश्यक हुई। इन परिस्थितियों की उत्पत्ति की पहले से आशा होने के कारण, सन् १९५६ के रिजर्व बेंक आफ इडिया (सशोधन) एक्ट में, जो ६ अक्टूबर सन् १९५६ से लागू हुआ अनुपातिक प्रारक्षण प्रणाली (Proportional Reserve System) के स्थान पर केवल न्यूनतम मात्रा में विदेशी प्रारक्षण, ४०० करोड़ रुपये विदेशी ऋणपत्रो में, तथा ११५ करोड रुपये स्वर्ण मुद्रा तथा स्वर्ण में, अथवा कुल मिला कर ५१५ करोड़ रुपये, की व्यवस्था की गई। साथ ही, जहा ६ अक्टूबर सन् १९५६ से पूर्व बैंक के स्वर्ण का मूल्य ८.४७५१२ ग्रेन प्रति रुपये या २१.२४ रु. प्रति तोले* की दर से निर्धारित होता था, सशोधित एक्ट मे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा निश्चित अधिकारीय समान मूल्य (Official Parity Price), अर्थात् २.८८ ग्रेन शुद्ध सोना प्रति रुपये या ६२.५० रु. प्रति तोला की दर से पुनर्मूल्याकन की व्यवस्था की गई। यह परिवर्तन पूर्णतया औपचारिक था तथा इसका उद्देश्य अधिकारीय समान मूल की दर से बेंक के स्वर्ण भडार का मूल्याकन करना था। इसके फलस्वरूप, स्वर्ण के मूल्यांकन के साथ साथ, स्वर्ण के रूप में रखे जानेवाले न्यूनतम प्रारक्षण की मात्रा ४० करोड रुपये के स्थान पर ११५ करोड़ रुपये स्थिर की गई। परिसपत्ति के संघारण सबधित व्यवस्था में, ३१ अक्टूबर सन् १९५७ को, एक अध्यादेश द्वारा, जिसका नाम "रिजर्व बैंक आफ इंडिया (सशोधन) अध्यादेश १९५७" था, तथा जिसका रिजर्व बैंक आफ इडिया (द्वितीय सशोधन) एक्ट, १९५७ ने स्थान ले लिया, पुन परिवर्तन किया गया। इस एक्ट में निर्देशन था कि प्रचालन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण एवं विदेशी ऋणपत्र कुल मिलाकर किसी समय २०० करोड रुपये के मूल्य से कम के नही होने चाहिये; इसमें से स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) ११५ करोड रुपये से कम नही होना चाहिये था अर्थात् उतना ही जितना अध्यादेश के जारी होने से पूर्व था।

जैसा अन्य केन्द्रीय बेंक के परिनियमों में है पहिले से पता न चलनेवाली विकट परिस्थितियो का सामना करने के लिये विदेशी विनिमय निधि से सबधित नियमो को स्थगित करने की व्यवस्था भी रखी गई है। १९५७ के द्वितीय सशोधन एक्ट के अतर्गत रिजर्व बैंक को अधिकार है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर, विदेशी ऋणपत्रो को अपने पास बिलकुल न रखे, परतु उसके पास ११५ करोड रुपये का स्वर्ण होना आवश्यक है।

---

* एक तोला एक आऊंस का ३।८ भाग है।

नोट प्रचालन संबंधित प्रशासन प्रबंध :

नकदी तिजोरियां (Currency Chests)

सरकार के व्यवहार तथा बैंको एव जनता की विनिमय तथा मुद्रा प्रेषण सबधी आवश्यकताओ को सहल करने के लिये पर्याप्त मात्रा मे मुद्रा के संभरण के लिये रिजर्व बैंक उत्तरदायी है। बैंकिंग विभाग को नोट जारी करने के अतिरिक्त बैंक का प्रचालन विभाग, जनता को मागने पर नोटो के बदले रुपये के सिक्के तथा सिक्को के बदले नोट देता है। इन प्रकार्यो को पूरा करने के लिये बैंक ने विस्तृत प्रशासन प्रबध किये हैं। वर्तमान समय में बैंक के प्रचालन विभाग के सात कार्यालय बगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली व दो उप-कार्यालय गोहाटी तथा हैदरावाद मे, तथा नकदी तिजोरिया (१) उसके अभिकर्ताओ अर्थात् स्टेट बैंक आफ इडिया, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद तथा बैंक आफ मैसूर की शाखाओ के पास, तथा (२) राज्य-कोषो तथा उप-राज्य-कोषो में जहा बैंक के अभिकर्ताओ की शाखा की अनुपस्थिति में राजकीय कार्य होता है, स्थापित है। नकदी तिजोरियो की सख्या लगभग १,३०० है तथा वे देश के सभी प्रमुख केन्द्रो में हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने विभिन्न स्थानो पर अपने अभिकर्ताओ (अर्थात् स्टेट बैंक आफ इडिया, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद तथा बैंक आफ मैसूर) की प्रार्थना पर, तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से राज्य सरकारो द्वारा प्रस्तावित स्थानो पर अतिरिक्त नकदी तिजोरियाँ उपलब्ध करना स्वीकार किया है। जनता को छोटे मूल्य के सिक्के देने के लिये, प्रचालन विभाग ने छोटे सिक्को की राजकीय आगारे (Depots) स्थापित कर रखी है।

नकदी तिजोरिया वह पात्र है जिनमें नये अथवा पुन प्रचालित होने योग्य नोट तथा रुपये के सिक्के सचय किये जाते हैं। राज्य कोष या बैंक के अभिकर्ता को एक नकदी तिजोरी दी जाती है जिससे, जब किसी दिन उसके भुगतान उसके शेष धन से अधिक हो वह आवश्यकतानुमार राशि निकाल सके, तथा आवश्यकता मे अधिक राशि हो तो उसमें जमा कर सके। इस प्रकार इन तिजोरियो की उपलब्धि के कारण नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नही रहती, यद्यपि इस प्रकार का प्रेषण एक केन्द्र पर प्राप्ति से अधिक भुगतान के लिये लगातार माग की दशा में आवश्यक हो सकता है, उदाहरण के लिये जब कि एक राज्य-कोष एक विक्षेपण के स्थान के निकट हो या उसके विपरीत। इस प्रकार नकदी तिजोरियो का कलाविन्यास केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो का विशेष रूप से सहायक होता है क्योकि इसके कारण राज्य कोष अपेक्षत- कम मुद्रा राशि से कार्य कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त इन तिजोरियो के द्वारा रुपये के सिक्को का नोटो में बदलना तथा कम मूल्य के नोटो के बदले में बड़े मूल्य के नोटों का देना तथा उसके विपरीत, या पुराने तथा गन्दे नोटो के बदले नये नोट देना सभव होता है। नकदी तिजोरिया बैंको तथा जनता को धन के प्रेषण के लिये सुविधायें देने का साधन भी बन जाती हैं।

नकदी तिजोरियों में बन्द नोट सचलन मे नही माने जाते, जब कि रुपये के सिक्के (तथा एक रुपये के नोट) जो कि तिजोरियो मे बन्द रहते हैं प्रचालन विभाग की संपत्ति का अंश होते हैं। इस प्रकार नकदी तिजोरियों मे नोटो के जमा करने का अर्थ प्रचालित (सचलित) नोटो की मात्रा मे कमी करना होता है, जबकि तिजोरी में रुपये के सिक्के जमा करने का अर्थ होता है, सिक्को की रकम मे, जो सचलित नोटो के साहाय्य स्थापित कोष का अग होती है, वृद्धि करना। दूसरी ओर नकदी तिजोरी में से नोट निकालने का अर्थ होता है सचलित नोटो की मात्रा मे वृद्धि जब कि नकदी तिजोरी में से रुपये के सिक्के निकालने का फल होगा, सिक्कों की रकम में जो सचलित नोटो के साहाय्य कोष का अग होती है, कमी करना। इस प्रकार एक नकदी तिजोरी में नोट या सिक्के जमा करने से अन्य नकदी तिजोरी के स्थान पर नोट या सिक्के का प्रचालन किया जा सकता है, बिना जमा की हुई मात्रा तक वास्तविक रूप में धन भेजने तथा बिना प्रचालित नोटों के साहाय्य सिक्को की मात्रा में वास्तविक परिवर्तन किए हुए।

मुद्रा संचलन में ऋतुकालीन एवं अन्य उतार-चढ़ाव

वर्षो से मुद्रा मे ऋतुकालीन उतार-चढाव का लक्षण भारतीय अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। यह करीब करीब ताल-बद्ध ज्वार भाटा के समान तथा मदी और व्यस्त ऋतुओ में जो मुख्यतया खेती की फसल के समय तथा उपज के स्थानान्तरण से सबधित है, मुद्रा के प्रवाह मे प्रतिबिम्बित होता है। मुद्रा में ऋतुकालीन उतार-चढाव औद्योगिक देशो में भी होते है, जैसे क्रिसमस या अवकाश के समय, परन्तु यह "ऋतुए" आय के अत्यधिक व्यय से सबधित होती हैं न कि आय की प्राप्ति से। भारत मे महत्वपूर्ण बात वर्ष का लगभग दो बराबर ऋतुओ में बटा होना है। इसके मुख्य कारण अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति तथा नकद सौंदो का बाहुल्य है। साधारणतया व्यस्त ऋतु, जिसमें मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है अक्टूबर के महीने मे जब फसले काटी तथा स्थानान्तरित की जाती है, प्रारभ होती है, तथा लगभग अप्रैल के अन्त तक समाप्त होती है। इस सबध मे यह ध्यान रखना लाभप्रद होगा कि गत युद्ध काल मे भी जब मुद्रा का लगातार प्रसार हो रहा था (तथा मदी की ऋतु में भी प्रसार मे कमी नही होती थी) मदी की ऋतु का प्रभाव फिर भी विदित होता ही था क्योकि मुद्रा का विस्तार मदी की ऋतु में व्यस्त ऋतु की अपेक्षा कम होता था। युद्ध की समाप्ति तथा शाति स्थापित होने के साथ ऋतु प्रधान ढाचा फिर अधिक दृष्टिगोचर होने लगा तथा युद्ध समाप्ति के बाद के प्रारभिक वर्षो की व्यस्त ऋतुओ मे मुद्रा नियमित रूप से खप जाती थी तथा मदी की ऋतु मे वापिस कर दी जाती थी। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में द्वितीय तथा तृतीय क्रम के व्यवसाय क्षेत्रो में वृद्धि के कारण, जिसे आयोजित विकास से प्रोत्साहन मिला, मुद्रा मे ऋतुकालीन उतार-चढाव कुछ हद तक स्पष्ट दृष्टिगोचर नही होते।

इस स्थान पर, मुद्रा के ऋतुकालीन प्रसार एवं प्रसार में कमी के साधारण कला-विन्यास को संक्षेप में समझाना उचित होगा। व्यस्त ऋतु में व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा अपना रुपया अथवा अपने व्यापार तथा उत्पादन के लिये माल के क्रय के लिये स्वीकृत ऋण राशि निकालने के कारण व्यापारिक वाणिज्य बैंकों से नकदी का निवल उत्प्रवाह होता है। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बैंक, कुछ मात्रा में, अपनी नकद राशि जिसमें रिज़र्व बैंक के पास अपना धन भी शामिल होता है, निकालते हैं। यह राशि आवश्यकतानुसार रिज़र्व बैंक से ऋण लेकर तथा/अथवा बैंक को या बाज़ार में अपने निवेश बेचकर पुन पूरी की जाती है। बैंकों द्वारा नकद रुपया निकालने तथा सरकार के खाते में चेकों की अदायगी के रूप में सरकारी अभिकर्ताओं तथा अन्य लोगों की नकद राशि साधारण आवश्यकताओं के न्यूनतम स्तर से कम हो जाती है। अपनी नकद राशि को फिर से पूरा करने के लिये बैंकिंग विभाग बराबर मात्रा में नकदी के बदलने में प्रचालन विभाग को अपनी ग्रहणीय परिसम्पत्ति जैसे स्टर्लिंग ऋणपत्र या रुपये के ऋणपत्र हस्तान्तरित करता है। बैंकिंग विभाग में इनका संभरण बैंकों तथा सरकारी अभिकर्ताओं की नकद रुपये की अधिक माग को पूरा करने के दौरान ही में बढ़ जाता है। इस प्रकार नकद रुपये की जनता द्वारा अधिक माग सर्व प्रथम वाणिज्य बैंकों की घटी हुई नकद राशि में तथा उनके द्वारा बैंकिंग विभाग की नकद राशि में प्रतिबिम्बित होती है तथा अन्त में इसके फलस्वरूप बैंकिंग विभाग से प्रचालन विभाग को ग्रहणीय ऋणपत्रों के हस्तान्तरण द्वारा मुद्रा का प्रसार होता है। जनता की बढ़ी हुई नकद रुपये की माग तथा उससे पूर्व सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा और भी अधिक भुगतान, बैंक के पास सरकारी शेष धन

में कमी तथा उसी प्रकार की बैंकिंग विभाग के शेष धन में कमी के रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं। यदि सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं होता तो वह बैंक से अर्थोपाय उधार (Ways and Means Advances) ले सकती है या बैंक को राज्य कोष बिल जारी कर सकती है (पाचवा परिच्छेद देखिए)।

मदी की ऋतु में विपरीत क्रिया होती है। ग्रामीण जनता द्वारा औद्योगिक तथा अन्य सामान क्रय करने के साथ नकद रुपया नगरो की ओर पुनः प्रवाहित होता है। संचलित मुद्रा की वापसी अथवा ऋण की अदायगी के फलस्वरूप वाणिज्य बैंकों के पास आवश्यकता से अधिक नकद रुपया जमा हो जाता है जो फिर ऋण की अदायगी अथवा ऋणपत्रों के क्रय करने अथवा बैंक के पास अपने प्रारक्षण मे वृद्धि करने के रूप में रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग को हस्तान्तरित हो जाता है। इस सब व्यवहार के फलस्वरूप बैंकिंग विभाग के नकद शेष धन मे वृद्धि हो जाती है। जो मात्रा बैंकिंग विभाग द्वारा साधारणतया रखे जानेवाले शेष धन से अधिक होती है, समान मूल्य की परिसपत्ति के बदले में प्रचालन विभाग को वापस कर दी जाती है। बैंकिंग विभाग मे नोटों के स्थान पर अन्य परिसपत्ति आ जाती है; प्रचालन विभाग में उसके साथ-साथ परिसपत्ति तथा देयता (अर्थात् प्रचालित नोटो) मे कमी हो जाती है। सरकार द्वारा भुगतान की अपेक्षा प्राप्ति के आधिक्य के समय बैंकिंग विभाग में सरकार के शेष धन में वृद्धि हो जाती है, उतनी ही वृद्धि बैंकिंग विभाग के नकद शेष धन मे भी होती है। इस अवस्था मे, अतिरिक्त सरकारी शेष धन अर्थोपाय उधार को अदा करके अथवा बैंक को पहिले विक्रय किये राज्यकोष बिलो को रद्द करके (अर्थात् मुक्त करके) कम कर दिया जाता है।

(३)

मुद्रा एवं साख का नियमन – २

साख नियंत्रण का क्षेत्र तथा रीतियां

साख के नियमन के लिये साख सस्थाओ के, जिनका रिज़र्व बैंक से सीधा सम्बन्ध होता है, प्रधानत. वाणिज्य बैंकों की परिसपत्ति के ढाचे का नियमन करना आवश्यक होता है। इस सबध में वाणिज्य बैंको की परिसपत्ति में विशेष महत्व रखनेवाला मद बैंको द्वारा अपने ग्राहकों को दी जानेवाली साख होती है, जो "ऋण" तथा बट्टे का योग होती है। बैंको की साख जुटाने की क्षमता उनकी नकद राशि पर (जिसमें उनकी रिज़र्व बैंक के पास प्रारक्षित निधि भी शामिल होती है), निर्भर करती है। उनमे वृद्धि, बैंक के जमा साधनो मे वृद्धि होने अथवा उनके रिज़र्व बैंक से ऋण लेने से होती है। इसलिए रिज़र्व बैंक द्वारा साख के नियमन का अर्थ होता है बैंको के प्रारक्षण की मात्रा का नियमन। यदि रिज़र्व बैंक साख का विस्तार चाहता है तो उसे बैंको के प्रारक्षण में वृद्धि करने के उपाय करने पड़ेंगे, तथा इसी प्रकार यदि साख का सकोचन करना है, तो वह अपने प्रारक्षण को कम करने का प्रयत्न करेगा। बैंको द्वारा जुटाई गई साख का कुछ भाग अवश्य ही नकद (मुद्रा में) लिया जाता है तथा यह भाग अधिक होता है यदि देश के द्रव्य प्रदाय मे जमा की अपेक्षा मुद्रा का महत्व अधिक हो।

बैंको की जमा का निर्माण दो प्रकार से होता है – निश्चेष्ट उत्पत्ति अथवा सचेष्ट उत्पत्ति द्वारा। निश्चेष्ट उत्पत्ति उस समय होती है जब बैंक अपने ग्राहकों के जमा खाते मूल्य की प्राप्ति—नकद रुपये अथवा दूसरे बैंको पर चेको के बदले खोलते हैं। दूसरी उत्पत्ति उस समय होती है जब बैंक ऋण देकर जमा का निर्माण करते हैं। पहली रीति से द्रव्य की मात्रा में वृद्धि नही होती यद्यपि उसके वितरण में अन्तर हो जाता है, परन्तु दूसरी नीति से द्रव्य का सभरण बढ जाता है। जब बैंक साख जुटाता है, उसके फलस्वरूप उसके अपने अथवा अन्य बैंकिंग सस्थाओ की जमा में वृद्धि होती है।

प्रगतिशील देशो में भी, जहा बडी सख्या में लोग बैंकिंग के अभ्यस्त होते है, जमा विस्तार की क्रिया की सीमा होती है जो अनेक आर्थिक एव सस्थानात्मक कारणों द्वारा निर्धारित होती है। अविकसित देशो में बैंको द्वारा साख के निर्माण करने का अवसर सुविकसित बैंकिंग प्रणालीवाले देशो की अपेक्षा बहुत कम होता है। भारत में द्रव्य सभरण का बहुत बडा अश (लगभग दो तिहाई) मुद्रा है। इसका अर्थ यह है कि

बैंको द्वारा साख निर्माण की प्रत्येक दशा का फल अधिक मात्रा में मुद्रा की निकासी होगा, यद्यपि यह आवश्यक नही कि उसी अनुपात में हो। नकद धन का एक बड़ा भाग जमा के रूप में बैंकिग प्रणाली के पास लौटे बिना साधारणतया अर्थव्यवस्था में समा जाता है। इसके कारण बैंकिंग प्रणाली की प्रारक्षण मे वृद्धि के आधार पर नई साख निर्माण करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है तथा साथ ही उसकी बहुविध प्रसार की शक्ति सीमित हो जाती है।

यद्यपि यहा उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देशों की अपेक्षा मुद्रा नीति के प्रभावपूर्ण प्रयोग का अवसर बहुत सीमित है, तथापि उसमें अर्थव्यवस्था की विभिन्न दिशाओं में विकास तथा निवेश और सगठित द्रव्य बाजार की उत्पत्ति के साथ वृद्धि हो रही है। रिज़र्व बैंक इस निवेश तथा सगठित द्रव्य बाज़ार की उन्नति में सहायक हो रहा है।

भारतीय द्रव्य बाजार का ढांचा

एक सुविकसित द्रव्य बाजार प्रभावी मौद्रिक नीति का आधार है। द्रव्य बाज़ार की परिभाषा है – मुद्रा परिसपत्ति मे (मुख्यत. अल्पकालीन प्रकृति की) व्यवहार का केन्द्र; वह ऋण लेने वालो की अल्प-कालीन आवश्यकताओ की पूर्ति करता है तथा नकद ऋण देनेवालो को नकद रुपया जुटाता है। यह वह स्थान होता है जहां निवेश के लिये वैत्तिक तथा अन्य सस्थाओ तथा व्यक्तियो के पास उपलब्ध अल्पकालीन निधिया, उधार चाहनेवाले, जिनमे सस्थाए, व्यक्ति तथा स्वय सरकार भी शामिल होते हैं, प्राप्त करना चाहते है। स्वाभाविक रूप से रिज़र्व बैंक का द्रव्य बाजार मे निकट सबध रहता है। वास्तव में रिज़र्व बैंक को द्रव्य बाज़ार का एक महत्वपूर्ण अग माना जा सकता है; प्रधानत· वह निधियो के सभरण का अतिम स्रोत है तथा यह ही वह वस्तु है जो बैंक के कार्यो को महान महत्व देती है।

भारतीय द्रव्य बाज़ार का एक महत्वपूर्ण लक्षण उसका द्वद्व-भाजन (Dichotomy) है; उसमे सगठित व असगठित बाज़ारो का समावेश है, जिनके ब्याज-दर के ढाचे भिन्न हैं। सगठित बाज़ार के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इडिया, विदेशी बैंक तथा भारतीय मिश्रित पूजी बैंक आते है। अर्ध-सरकारी सस्थाए तथा बडी मिश्रित पूंजी कपनिया भी ऋण देनेवालो के रूप में द्रव्य बाजार की क्रियाओ मे भाग लेती है, उनके द्वारा दिया गया ऋण साधारणतया गृह द्रव्य (House Money) कहलाता है। इसके अतिरिक्त वैत्तिक दलाल होते है जैसे अविलम्ब ऋण (Call Loan) के दलाल, सामान्य वित्त तथा स्कन्धो के दलाल। भारतीय द्रव्य बाज़ार का केन्द्र अन्तर-बैंक अविलम्ब-राशि बाज़ार है। यद्यपि इस बाज़ार में आदान-प्रदान होनेवाली राशि की मात्रा बैंको के जमा साधनों की तुलना में अधिक नही है, तथापि यह द्रव्य बाजार का सबसे शीघ्र प्रभावित होनेवाला भाग है। स्टेट बैंक आफ इडिया अविलम्ब-राशि बाज़ार में भाग नही लेता परन्तु अन्य बैंक इस बैंक से ऋण अथवा अग्रिम प्राप्त

करते है। परन्तु पिछले कुछ वर्षो मे बैंको ने निभाव प्राप्त करने की अपनी मागें रिजर्व बैंक से अधिक पूरी की हैं। भारतीय प्रणाली में बिलो के लिये, व्यापारिक हो अथवा राज्य कोष के, कोई वास्तविक बाजार नही है, और न सकार व्यापार (Acceptance Business) ही है। किन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय द्रव्य बाजार "प्रकार्यों के सगठित सबधो तथा विशेषोपयोजन की दृष्टि से अपेक्षत. सुविकसित है।"*

असगठित बाजार में, जो स्वय एक सा नही है, अधिकतर सराफ वर्ग का प्रभुत्व है। इस बाजार में अल्प-कालीन अथवा दीर्घ-कालीन वित्त में, तथा वित्त के उद्देश्यो में भी स्पष्ट भेद नही होता क्योकि एक हुडी पर (जो देशी विनिमय बिल होती है) साधारणतया यह बताने के लिये कि वह व्यापार के अर्थ प्रबन्धन के लिये, या दूसरे शब्दो में वह वास्तविक व्यापारिक बिल है या वैत्तिक कागज है, कुछ दिया नही होता। अधिकतर वे निभाव बिल होते है। व्यापारिक बिलो की कमी के कारण भारत मे कोई बट्टा बाजार नही है, यद्यपि कुछ बैंक, विशेषत विदेशी बैंक बिलो पर बट्टा लेते है। साधारणतया व्यापारिक बिल भुगतान की अतिम तिथि तक कायम रहते है (जैसे आयात बिल), या लन्दन में पुन भंजित हो जाते है (जैसे निर्यात बिल)। भारत में बिल बाजार की बढोत्री को रोकने के बताये गये ये कारण है – देश के विभिन्न भागो में बिलो के लिखने की रीति में समानता न होना, निर्धारित समय की सीमा से रहित साख देने की प्रथा, जिसे यात्रा में बिक्री करनेवाले व्यक्ति वसूल करते है, बैंको से, जिनकी अनेक शाखायें होती है, उधार लेने के लिये नकद साख का अधिक प्रयोग, कुछ कार्य क्षेत्रो में नकद सौदो के लिये अधिक रुचि, कृषि पदार्थों को रखने के लिये भडागार के पर्याप्त साधनो की कमी तथा सावधि बिलो पर ऊचा स्टेम्प कर। इनमें कुछ कठिनाइयो पर, विशेषत उन पर जो भडागार के साधनो की उपलब्धि से सबधित है, सरकारी प्रयास द्वारा काबू पाया जा रहा है। किन्तु इसमें सदेह है कि यहा एक बिल बाजार, जिसकी तुलना प्रगतिशील पश्चिमी देशो के बाजारो से की जा सके, कभी स्थापित हो सकेगा, क्योकि व्यापारिक रीतियो में लोचदार साख के प्रति दृढ अनुराग है तथा ग्रामों में निश्चित अवधि के लिये ऋण लेने के प्रति विरोध है। वास्तव में नकद साख (Cash Credit) अथवा ओवर ड्राफ्ट की लोचदार एव सुविधाजनक कलाविन्यास अन्य देशो में भी उधार लेने की मुख्य नीति है, तथा पोत सामग्री अनुसूचियो (Shipment Schedules) इत्यादि से सबधित विशेष ऐतिहासिक सदर्भ के, जो कुछ सक्रिय बिल बाजार की उत्पत्ति को प्रोत्साहन देता था, अभिप्रायपूर्ण मात्रा में दुहराये जाने की सभावना नही है। न बिलो द्वारा दर्शित साख के रूप में ही इतनी स्वाभाविक विशिष्टता है कि बिल बाजार की कमी एक गभीर न्यूनता तथा उसकी उत्पत्ति रिजर्व बैंक की नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य समझा जाता रहे।

---

* मथली रिव्यू आफ दी फेडरल रिज़र्व बैंक आफ न्यूयार्क, जुलाई १९५७

भारत मे द्रव्य बाज़ार का ढाचा, यद्यपि वह शिथिल है, किन्तु बिल्कुल असमन्वयित नही है। देशी बैंकों को स्टेट बैंक आफ इडिया तथा अन्य वाणिज्य बैंको से, जिनकी पहुँच रिज़र्व बैंक के पास है, पुनर्भाजन की सुविधा प्राप्त है। देशी द्रव्य बाज़ार व्यवस्थित बाजार के साधनो का आश्रय प्राय. व्यस्त ऋतु में, जब फसल कटती है तथा कृषक से थोक व्यापारी के पास पहुँचाई जाती है, लेता है।

सहकारी साख सस्थाओ की स्थिति द्रव्य बाज़ार के व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित भागो के लगभग मध्य में है। सहकारी साख सस्थाओ की स्थापना मुख्यत. ग्रामीण साख के देशी स्रोतो, विशेषत. साहूकारों को अनुपूरण करने के उद्देश्य से की गई थी, क्योकि साहूकारो द्वारा उपलब्ध की गई साख में अनेक दोष थे जिनमे ब्याज की उंची दरें मुख्य थी। यद्यपि इस उद्देश्य की प्राप्ति नही हो सकी है, तथापि कुछ वर्षों मे सहकारी साख प्रणाली को व्यवस्थित द्रव्य बाज़ार मे समग्र करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। इस प्रकार रिज़र्व बैंक द्वारा सहकारी क्षेत्र को दी जानेवाली सहायता की मात्रा बढती जा रही है। सहकारी सस्थाए व्यापारी बैंकिंग प्रणाली, विशेषत' स्टेट बैंक आफ इडिया से, १ जुलाई सन् १९५५ में उसकी उत्पत्ति के समय से ही, निकट सम्पर्क मे लाई जा रही हैं।

अब हम भारतीय बैंकिंग के ढाचे का सक्षेप मे वर्णन करते है। रिज़र्व बैंक के चालू होने के साथ ही भारत में मिश्रित पूजी बैंको का वर्गीकरण – अनुसूचित तथा अन-अनुसूचित – दो मुख्य हिस्सो में हो गया। अनुसूचित-बैंक, जैसा कि इस शब्द से प्रत्यक्ष ही है, वे बैंक है जो रिजर्व बैंक आफ इडिया एक्ट की द्वितीय सूची में शामिल है तथा जिनकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका (U. S. A.) के सदस्य बैको से की जा सकती है। उन्हें कुछ सुविधाए प्राप्त करने का अधिकार है, विशेषतया रिज़र्व बैंक से निभाव प्राप्त करने की सुविधा। साथ ही रिजर्व बैंक के प्रति उनका उत्तरदायित्व भी है। रिजर्व बैंक आफ इडिया एक्ट की धारा ४२(६)(अ) वह शर्त्तें निर्धारित करती है जो किसी बैंक को द्वितीय सूची मे सम्मिलित होने के योग्य बनने के लिये पूरी करनी चाहिये। वे हैं :–(१) बैंक की चुकती पूजी तथा प्रारक्षण का योग ५ लाख* रु. के मूल्य से कम नही होना चाहिये, (२) उसे रिज़र्व बैंक को सतुष्ट करना होता है कि उसका सचालन इस प्रकार नही हो रहा है जो उसके जमाकर्ताओ के हितो के प्रतिकूल हो तथा (३) वह कपनी विधान, १९५६, की परिभाषा के अनुसार एक कपनी, अथवा इस सदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित एक सस्था अथवा एक निगम या एक कपनी जो भारत से बाहर किसी स्थान मे चालू विधान द्वारा या उसके अन्तर्गत इन्कारपोरेट हुई हो, होना चाहिये। जब रिजर्व बैंक को बहियो तथा खातो के या अन्य तरीकों से निरीक्षण द्वारा संतोष हो जाय कि इन शर्त्तों का पालन हो गया है तो वह उस बैंक को द्वितीय सूची में शामिल किये जाने का आदेश दे सकता है। बैंक को

* दस लाख = एक मिलियन।

यह भी अधिकार है कि वह किसी बैंक को जिसकी चुकती पूजी तथा प्रारक्षण के योग का मूल्य ५ लाख रु. से कम हो जाय, या जो बैंक की राय में अपना सचालन इस प्रकार कर रहा है जो जमाकर्त्ताओं के हितो के प्रतिकूल हो या जिसका परिसमापन हो जाय या अन्य प्रकार से बैंकिग व्यापार करना बन्द कर दे, सूची से अलग कर दे।

मार्च सन् १९५८ के अन्त तक देश मे कुल मिलाकर लगभग ४०० काम कर रही बैंकिग कपनियो में से ९२ बैंक सूची में सम्मिलित थे। भारत में बैंकिग व्यापार का अधिकतर कार्य अनुसूचित बैंको द्वारा ही होता है, समस्त बैंको की कुल जमा में उनका योग ९७ प्रतिशत है, तथा कुल चालू साख में भी लगभग उतना ही है। अनुसूचित बैंक एक मिश्रित समुदाय के रूप मे है। उनमें स्टेट बैंक आफ इडिया की अपनी अलग ही श्रेणी है, यह सब से बडा वाणिज्य बैंक है जिसकी निवल जमा मार्च सन् १९५८ के अत में ४१९ करोड रु थी जो समस्त वाणिज्य बैंको की निवल जमा १,३८२ करोड रु. की ३० प्रतिशत थी। इसका रिज़र्व बैंक आफ इडिया से निकट सपर्क है, तथा रिज़र्व बैंक का एजेन्ट होने के नाते इसकी अधिकतर शाखाओ में नकदी तिजोरियो की सुविधा प्राप्त है। अनुसूचित बैंको के दूसरे वर्ग में सोलह विदेशी बैंक है, जिनकी विशेषता विदेशी व्यापार के लिये वित्त-प्रबन्ध करना है, इन बैंको ने अपनी क्रियाए आभ्यन्तर व्यापार एव उद्योगों में भी प्रसारित की है तथा इस हद तक वे गृहच बैंकिग प्रणाली का पूर्णन एक अग है। इन बैंको की निवल जमा १९४ करोड अथवा कुल जमा की १४ प्रतिशत थी। भारतीय अनुसूचित बैंक (स्टेट बैंक आफ इडिया के अतिरिक्त) सख्या में पचहत्तर है तथा आकार में १०० करोड र से अधिक जमा वाले बैंको से लेकर उन बैंको तक जिनकी कुल जमा मुश्किल से कुछ लाख रुपये है तथा जिनकी चुक्ती पूजी तथा प्रारक्षण ठीक उन्हे द्वितीय सूची में शामिल होने के लिये योग्यता प्राप्त करने के लिये ही पर्याप्त है, विचलन करते है। मार्च सन् १९५८ के अन्त में उनकी जमा ७६९ करोड रु या अनुसूचित बैंको की कुल जमा की ५६ प्रतिशत थी।

अन-अनुसूचित बैंक, जैसा कि शब्दो मे प्रगट है, वे बैंकिग कपनिया है जो रिज़र्व बैंक आफ इडिया को द्वितीय सूची में सम्मिलित बैंको के अतिरिक्त है। मार्च १९५८ के अन्त में इनकी सख्या लगभग ३०० थी। इनमें से अधिकाश छोटे आकार के है जिनका कार्यक्षेत्र छोटे स्थानों तक सीमित है। साधारणतया उनकी चुकती पूजी तथा प्रारक्षण ५ लाख रु से कम है, यद्यपि कुछ अन-अनुसूचित बैंक ऐसे है जिनकी चुक्ती पूजी तथा प्रारक्षण इस रकम से अधिक है। कुछ अन-अनुसूचित बैंक स्वय अपनी इच्छा से रिज़र्व बैंक के पास रोकड रखते है। साधारणतया अनुसूचित बैंको की अपेक्षा यह बैंक अपनी जमा पर ऊची दर पर ब्याज देते है, तथा उनके उधार देने की दरे भी ऊची है। उनकी सावधि (Time) जमा कुल जमा की दो तिहाई है जब

कि उसकी तुलना में अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा कुल जमा के अनुपात में लगभग आधी है। मार्च सन् १९५८ के अंत में इन बैंकों की कुल जमा केवल ४६ करोड रु. थी जब कि अनुसूचित बैंकों की जमा १,३८२ करोड रु. थी।

सामान्य साख नियंत्रण के साधन

बैंक द्वारा साख प्रणाली के नियंत्रण का परिनियत आधार रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट तथा बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट में मूर्तिमान है। प्रथम एक्ट के अन्तर्गत बैंक को वे सब अधिकार प्राप्त है जो साधारणतया केन्द्रीय बैंकों को मिले होते हैं, तथा दूसरे के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों के कार्यों को सीधे नियंत्रित करने के विशेष अधिकार दिये गये हैं। साधारण अथवा मात्रा संबधी साख नियंत्रण के नाम से प्रसिद्ध साधारण साधनों, जैसे बैंक दर, जिसे बट्टे की दर भी कहा जाता है, खुले बाज़ार की क्रियाओं तथा बढ़ने घटनेवाली प्रारक्षण की आवश्यकताओं (Variable Reserve Requirements) पर विचार करते समय इस तथ्य पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि ये सब आपस में निकट रूप से संबधित हैं तथा इन साख नियंत्रण साधनों को परस्पर सहयोग से कार्यान्वित होना चाहिये। इन सब का बैंक के प्रारक्षण के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। खुले बाज़ार की क्रियायें तथा प्रारक्षण आवश्यकताएं 'प्रारक्षण आधार' पर सीधा प्रभाव डालती है जब कि बैंक दर अपना प्रभाव परोक्षत प्रारक्षण के प्राप्त करने के मूल्य में घटाव बढाव के द्वारा डालती है। किसी समय किसी एक अथवा दूसरे साधन के प्रयोग का निर्धारण स्थिति की प्रकृति तथा उसके द्वारा प्रभाव डालने के क्षेत्र तथा साथ ही परिवर्तन लाने की इच्छित गति द्वारा होता है। उदाहरण के लिये खुले बाज़ार की क्रियायें लघुतम मात्रा में भी दिन प्रतिदिन के समायोजन को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त हैं। प्रारक्षण आवश्यकताओं का प्रभाव एकदम होता है, तथा उनका बैंकों पर सामान्यत प्रभाव पडता है। बैंक दर का प्रभाव बैंकिंग प्रणाली तथा अल्पकालीन द्रव्य बाज़ार तक ही सीमित नहीं रहता, उसका देश की समस्त अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पडता है।

बैंक दर

बट्टे की दर नीति की परिभाषा है, 'विस्तृत दृष्टिकोण से, उन अभिसमय एवं दशाओं मे परिवर्तन करना, जिनके अतर्गत बाज़ार की चुनी हुई अल्पकालीन परिसंपत्ति के बट्टे अथवा रक्षित अग्रिम के द्वारा केन्द्रीय बैंक से अस्थायी कर्ज़ ले सकें।" इस प्रकार, बट्टे की नीति साख के मूल्य तथा उपलब्धि दोनों को प्रभावित करती है। साख की उपलब्धि अधिकतर बिलों के बट्टे के लिये तथा ऋणपत्रों की अग्रिम की समर्थक (Collateral) होने की उपयुक्ति से संबधित परिनियत आवश्यकताओं पर तथा अधिकतम अवधि पर जिसके लिये साख उपलब्ध हो, निर्भर करती है।

अनुसूचित बैंको को ऋण प्रदान करने से संबंधित रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धाराओ का अब विवरण दिया जा रहा है; सहकारी क्षेत्र को साख उपलब्ध करने से संबंधित पर्यावलोकन पृथक रूप से छठे परिच्छेद में किया जाएगा।

यह पहले कहा जा चुका है कि बैंक द्वारा साख प्रसारण ग्राह्य बिलो अथवा ग्राह्य ऋणपत्रों की जमानत पर अग्रिम का रूप लेता है। इससे संबंधित प्रावधान रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ में अंकित है। पत्रो के प्रकार जो रिजर्व बैंक से पुनर्भंजन के लिये ग्राह्य है नीचे लिखी उप-धाराओ में वर्णित है, उनके द्वारा बैंक को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार प्राप्त है :–

१७ (२) (क) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भंजन उन बिलो, विनिमय बिलो तथा रुक्को का जिनका लेखन तथा भुगतान भारत में हो तथा जो विश्वसनीय वाणिज्य अथवा व्यापार संबंधी व्यवहार के फलस्वरूप बने हो, उनके ऊपर दो या उससे अधिक विश्वसनीय हस्ताक्षर हो, जिनमें से एक अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हो, तथा जिनके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार के क्रय अथवा पुनर्भंजन के ९० दिन के अन्दर, अनुग्रह दिवसो (Days of Grace) के अतिरिक्त, हो,

१७ (२) (ख) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भंजन उन विनिमय बिलो तथा रुक्को का जिनका लेखन तथा भुगतान भारत में हो तथा जिन पर दो या उससे अधिक विश्वसनीय हस्ताक्षर हो, जिनमें से एक अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हो, तथा जिसका लेखन तथा प्रचालन ऋतुकालीन कृषि कार्यो या फसलो के विपणन (Marketing) के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये हो तथा जिसके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार क्रय अथवा पुनर्भंजन के पन्द्रह महीने के अन्दर, अनुग्रह दिवसो के अतिरिक्त, हो,

व्याख्या :–इस उप-धारा के लिये,

(अ) 'कृषि कार्य' शब्द में पशुपालन तथा संबंधित क्रियायें जो कृषि कार्यो से साथ-साथ की गई हो सम्मिलित है;

(आ) 'फसलो' में कृषि क्रियाओ द्वारा उत्पादित पदार्थ सम्मिलित है;

(इ) 'फसलो के विपणन' शब्दो में विपणन से पूर्व कृषि उत्पादको अथवा इस प्रकार के उत्पादको की किसी संस्था द्वारा फसलो का विधायन (Processing) सम्मिलित है।

१७ (२) (ग) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भंजन उन विनिमय बिलो तथा रुक्को का जिनका लेखन तथा भुगतान भारत में हो तथा जिन पर किसी अनुसूचित बैंक के हस्ताक्षर हो तथा जिनका प्रचालन तथा लेखन केन्द्रीय सरकार अथवा

किसी राज्य सरकार के ऋणपत्रो के सधारण अथवा उनमें व्यापार करने के उद्देश्य से किया गया हो तथा जिनके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार के क्रय, विक्रय अथवा पुनर्भजन से ९० दिन के अदर, अनुग्रह दिवसों के अतिरिक्त, हो ;

१७ (३) (ख) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भजन तथा उन विनिमय बिलो का (मय राज्य कोष बिलों के) जिनका लेखन किसी भी स्थान पर तथा किसी भी ऐसे स्थान के ऊपर किया गया हो जो किसी भी ऐसे देश में हो जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य हो तथा जिसके परिपाक होने की अवधि क्रय की तिथि के ९० दिन के अंदर हो : इस शर्त के साथ कि इस प्रकार का क्रय, विक्रय अथवा पुनर्भजन भारत में किसी अनुसूचित बैंक के अतिरिक्त किसी से नही किया जायेगा।

ऊपरलिखित सभी उप-धाराओं मे निर्देशित विनिमय बिलो के लिये यह आवश्यक है कि उनकी परिपाक तिथि निश्चित हो, रिज़र्व बैंक द्वारा क्रय या पुनर्भजन की तिथि से, अनुग्रह दिवसो के अतिरिक्त, ९० दिन से अधिक नही हो (कृषि बिलो की १५ महीने)। दूसरे शब्दो मे किसी विनिमय बिल अथवा रुक्को के लिये यह आवश्यक है कि रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्भजन या क्रय के समय स्वय उस विलेख (Instrument) में निश्चित चलन मूर्तिमान हो तथा यदि वह विलेख माग पर अदा होनेवाला हो, तो इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत होने के पूर्व उसका बिल/नोट अवधि मे परिवर्तन होना आवश्यक है।

किन्तु भलीभाति विकसित तथा ठीक प्रकार आयोजित बिल बाज़ार की कमी के कारण पुनर्भजन के प्रकार्य का अभी तक बहुत कम उपयोग किया गया है। बैंकिंग प्रणाली को रिज़र्व बैंक की सहायता मुख्यत बैंक द्वारा अग्रिम की अन्य सुविधाओं द्वारा दी गई है। एक्ट की धारा १७(४) के अन्तर्गत अधिकृत अग्रिम मांग पर अथवा ९० दिन तक सीमित निश्चित अवधि पर पुन. देय है तथा उसका उद्देश्य अल्पकालीन (ऋतुकालीन) व्यापारिक व्यवहार के लिये अर्थ-प्रबन्ध करना है। वे निम्नलिखित समर्थकों के बदले मे उपलब्ध है–

(क) माल, निधिया तथा ऋण पत्र (अचल सपत्ति के अतिरिक्त) जिनमे यू के (U.K.) की पार्लियामेंट के किसी विधान द्वारा अथवा भारत में उस समय चालू किसी कानून के द्वारा किसी न्यासधारी (Trustee) को न्यास के धन-विनियोजन का अधिकार हो (धारा १७ (४) (क));

(ख) सोना अथवा चादी अथवा उनके स्वत्व प्रलेख (धारा १४ (४) (ख));

(ग) ऐसे विनिमय बिल तथा रुक्के जो बैंक द्वारा क्रय अथवा पुनर्भजन के लिये ग्राह्य हों अथवा जिनके पूर्णत मूलधन के पुन भुगतान की तथा ब्याज के

भुगतान की जमानत किसी राज्य सरकार ने की हो (धारा १७ (४) (ग));

(घ) किसी अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सरकारी बैंक के रुक्के जो ऐसे स्वत्व प्रलेखो पर आधृत हो जिन्हे उस बैंक को वास्तविक वाणिज्य अथवा व्यापार के व्यवहार के लिये दिये गये अथवा ऋतुकालीन कृषि कार्यो या फसलो के विपणन के लिये दिये गये ऋण एव अग्रिम के हेतु प्रतिभूति के रूप में हस्तान्तरित, निर्दिष्ट अथवा बधित किया गया हो (धारा १७(४) (घ))। माल के स्वत्व प्रलेखो की भारतीय सेल आफ गुड्स एक्ट की धारा २ की परिभाषा के अनुसार इनमे पोत सामग्री बिल (Bill of Lading), बन्दरगाह प्रमाणपत्र (Dock Warrants), भडागार रक्षक का प्रमाणपत्र (Warehouse Keeper's Certificate) तथा रेल की रसीद इत्यादि विलेख शामिल हैं। यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस उप-धारा के अन्तर्गत बैंक केवल स्वत्व प्रलेखो से प्रमाणित रुक्को पर ही अग्रिम दे सकता है, स्वय माल पर नही, माल को ऋणधार के रूप में स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रशासनिक कठिनाइया होती है तथा यह बात केन्द्रीय बैंकिंग की सामान्य रीतियो के अनुकूल नही है।

सामान्यत उपलब्ध इन साख सुविधाओ के अतिरिक्त, सकट काल मे बैंक द्वारा केवल ग्राह्य ऋणधारों पर ही नही, परन्तु किसी भी ऐसे ऋणधार पर जिसे बैंक पर्याप्त समझे, बैंक द्वारा ऋण देने का एक्ट में प्रावधान है (धारा १८ (१) (३))। इस धारा का उद्देश्य यह है कि रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को सकटकाल मे जब बैंक के लिये यह आवश्यक अथवा उचित हो जाय कि बावजूद ग्राह्यता की आवश्यकताओ की सीमाओ के सीधे अग्रिम प्रदान करे या बट्टा दे, अग्रिम प्रदान कर सके। सन् १९४९ मे यह सकटकालीन प्रावधान अन-अनुसूचित बैंको के लिए भी लागू कर दिया गया है।

परन्तु व्यवहार मे अनुसूचित बैंको द्वारा अग्रिम मुख्यत धारा १७ की दो उप-धाराओ के प्रावधानो के अन्तर्गत ही दिये गये है—न्यासधारी (मुख्यत केन्द्रीय सरकार) के ऋण पत्रो के आधार पर (धारा १७ (४) (क)) तथा सन् १९५२ में हुडी बाजार योजना के आरभ से (जिसका विवरण बाद मे दिया गया है), अनुसूचित बैंको द्वारा लिखित तथा उनके सघटको के सावधि रुक्को से अनुमोदित माग पर भुगतान होनेवाली दर्शनी हुडी के आधार पर (धारा १७(४) (ग))। पर्याप्त मात्रा में गोदामघर की सुविधाओ की कमी के कारण माल के स्वत्व प्रलेखो से अनुमोदित रुक्को के आधार पर अग्रिम (धारा १७ (४) (घ)) अब तक बहुत कम दिया गया है।

रिजर्व बैंक की स्थापना के बहुत समय बाद तक, अनुसूचित बैंकों ने उसकी साख सुविधाओ का बहुत कम उपयोग किया। इस प्रकार के अन्य ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत औसत अप्राप्त रकम, जो अनुसूचित बैंको तथा राज्य सहकारी बैंको को बैंक द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को प्रदर्शित करती है, सन् १९३८-३९ मे केवल २ लाख रु. तथा १९४७-४८ में २१ लाख रु थी। यह स्थिति कुछ अश तक बैंको की रिजर्व बैंक के पास पहुँचने में परम्पराप्राप्त झिझक के कारण थी तथा कुछ अश तक सहज द्रव्य अवस्था (Easy Money Condition) के कारण थी जो बैंक के उद्घाटन के समय थी तथा जो युद्ध तथा युद्ध के पश्चात् के आरभिक वर्षो तक जारी रही तथा जिसने बैंक के इस प्रकार उपयोग को अनावश्यक कर दिया था। युद्ध के वर्षो मे, बैंक ने सरकारी ऋणपत्र बडी मात्रा में जमा कर लिये। साथ ही, बैंक जमा में वृद्धि हुई थी तथा वैयक्तिक विनियोग के अवसर अत्यन्त सीमित होने के साथ, बैंको के पास बडी मात्रा में रोकड सपत्ति (Liquid Balance) इकट्ठी हो गई। युद्ध के पश्चात् के वर्षो में, जब साख के लिये माग बढनी प्रारभ हुई तो बैंको ने रिजर्व बैंक से पुनर्भजन या हुडी के बट्टे पर ऋण लेने की अपेक्षा उमे ऋणपत्रों के विक्रय द्वारा, जिन्हे उस समय प्रचलित सस्ते द्रव्य की नीति के अनुसार बैंक ने तुरन्त ग्रहण कर लिया, पूरा करना अधिक अपेक्षाकृत समझा। केवल विलक्षण परिस्थितियों मे ही बैंक ऋण के लिये रिजर्व बैंक तक पहुँचे और उन्होंने सरकारी ऋण पत्रो को बधक रख कर ऋण लिया, तथा इन ऋणो की मात्रा बहुत कम रही। किन्तु सन् १९५२ के प्रारभ से बैंक बडी मात्रा में निभाव प्राप्त करने के लिये रिजर्व बैंक का उपयोग कर रहे हैं। देश मे आर्थिक विकास की तीव्र गति के कारण बढती हुई साख की माग के अतिरिक्त, उधार लेने के लिये बैंक का आश्रय अधिक लेने का कारण खुले बाजार की त्रियाओ से सबधित बैंक की नीति में परिवर्तन तथा साथ ही रिजर्व बैंक से बैंको द्वारा उधार लेने की सुविधा – हुडी बाजार की योजना का आरभ था।

नवम्बर सन् १९५१ के मध्य में साख के अत्यधिक प्रसार को रोकने की दृष्टि मे, रिजर्व बैंक ने बैंक दर ३ से बढा कर ३ १/२ प्रतिशत कर दी, साथ ही उसने यह घोषणा भी की कि, विलक्षण परिस्थितियो के अतिरिक्त वह अनुसूचित बैंको की ऋतुकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकारी ऋण पत्र नही खरीदेगा, परन्तु वह, जैसा सामान्यत. होता है, सरकारी एव अन्य अनुमोदित ऋणपत्रो के आधार पर बैंक दर पर अग्रिम देगा।

बिल बाजार की योजना जनवरी सन् १९५२ मे चालू की गई। विस्तृत रूप से, उसने रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व प्रणाली का अनुसरण किया। इसके अन्तर्गत इम्पीरियल बैंक आफ इडिया व्यस्त ऋतु में मुद्रा विभाग मे आतरिक बिलो अथवा हुडियों पर, जो वास्तविक व्यापार के अर्थ प्रबन्धन के लिये लिखी गई हो अथवा उसी उद्देश्य से दिये अग्रिमों को अवधि बिलो (Usance Bills) में परिवर्तित करके ऋण ले सकता था। इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इडिया ने योग्य

अनुसूचित बैंको को उनके सघटको के सावधि रुक्को के ऋणाधार पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ (४) (ग) के अनुसार माग ऋण देने का उत्तरदायित्व लिया। इस कार्य के लिये बैंको को अपने संघटको से ऋण, "ओवर ड्राफ्ट" रोकड ऋण (Cash Credit) के बदले में प्राप्त किये हुए माग रुक्कों को ९० दिन के अन्दर पूरे होनेवाले सावधि बिलो में परिवर्तित करना होता है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंको को स्वय उनके रुक्को पर जिन्हे उनके सघटको के माग रुक्को का समर्थन प्राप्त हो अग्रिम देने पर प्रतिबन्ध है क्योकि इस प्रकार के माग रुक्के धारा १७ (२) (क) के अन्तर्गत ग्राह्य पत्र नही है। दूसरे शब्दो में, इस व्यवस्था मे रिजर्व बैंक आफ इडिया से ऋण लेने के लिये बिलो को प्रतिभूति के रूप में बधक रखने का प्रावधान है किन्तु उससे उनके पुनर्भजन का नही है। इसलिये, ऋण लेनेवाले बैंको को यह छूट है कि बधक रखे किन्ही बिलो को वापस ले लें तथा उनकी अन्य ग्राह्य बिलो द्वारा पूर्ति कर दें। इस प्रकार बैंको को यह अवसर मिलता है कि वे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण लेकर तथा ऋण को कम करने के लिये राशि भेज कर अपने ब्याज के भार को कम कर सके। बैंको के सघटको के लिये, इस व्यवस्था में रोकड ऋण प्रणाली तथा विनिमय बिलों, दोनो के लाभो का समावेश है, ऋण लेनेवालों को ऋण लेने तथा लौटाने का अवसर जितना पहिले था, अब भी प्राप्त है। इस प्रकार बिल बाजार प्रणाली, वर्तमान बैंकिग की रीतियों को रिजर्व बैंक आफ इडिया एक्ट की आवश्यकताओ के अनुकूल बनाने का प्रयास है।

बिल बाजार व्यवस्था पहिले प्रयोग के रूप में चालू की गई तथा आरंभ में १० करोड़ रु या उससे अधिक जमा वाले बैंकों तक सीमित थी। इस व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये बैंक ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जानेवाले ऋण पर ३ प्रतिशत ब्याज लेना स्वीकार किया, जब कि बैंक दर ३ १/२ प्रतिशत थी तथा सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर ऋण देने की भी यह ही दर थी (धारा १७(४)(क))। बैंक ने बैंको द्वारा अपने सघटको के माग के रुक्को को अवधि बिलो में परिवर्तित करने के लिये दिये टिकट कर का आधा मूल्य भी स्वय देना स्वीकार कर लिया। यह टिकट कर की रियायत मार्च १९५६ में वापस ले ली गई। ब्याज की दर सबधी विशिष्ट रियायत भी दो क्रम में, १/४ प्रतिशत प्रत्येक बार, वापस ले ली गई, ऋण पत्रो के आमुख अग्रिम की दर इस ऋण पर नवम्बर सन् १९५६ से लागू कर दी गई। बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित बैंको की उधार लेने की वास्तविक दर, सरकार द्वारा अवधि बिलों पर स्टेम्प कर बढाने के फलस्वरूप, १ फरवरी सन् १९५७ से १/२ प्रतिशत और बढ गई। १६ मई सन् १९५७ से बैंक दर ३ १/२ प्रतिशत से ४ प्रतिशत बढाई जाने के कारण तथा साथ में अवधि बिलो पर स्टेम्प कर १ प्रतिशत के पाचवे भाग तक कम हो जाने के कारण, इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण लेने की वास्तविक दर इस समय ४ १/५ प्रतिशत है।

जनवरी सन् १९५२ में इसके आरभ के समय से, बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत लिये गये अग्रिम मे प्रति वर्ष वृद्धि हुई है। अधिकतम अप्राप्त रकम, जो १९५२ में २९.६ करोड रु. थी, २३ मार्च, १९५७ को बढ कर ७३.८ करोड़ रु. हो गई। मार्च १९५८ के अत में यह रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को दिये कुल अप्राप्त अग्रिम का ६३ प्रतिशत थी।

इस स्थान पर बैंकों की रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने की सुविधाओ से सबधित आम बातों की चर्चा करना उचित होगा। अनुसूचित बैंको को साख देने में, साधारण आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त बैंक, केवल ऋणाधार की प्रकृति पर ही नही (तथा बिलों के सबंध में व्यक्ति के ठोसपन, जिस उद्देश्य के लिये वह विशेष सूचना माग सकता है अथवा स्वतत्र खोज कर सकता है) प्रत्युत प्रार्थी बैंक की साधारण क्रियाओ के स्वरूप तथा उसके कार्य करने के ढग पर भी विचार करता है। बिना कारण दिये ऋण देने से मना करने का भी बैंक को अधिकार है। अनुसूचित बैंको को अल्पकालीन ऋण देने के अतिरिक्त, बैंक कृषि क्रियाओ के अर्थ प्रबन्धन के लिये, अथवा औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन के लिये ९० दिन से अधिक समय के लिये भी ऋण देता है, परन्तु इस प्रकार की साख साधारणतया अनुसूचित बैंको के अतिरिक्त अन्य माध्यम द्वारा प्रसारित होती है – जैसे राज्य सहकारी बैंक तथा राज्य वित्त निगम।

अनुसूचित बैंकों को उनके सघटकों के सावधि रुक्कों के ऋणाधार पर रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ (४) (ग) के अनुसार माग ऋण देने का उत्तरदायित्व लिया। इस कार्य के लिये बैंकों को अपने सघटकों से ऋण, "ओवर ड्राफ्ट" रोकड ऋण (Cash Credit) के बदले में प्राप्त किये हुए माग रुक्कों को ९० दिन के अन्दर पूरे होनेवाले सावधि बिलों में परिवर्तित करना होता है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को स्वयं उनके रुक्कों पर जिन्हें उनके सघटकों के माग रुक्कों का समर्थन प्राप्त हो अग्रिम देने पर प्रतिबन्ध है क्योंकि इस प्रकार के माग रुक्के धारा १७ (२) (क) के अन्तर्गत ग्राह्य पत्र नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, इस व्यवस्था में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से ऋण लेने के लिये बिलों को प्रतिभूति के रूप में बधक रखने का प्रावधान है किन्तु उससे उनके पुनर्भजन का नहीं है। इसलिये, ऋण लेनेवाले बैंकों को यह छूट है कि बधक रखे किन्हीं बिलों को वापस ले लें तथा उनकी अन्य ग्राह्य बिलों द्वारा पूर्ति कर दें। इस प्रकार बैंकों को यह अवसर मिलता है कि वे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण लेकर तथा ऋण को कम करने के लिये राशि भेज कर अपने ब्याज के भार को कम कर सकें। बैंकों के सघटकों के लिये, इस व्यवस्था में रोकड ऋण प्रणाली तथा विनिमय बिलों, दोनों के लाभों का समावेश है, ऋण लेनेवालों को ऋण लेने तथा लौटाने का अवसर जितना पहिले था, अब भी प्राप्त है। इस प्रकार बिल बाज़ार प्रणाली, वर्तमान बैंकिंग की रीतियों को रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास है।

बिल बाज़ार व्यवस्था पहिले प्रयोग के रूप में चालू की गई तथा आरभ में १० करोड रु. या उससे अधिक जमा वाले बैंकों तक सीमित थी। इस व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये बैंक ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जानेवाले ऋण पर ३ प्रतिशत ब्याज लेना स्वीकार किया, जब कि बैंक दर ३ १/२ प्रतिशत थी तथा सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर ऋण देने की भी यह ही दर थी (धारा १७(४)(क))। बैंक ने बैंकों द्वारा अपने सघटकों के माग के रुक्कों को अवधि बिलों में परिवर्तित करने के लिये दिये टिकट कर का आधा मूल्य भी स्वय देना स्वीकार कर लिया। यह टिकट कर की रियायत मार्च १९५६ में वापस ले ली गई। ब्याज की दर संबंधी विशिष्ट रियायत भी दो क्रम में, १/४ प्रतिशत प्रत्येक बार, वापस ले ली गई, ऋण पत्रों के आमुख अग्रिम की दर इस ऋण पर नवम्बर सन् १९५६ से लागू कर दी गई। बिल बाज़ार व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों की उधार लेने की वास्तविक दर, सरकार द्वारा अवधि बिलों पर स्टेम्प कर बढाने के फलस्वरूप, १ फरवरी सन् १९५७ से १/२ प्रतिशत और बढ गई। १६ मई सन् १९५७ से बैंक दर ३ १/२ प्रतिशत से ४ प्रतिशत बढाई जाने के कारण तथा साथ में अवधि बिलों पर स्टेम्प कर १ प्रतिशत के पाचवे भाग तक कम हो जाने के कारण, इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण लेने की वास्तविक दर इस समय ४ १/५ प्रतिशत है।

जनवरी सन् १९५२ में इसके आरभ के समय से, बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत लिये गये अग्रिम में प्रति वर्ष वृद्धि हुई हैं। अधिकतम अप्राप्त रकम, जो १९५२ में २९.६ करोड़ रु थी, २३ मार्च, १९५७ को बढ कर ७३.८ करोड़ रु. हो गई। मार्च १९५८ के अत में यह रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंको को दिये कुल अप्राप्त अग्रिम का ६३ प्रतिशत थी।

इस स्थान पर बैंको की रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने की सुविधाओ से सबधित आम बातो की चर्चा करना उचित होगा। अनुसूचित बैंको को साख देने में, साधारण आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त बैंक, केवल ऋणाधार की प्रकृति पर ही नही (तथा बिलो के सबध में व्यक्ति के ठोसपन, जिस उद्देश्य के लिये वह विशेष सूचना मांग सकता हैं अथवा स्वतत्र खोज कर सकता हैं) प्रत्युत प्रार्थी बैंक की साधारण क्रियाओं के स्वरूप तथा उसके कार्य करने के ढग पर भी विचार करता है। बिना कारण दिये ऋण देने से मना करने का भी बैंक को अधिकार हैं। अनुसूचित बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने के अतिरिक्त, बैंक कृषि क्रियाओ के अर्थ प्रबन्धन के लिये, अथवा औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन के लिये ९० दिन से अधिक समय के लिये भी ऋण देता है, परन्तु इस प्रकार की साख साधारणतया अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त अन्य माध्यम द्वारा प्रसारित होती है – जैसे राज्य सहकारी बैंक तथा राज्य वित्त निगम।

जहा तक रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई साख के मूल्य का प्रश्न है, बैंक दर जो रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ४९ के अनुसार "प्रमाणिक दर है जिस पर वह बैंक विनिमय बिलो अथवा अन्य त्रय करने के लिये ग्राह्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने अथवा पुनर्भंजन के लिये तैयार रहता है," प्रत्यक्ष रूप मे प्रयोग में नही आती। बैंक द्वारा दिये जानेवाले अग्रिम की दर ही महत्वपूर्ण है तथा इसको ही आम तौर से बैंक दर समझा जाता है। बैंक की निभाव दर के विस्तृत दृष्टिकोण से, हाल के वर्षो में बैंक दर का अधिक महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका महत्व इस तथ्य में है कि यह उस दर की आधार होती है जिस पर बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण लेनेवालो को, जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे भी शामिल है, ऋण देता है। रिज़र्व बैंक की ऋण दरो का ढाचा अपेक्षत सादा है। कुछ केन्द्रीय बैंको के समान यहा ब्याज की अनेक दरे नही है। भारतीय प्रणाली में केन्द्रीय बैंक की ऋण दरों का मुख्य अंतर, जैसा कि छठे परिच्छेद में विवरण है, कृषि साख के लिये कम दर पर ऋण देना है।

बैंक की स्थापना के समय से नवम्बर १९५१ के मध्य तक बैंक दर में परिवर्तन नही हुआ। उस समय तक यह स्पष्ट हो गया कि १९५०-५१ की व्यस्त ऋतु में बैंक की साख मे अत्यधिक विस्तार तथा १९५१ की मदी की ऋतु में बैंक साख की अधिक माग के कारण व्यापारिक क्षेत्रो मे सट्टे के निवेश को प्रोत्साहन मिला, इसने शायद अदायगी शेष मे घाटे को भी, जो १९५१ की दूसरी तिमाही से बढता जा रहा था, और बढाया। इन्ही परिस्थितियो मे रिज़र्व बैंक की नई मुद्रा नीति का १५ नवम्बर सन् १९५१ को सूत्रपात हुआ, बैंक दर ३ प्रतिशत से बढाकर ३ १/२ प्रतिशत कर दी गई, तथा एक नई खुले बाज़ार की नीति का सूत्रपात किया गया। इन परिवर्तनो के प्रभाव ब्याज दर मे वृद्धि तथा बैंको द्वारा सार्वजनिक ऋण के द्रव्यीकरण के द्वारा बैंकिंग प्रणाली के द्रवत्व (Liquidity) के स्वचलित विस्तार का रुक जाना हुआ। इसके फलस्वरूप बैंको की साख की ऋतुकालीन माग की पूर्ति के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा दी हुई ऋण सुविधाओ का अधिक मात्रा में आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पडा। इस प्रकार १९५१ में रिज़र्व बैंक का बैंकिग प्रणाली के ऊपर पहिले से अधिक नियत्रण हो गया। बैंक दर—अथवा बिलो के ऋणाधार ऋण देने की दर १५ मई सन् १९५७ तक ३ १/२ प्रतिशत रही, तब उसको ४ प्रतिशत तक बढा दिया गया। परन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अवधिवाले बिलो पर स्टेम्प कर में अधिक वृद्धि होने के कारण, जिसे वित्त मन्त्री ने "मौद्रिक इरादे से राजकोषीय कदम" बताया, १ फरवरी १९५७ से ऋण लेने की वास्तविक दर ४ प्रतिशत तक बढ गई। उसी तिथि से सरकारी ऋणपत्रो के आमुख रिज़र्व बैंक के अग्रिम की दर भी ४ प्रतिशत तक बढा दी गई। १५ मई १९५७ से, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बिलो के आमुख अग्रिम की दरो मे वृद्धि के द्वारा, दरो मे समानता स्थापित हो गई। अन्य बाज़ार की दरो पर इन परिवर्तनो का प्रभाव पडा। बैंक दर बाज़ार की दर के ढाचे का प्रधान नियमनकर्ता है।

इन वर्षों में बैंक ने अपने ऋण तथा खुले बाज़ार की क्रियाओ द्वारा ब्याज दर के स्तर में साधारणतया तथा अविलम्ब राशि तथा बाज़ार की बिल दरो में विशेषत: कमी करने में तथा ब्याज की दरों मे ऋतुकालीन उथलपुथल को, जो बैंक की स्थापना से पूर्व भारतीय मुद्रा बाज़ार का एक महत्वपूर्ण लक्षण रही है, कम करने मे पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

खुले बाजार की क्रियाएं

साख नियत्रण के अन्य साधनो मे, खुले बाज़ार की क्रियाओ, याने सरकारी ऋण-पत्रो के क्रय-विक्रय का, रिज़र्व बैंक द्वारा अधिक मात्रा मे उपयोग किया गया है। भारत में वैधानिक एव सस्थानात्मक स्थिति साधारणतया खुले बाजार की क्रियाओ के लिये अनुकूल है। धारा १७ की (८) तथा (८ क) उप-धाराओ के अनुसार बैंक को अधिकार प्राप्त है कि वह (अ) किसी भी अवधि के केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के ऋणपत्रो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशो पर निर्दिष्ट स्थानीय सत्ता के ऋणपत्रो का क्रय विक्रय करे; मूलधन तथा ब्याज के लिये किसी सरकार अथवा सत्ता की पूर्णत गारन्टी प्राप्त ऋणपत्र उस वाक्य खड के लिये उस सरकार अथवा सत्ता के ऋण-पत्र माने जाते हैं; तथा (आ) स्टेट बैंक आफ इडिया अथवा किसी भी अन्य बैंक अथवा वैत्तिक सस्था के, जिसे इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने निर्दिष्ट किया हो, शेयरो तथा पूजी के क्रय-विक्रय में भाग ले। इस प्रकार, वर्तमान समय मे, बैंक द्वारा खरीदे जानेवाले ऋणपत्रो की मात्रा अथवा अवधि पर कोई प्रतिबन्ध नही है। सरकारी ऋणपत्रो को खरीदने तथा रखने की प्रथा विस्तृत हो गई है, यद्यपि वह अधिकतर सस्थानात्मक विनियोग तक ही सीमित है, इनमे बैंक सबसे महत्वपूर्ण है तथा दूसरा नम्बर जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) का आता है जिसको विधान के अन्तर्गत अपनी परिसपत्ति का अधिकाश भाग सरकारी तथा अन्य न्यासधारी ऋणपत्रो मे रखना होता है। सयुक्त राज्य अमेरिका (U.S A) तथा यू के (U.K) की प्रथा के विपरीत, भारत मे सुविकसित राज्य कोष पत्र बाज़ार के न होने के कारण, खुले बाज़ार के सौदे मुख्यत राज्य कोष पत्रो में होने के बजाय सरकारी बाडो में होते रहे है। मन्दी की ऋतु मे, साधारणतया वाणिज्य बैंक अपनी बचत को सरकारी ऋणपत्रो मे विनियोग करते है जिन्हे वे व्यस्त ऋतु मे उद्योग तथा वाणिज्य के लिये साख का विस्तार करने के लिए बेच देते है, अथवा उनके आमुख ऋण लेते है। साधारणतया इन ऋणपत्रो में व्यापार करने के लिये रिज़र्व बैंक तैयार रहता है। खुले बाजार की क्रियाओ का पथ प्रदर्शन साख की सामान्य स्थिति तथा बैंको की आवश्यक्ताओ द्वारा ही नही होता, परन्तु सरकार द्वारा ऋण लेने की आवश्यक्ताओं द्वारा भी होता है। सरकार का बैंकर होने के नाते बैंक का यह कर्त्तव्य है कि वह उत्तम ऋणपत्र (Gilt Edged) बाजार मे सरकार द्वारा ऋण लेने तथा उनके भुगतान को पूरा करने के लिये अनुकूल

स्थिति पैदा करे। दूसरी ओर सरकार की ऋण संबंधी क्रियाएं इस प्रकार आयोजित होती हैं, जिससे जहां तक संभव हो सके, वे द्रव्य तथा पूंजी बाजारों की सामान्य स्थिरता के साथ समन्वय स्थापित कर सके।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व बैंक की खुले बाज़ार की क्रियाओं की मात्रा अपेक्षतः कम थी। युद्ध काल में धन राशि के लिये अन्य निकास न होने के कारण, बैंक तथा अन्य संस्थानात्मक विनियोजक, सरकारी ऋणपत्रों में अपने निवेश बढ़ाते चले गये, तथा बैंक की क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य सरकारी ऋण प्राप्ति को सहायता देना था। युद्ध पश्चात् के वर्षों में, बैंकों की साख विस्तार के लिये नकद राशि की आवश्यकता की पूर्ति के लिये, जो युद्ध काल में बहुत कम हो गई थी, बैंक की क्रियाएं मुख्यतः ऋणपत्रों को क्रय करने की दिशा में रहीं। बैंक की खरीद १९४८-४९ तथा १९५०-५१ में विशेषतः अधिक रही, अंतिम वर्ष कोरिया के युद्ध के कारण व्यवसाय में तेजी का था। बैंक द्वारा ऋणपत्रों को अपेक्षतः स्वतन्त्रतापूर्वक क्रय करने की इस नीति में, जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, नवम्बर १९५१ के मध्य में परिवर्तन किया गया। यह संशोधित नीति लगभग पांच वर्ष तक चली, तथा इस अवधि में बैंक लगभग ५० करोड़ रु के ऋणपत्रों की निवल बिक्री कर सका जब कि १९४८-५१ में उसकी कुल निवल खरीद २०० करोड़ रु से कुछ अधिक थी। परन्तु नवम्बर १९५६ से बैंक उत्तम ऋणपत्र बाजार को, मुद्रा बाजार में तंगी को दूर करने के उद्देश्य से, विवेचनापूर्ण (Discriminating) सहारा देने लगा। सर्वथा क्रय-विक्रय के अतिरिक्त, बैंक विस्तृत रूप में सवियुक्त (Switch) क्रियाओं, अर्थात् आय का नियमित रूप बनाये रखने तथा विनियोजकों की, अवधि की वितरण नीति से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक ऋण को बेच कर दूसरे को खरीदने या इसके विपरीत क्रिया में संलग्न रहता है। परन्तु १९५७ के मध्य से फिर ऋणपत्रों की बिक्री पर अधिक जोर दिया जा रहा है तथा बैंक द्वारा ऋणपत्रों की खरीदारी बिक्री से काफी ज्यादा रही है।

अस्थिर प्रारक्षण आवश्यकताएं

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ४२ (१) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों के लिये यह आवश्यक था कि वे रिज़र्व बैंक के पास अपने माग देयता (Demand Liability) का ५ प्रतिशत तथा सावधि देयता* का २ प्रतिशत नकद प्रारक्षण रखें। परन्तु १९५६ के संशोधन एक्ट से बैंक को, अनुसूचित बैंकों के माग देयता

* बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट १९४९ की धारा १८ के अनुसार अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी के लिये भी आवश्यक है कि वह अपने पास अथवा रिज़र्व बैंक के पास अथवा दोनों के पास अपने सावधि देयता का न्यूनतम २ प्रतिशत तथा माग देयता का ५ प्रतिशत नकद प्रारक्षण रखे।

से सबंधित आवश्यक प्रारक्षण को ५ तथा २० प्रतिशत के बीच तथा सावधि देयता से सबंधित प्रारक्षण को २ तथा ८ प्रतिशत के बीच परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली की लोचदार क्रिया को सहज करने के लिये, रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दे दिया गया कि वह बैंको के लिये यह आवश्यक कर दे कि वे रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त नकद प्रारक्षण भी रखें, जिसे सावधि देयता तथा माग देयता (Demand Liability) की, रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किसी आधार तिथि को, इन ऋणो के स्तर से अधिकता के अनुसार निर्धारित किया जाय, इस प्रावधान के साथ कि किसी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखा कुल प्रारक्षण उसके माग देयता के २० प्रतिशत तथा सावधि देयता के ८ प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य अतिरिक्त रक्षित निधि की क्रियाओं मे जिस समय बैंको द्वारा नये निक्षेपों की प्राप्ति अति असम हो, स्थिरता की स्थापना करना है (Ensure Equity)। एक्ट में यह भी प्रावधान है कि रिजर्व बैंक अपने निर्णय पर प्रारक्षण की राशि पर जो माग देयता के न्यूनतम ५ प्रतिशत तथा सावधि देयता के दो प्रतिशत से अधिक हो, समय समय पर स्वय अपने द्वारा निर्धारित दर अथवा दरो पर ब्याज दे। परन्तु ब्याज का भुगतान बैंक के लिये आवश्यक वैधानिक न्यूनतम आधिक्य (Balance) बनाये रखने पर अवलबित है। अभी तक बैंकों के आवश्यक प्रारक्षण मे परिवर्तन करने के इन प्रावधानो का उपयोग नहीं किया गया है। सभी अनुसूचित बैंक परिनियत अल्पिष्ट से अधिक आधिक्य रखते हैं, यह अधिकता स्वय विभिन्न ऋतुओ में बदलती रहती है। (नीचे चित्र देखिए)।

विवेचनात्मक (Selective) एवं प्रत्यक्ष साख नियमन

पिछले अनुच्छेदो मे पर्यालोकित साख नियत्रण के साधन जिन्हे साधारणतया सामान्य अथवा मात्रा सबधी साख नियत्रण के तरीको के नाम से पुकारा जाता है रिजर्व बैंक द्वारा साख की कुल मात्रा का नियमन करना सभव बनाते हैं, किन्तु आर्थिक क्रियाओ के किसी विशेष क्षेत्र को दी जानेवाली साख को नही। विशेष उद्देश्यो अथवा आर्थिक क्रियाओं की शाखाओ को दी जानेवाली साख का नियमन विवेचनात्मक अथवा गुणात्मक साख नियत्रण कहलाता है। इसका उद्देश्य उन क्रियाओ को जो आवश्यक समझी जाती हैं अथवा विशेष रूप से वाछित हैं प्रोत्साहन देना तथा उनको जो अपेक्षत. अनावश्यक अथवा कम वाछित समझी जाती है हतोत्साहित करना है। आवश्यक अथवा वांछित होने का मापदड, वास्तव मे, सदा एक-सा नही रहता। पिछले वर्षो में अनेक केन्द्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के विवेचनात्मक साख साधनो का, कभी स्वतन्त्र रूप से तथा प्राय. सामान्य साख साधनों के साथ, प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु प्राप्त अनुभव से विदित होता है कि उनकी सामान्य मात्रा सबधित (Quantitative) साख नियंत्रण के साथ प्रयोग होने से उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ जाता है। विवेचनात्मक साख नियत्रण के अतिरिक्त, अनेक देशो मे केन्द्रीय बैंक

अलग अलग बैंकों तथा साथ ही कुल बैंकिंग प्रणाली द्वारा दिए गए अग्रिम तथा विनियोगों की कुल मात्रा और साथ ही उसके वितरण पर प्रत्यक्ष नियमन के अधिकार प्राप्त कर रखे हैं।

बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट की धारा २१ रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा इस प्रकार है:

"(१) जब रिज़र्व बैंक सन्तुष्ट हो कि यह जनहित में आवश्यक है, तो वह अग्रिम संबंधी बैंकिंग कंपनियों की सामान्य नीति अथवा किसी विशेष बैंकिंग कंपनी की नीति को निर्धारित कर सकता है, तथा नीति निर्धारित होने पर सब बैंकिंग कंपनियाँ अथवा विशेष बैंकिंग कंपनी इस प्रकार निर्धारित नीति पर चलने के लिये बाध्य होंगी।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को प्राप्त अधिकार की सत्ता को कम किये बिना रिजर्व बैंक बैंकिंग कंपनियों को सामान्य रूप से अथवा किसी

एक बैंकिंग कंपनी अथवा कंपनियों के विशेष समुदाय को, उन उपयोगों से संबधित जिनके लिये अग्रिम प्रदान किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, रक्षित अग्रिम पर रखे जानेवाले अन्तर तथा अग्रिम की ब्याज की दर से संबंधी, आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक बैंकिंग कंपनी इस प्रकार दिये गये आदेशों पर चलने के लिये बाध्य होगी।"

धारा ३५ (क) जिसका प्रारंभ १९५७ में हुआ रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों को आदेश देने के निम्नलिखित अधिकार प्रदान करती है

"(१) जब रिज़र्व बैंक निश्चित हो जावे कि

(क) राष्ट्रीय हित में, अथवा

(ख) किसी बैंकिंग कंपनी का संचालन यदि जमा कर्ताओं के हित के प्रतिकूल हो अथवा बैंकिंग कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो, तो उसे रोकने; अथवा

(ग) किसी बैंकिंग कंपनी का सामान्यतः अच्छा संचालन स्थापित करने के लिए,

सामान्यतः बैंकिंग कंपनियों को अथवा किसी विशेष बैंकिंग कंपनी को आदेश देना आवश्यक है, तो वह समय समय पर उचित आदेश दे सकता है तथा बैंकिंग कंपनियां अथवा बैंकिंग कंपनी उन आदेशों पर चलने के लिए बाध्य होगी;

(२) कहे जाने पर, अथवा स्वयं अपनी इच्छा से, रिजर्व बैंक यदि चाहे तो, उपधारा (१) के अन्तर्गत दिये गये आदेश में परिवर्तन अथवा उसे रद्द कर सकता है, तथा इस प्रकार किसी आदेश में परिवर्तन अथवा उसे रद्द करते समय वह उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है, तथा परिवर्तन अथवा रद्द होना उनके अधीन होंगे।"

इसके अतिरिक्त उसी एक्ट की धारा ३६ (१) (क) के अन्तर्गत, "रिज़र्व बैंक सामान्य रूप से बैंकिंग कंपनियों का अथवा किसी विशेष बैंकिंग कंपनी को किसी विशेष देन लेन अथवा किसी श्रेणी के देन लेन करने के बारे में सचेत कर सकता है अथवा उसे रोक सकता है, तथा किसी बैंकिंग कंपनी को सामान्य रूप से परामर्श दे सकता है।"

समय समय पर बैंक ने परिपत्रों (Circular Letter) द्वारा बैंकों को सामान्य रूप से ऋण देने अथवा सूचित माल तथा शेयरों की प्रतिभूति पर ऋण देने में सचेत रहने के लिये आदेश दिया है। परन्तु लगभग १९५६ के मध्य से ही, बैंक ने बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट के अन्तर्गत आदेश देने के अधिकारों का नियमपूर्वक प्रयोग करना

प्रारम्भ किया है। १९५६ के प्रारंभ में, यह विदित हुआ कि १९५५-५६ की व्यस्त ऋतु में बैंक द्वारा साख विस्तार का एक बड़ा भाग खेतीहर पदार्थों के सट्टे के लिये काम में लाया गया। इसलिये रिज़र्व बैंक ने, आवश्यक देखरेख रखने के उद्देश्य से, बैंकों को चुने हुए ऋणपत्रों के आमुख अग्रिम की रकम से सबंधित सूचना माह में दो बार देने का आदेश दिया। बाद में मई १९५६ में बैंक ने बैंकों को धान तथा चावल की प्रतिभूति पर अग्रिम को सीमित करने तथा इन पदार्थों के आमुख अधिक अन्तर (Margins) बनाये रखने का आदेश जारी किया।

१३ सितम्बर १९५६ को इस विवेचनात्मक नियंत्रण को विस्तृत करके उसे बैंकों द्वारा अन्य अनाज, चना तथा दूसरी दालों, तथा रुई के उत्पादित सामान के आमुख दिये जानेवाले अग्रिम पर भी लागू कर दिया गया। लोच, बैंक द्वारा साख नियंत्रण का लक्षण रहा है। इस तथ्य का प्रदर्शन नियंत्रण की विधियों को उनका जारी रहना अनावश्यक हो जाने पर वापस लेने अथवा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करने द्वारा हुआ। इस प्रकार नवम्बर १९५६ में धान तथा चावल के आमुख अग्रिम संबंधी आदेश, नई फसल के स्थानान्तरण (Movement) के हेतु अर्थ प्रबन्धन को सहज करने के उद्देश्य से वापस ले लिया गया, यह प्रतिबंध ९ फरवरी १९५७ को फिर लागू कर दिया गया। रुई के पक्के माल संबंधी माल आदेश अपेक्षतः प्रयोग में आने के कुछ ही समय बाद वापस ले लिया गया। यद्यपि साधारणतया बैंकों ने रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर दिये गये परामर्शों का पालन किया, परन्तु कुछ के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनीज एक्ट की धारा ३६ (१) (क) द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करना पड़ा तथा उन बैंकों द्वारा निश्चित अवधि के लिये रिज़र्व बैंक की पूर्व आज्ञा के बिना निश्चित मात्रा से अधिक अग्रिम देने पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। यद्यपि विवेचनात्मक साख के क्षेत्र में बैंक का अनुभव बहुत सीमित है, तथापि यह विश्वास किया जा सकता है कि साख नियंत्रण साधनों के साथ साथ इन शक्तियों के उचित उपयोग द्वारा बैंक साख प्रणाली का नियमन कर सकेगा।

यह बताना आवश्यक है कि बैंक के विवेचनात्मक एवं प्रत्यक्ष साख नियमन के अधिकार समान रूप से अनुसूचित तथा अन-अनुसूचित बैंकों पर लागू होते हैं, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट सभी कंपनियों पर लागू होता है। किन्तु व्यवहार में यह आदेश अनुसूचित बैंकों तथा कुछ बड़े अन-अनुसूचित बैंकों को ही दिये गये हैं क्योंकि छोटे बैंकों की एक बड़ी संख्या के नियंत्रण करने में प्रबन्ध संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

नैतिक प्रभाव (Moral Suasion)

पूर्व लिखित साख नियमन के मात्रा संबंधी एवं गुणात्मक उपायों के अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि इस देश में नैतिक प्रभाव की दिशा में भी प्रयत्न किये गये।

सितम्बर १९४९ मे रुपये के अवमूल्यीकरण के पश्चात्, बैंक के प्रबन्धकर्ता (*Governor*) ने प्रमुख बैंकिंग व्यवसाइयो की एक सभा का आयोजन किया जिसमें उनसे सट्टे की क्रियाओ के लिये अग्रिम देने पर रोक लगा कर अधिकारियो को सहयोग देने की प्रार्थना की गई। इसी प्रकार जून १९५७ मे रिज़र्व बैंक के प्रबंधकर्ता ने व्यापारिक बैंको को एक परिपत्र लिखा जिसमें उनसे उद्योगो को दी जानेवाली सहायता में कमी किये बिना, उनके विशेषतः खेती सबंधी पदार्थों के आमुख अग्रिम देने में निश्चित कमी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके एक माह पश्चात् प्रबन्धकर्ता ने प्रमुख व्यवसायियो का एक सम्मेलन बुलाया जिसमे अग्रिम के स्तर में अधिक मात्रा में (उस समय के ९३७ करोड रु. के स्तर से ८०० करोड रु. तक) कमी करने की आवश्यकता का महत्व उन्हे समझाया गया, कमी करने के उद्देश्य की प्राप्ति प्रायः हो गई। यद्यपि भारतीय बैंकिंग यू.के. के बैंकिंग के समान केन्द्रित नहीं है, तथापि जमा साधनो का अधिकाश भाग लगभग एक दर्जन बैंको में केन्द्रित होने के कारण बैंक के प्रबन्धकर्त्ताओं तथा बैंको में समय-समय पर अनौपचारिक विचार विमर्श होना सभव होता हैं तथा नैतिक प्रभाव द्वारा कुछ परिणामो की प्राप्ति हो जाती है।

साख नियमन के अधिकारो के अतिरिक्त बैंकिंग कपनीज़ एक्ट के अतर्गत बैंक को जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा तथा बैंकिंग प्रणाली के नियमबद्ध विकास के उद्देश्य से, प्रबन्ध तथा सामान्य नियमन सबधी विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार रिज़र्व बैंक में वे अनेक प्रकार्य सम्मिलित हे जो सयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) में अनेक सस्थाओ में वितरित है, जैसे फेडरल रिज़र्व प्रणाली के प्रबन्धको के बोर्ड, मुद्रा के नियंत्रणकर्ता (Comptroller of Currency), सघ जमा बीमा आयोग (Federal Deposit Insurance Corporation) (जो बीमा किये बैंको का निरीक्षण करता है) तथा बैंको के लिये राज्य निरीक्षण अधिकारी, तथा जो कुछ योरप के देशों मे केन्द्रीय बैंको के रजिस्ट्रारो अथवा निरीक्षको में बँटे होते हैं। इन अन्य प्रकार्यो तथा बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट के अन्तर्गत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का विवरण अगले परिच्छेद मे दिया गया है।

(४)

बैंकों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण

लाइसैंस देना (Licensing)

बैंकिंग कपनीज़ एक्ट एक विस्तृत विधान है जिसके अन्तर्गत बैंको तथा उनकी शाखाओं के खोलने के, उनके काम काज तथा परिसमापन (Liquidation) की चर्चा है। एक्ट की धारा २२ के अनुसार बैंको के लिये यह आवश्यक है कि वे भारत में बैंकिंग व्यापार को चलाने अथवा आरभ करने के लिये रिज़र्व बैंक से लाइसैंन्स प्राप्त करे। इस आवश्यकता का उद्देश्य केवल उन बैंको की नित्यता तथा प्रगति को, जो ठीक प्रकार स्थापित हैं तथा कार्य कर रहे हैं, सभव करना तथा बैंकिंग कपनियो की अविवेचनापूर्ण स्थापना को हतोत्साहित करना (पूजी जारी पर नियत्रण के सहयोग से) हैं। वे बैंक जो बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट के लागू होने से पूर्व कार्य कर रहे थे, जिस समय तक उन्हे लाइसैंन्स प्रदान करने को मना नही कर दिया जाय, अपना बैंकिंग व्यापार जारी रख सकते हैं। लाइसैंन्स देने से पूर्व, सामान्यत. रिज़र्व बैंक बहियो तथा खातो तथा कार्य करने के तरीको के निरीक्षण से यह देख लेता है कि बैंक अपने जमाकर्ताओ को, जब वे माग करे, पूरा रुपया दे सकता है तथा उसकी कार्य प्रणाली जमाकर्ताओ के हितो के प्रतिकूल नही है। विदेशो में इन्कॉरपोरेटेड बैंको के लिये एक अतिरिक्त आवश्यकता यह भी है कि उस देश मे जिसमें उनका इन्कारपोरेशन हुआ हो उस देश का विधान अथवा सरकार भारत में इन्कारपोरेटेड बैंको के प्रति भेद की नीति नही वरतते हो। बैंकिंग कपनीज एक्ट के चालू होने के समय से ३१ मार्च, १९५८ तक ४७ अनुसूचित बैंको (Scheduled) तथा ६ अन-अनुसूचित बैंको (Non-Scheduled) को लाइसैन्स दिया जा चुका है; यद्यपि यह सख्या अनुसूचित बैंको की लगभग आधी तथा अन-अनुसूचित बैंको का एक बहुत छोटा सा भाग है, तथापि स्टेट बैंक आफ इडिया तथा तीन बडे राज्य से सबधित बैंको को, जिन पर लाइसैंन्स प्राप्त करने के प्रावधान लागू नही होते, मिला कर देश की कुल बैंकिंग कपनियों की जमा का ९३ प्रतिशत भाग इनके पास है।

बैंको को लाइसैन्स देने मे सबधित नीति इस प्रकार है :—

निरीक्षण के पश्चात् उनकी कार्य प्रणाली के दोषों की सूचना उन्हे दे दी जाती है तथा उन दोषो को दूर करने को उनसे कहा जाता है, तथा रिज़र्व बैंक उनकी कार्य

प्रणाली के दोषो को दूर करने की प्रगति को देखने के लिये उनसे समय-समय पर रिपोर्ट मंगाता है। जहां आवश्यकता होती है, बैंको को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी स्थिति को दृढ करने के लिये, बैंक से पूछ कर, बैंकिंग सलाहकारो की नियुक्ति करें। बैंकिंग कंपनीज़ (सशोधन) एक्ट (१९५६) के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि बैंको के मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारियो की नियुक्ति, अथवा पुन. नियुक्ति, अथवा वेतन से सबधित प्रावधानों मे सशोधन रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति से हो। यदि आवश्यक हो तो बैंक अपने अधिकारियों को नियुक्त कर देता है कि वे अवलोककों के रूप में समय-समय पर स्वयं जाकर तथा डाइरेक्टरो के बोर्ड की सभाओ में उपस्थित होकर, बैंकों का काम काज देखे। जब कोई बैंक तनिक भी प्रगति करता नही दिखाई पडता तो ऐसी गंभीर स्थिति में लाइसैंन्स न देने का कदम उठाया जाता है। इस प्रकार, ३१ मार्च १९५८ तक २ अनुसूचित बैंकों तथा १११ अन-अनुसूचित बैंकों को लाइसैन्स देने से इन्कार किया गया। इनमे से एक अनुसूचित बैंक पुर्तगाली बैंक था जिसको लाइसैंन्स न दिये जाने का कारण, पुर्तगाल की सरकार का अपनी भारत की बस्तियों मे भारतीय बैंको को शाखा खोलने से मना करने से उनके प्रति भेद की नीति बरतना था। निरीक्षण का पहिला दौर पूरा हो चुका है तथा कई बैंको का एक से अधिक बार निरीक्षण हो चुका है।

पूंजी, प्रारक्षण तथा रोक-परिसंपत्ति (Liquid Assets)

जमाकर्ताओ के हितों की रक्षा बैंकों की न्यूनतम पूजी तथा प्रारक्षण के निर्धारण द्वारा भी होती है। यह बैंकों की क्रियाओ के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कम अधिक होते है। चुकती पूजी तथा प्रारक्षण की न्यूनतम आवश्यकता इस प्रकार है – बैंक का कार्य-क्षेत्र बम्बई तथा कलकत्ते के अतिरिक्त किसी स्थान पर कार्यालय से (जब यह ५०,००० रु. होती है) राज्य की सीमाओं के बाहर विस्तार होने पर (५ लाख रुपये) तथा बम्बई तथा कलकत्ता नगरो में यह आवश्यकता न्यूनतम १० लाख रु. निश्चित की गई है।* एक अन्य नियत्रण का प्रावधान नकदी तथा अन्य रोक परिसंपत्ति के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने से सबधित है। जैसा कि इससे पूर्व (२८ पृष्ठ पर) लिखा जा चुका है, अनुसूचित बैंको के लिये यह आवश्यक है कि वे बैंक के पास न्यूनतम शेष रोकड रखें तथा अन-अनुसूचित बैंको के लिये बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट

* भारत से बाहर इन्कारपोरेटेड बैंकिंग कपनी के लिये यह आवश्यक है कि उसकी चुकती पूजी तथा प्रारक्षण का योग १५ लाख रु. से कम नही होना चाहिये, तथा यदि उसके व्यापार का स्थान बम्बई या कलकत्ता या दोनो नगर है तो वह रकम २० लाख रुपया होनी चाहिए, तथा इस रकम को नकद अथवा अबधित ग्राह्यऋण पत्रों के अथवा कुछ नकद तथा कुछ इस प्रकार के ऋणपत्रों के रूप में रिज़र्व बैंक के पास जमा होना चाहिये।

के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि वे माग तथा सावधि देयता का क्रमानुसार ५ तथा २ प्रतिशत न्यूनतम नकद अधिकाय रखें। बैंकिंग कपनीज़ एक्ट में सब बैंकों द्वारा द्वितीयक प्रारक्षण रखने का भी प्रावधान है; धारा २४ के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि बैंकों के पास किसी भी दिन व्यापार की समाप्ति के समय भारत में अपने माग तथा सावधि देयता के योग का न्यूनतम २० प्रतिशत नकदी, सोना अथवा अवधित ग्राह्य ऋणपत्रों के रूप में हो। इस देश में व्यापार कर रहे विदेशी बैंको के सम्बन्ध में इस बात का इतमीनान करने के लिये कि उनके भारत में प्राप्त किये साधन इसी देश में निवेश किये जाते है, धारा २५ के अन्तर्गत बैंकों के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक तिमाही के अन्त में भारत में उनकी परिसपत्ति उनकी माग तथा सावधि देयता के पचहत्तर प्रतिशत से कम नही होनी चाहियें। साथ ही, धारा १७ में यह प्रावधान है की भारत में समामेलित प्रत्येक बैंकिंग कपनी लाभांश की घोषणा करने से पूर्व अपने निबल लाभ का न्यूनतम २० प्रतिशत प्रारक्षित निधि में अन्तरण उस समय तक करे जब तक कि वह निधि उसकी प्राप्त पूजी के बराबर न हो जाय।

शाखा विस्तार

बैंक द्वारा पर्यवेक्षण का दूसरा पहलू बैंको की शाखाओ के विस्तार के ऊपर नियत्रण से सबधित है। एक्ट की धारा २३ के अनुसार बैंको के लिये भारत या विदेश में नई शाखायें खोलने तथा स्थापित कार्यालयो के स्थान परिवर्तन के लिये रिजर्व बैंक की आज्ञा लेना आवश्यक है। यदि बैंक सतुष्ट हो कि सबधित बैंक की अवस्था तथा प्रबन्ध ठीक है, शाखा द्वारा आय उपार्जन करने की काफी आशा है, तथा शाखा के खुलने अथवा स्थापित शाखा के स्थान परिवर्तन से जनहित को लाभ पहुँचेगा तो बैंक की इजाजत मिल जाती है। शाखा विस्तार के ऊपर नियत्रण की आवश्यकता तब पडी जब द्वितीय युद्ध काल में अविवेचनापूर्ण शाखा विस्तार के कारण, बडे बडे नगरो मे जमाव बढता गया जब कि देश के मुख्य भाग बैंकिंग साधनो से बचित थे अथवा वहा बैंकिंग साधन अपर्याप्त थे।

नियत्रण के आरभ से इस अनुचित विकास को ठीक करने का विचार रहा है। यह इस तथ्य से प्रत्यक्ष है कि तीन चौथाई से अधिक शाखायें, जिनके खोले जाने की अनुमति प्राप्त हुई है, उन स्थानो में है जिनकी जन सख्या ५०,००० या उससे कम है। स्टेट बैंक आफ इडिया के शाखा विस्तार का जिक्र करना भी उचित होगा। इस बैंक पर यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी स्थापना से ५ वर्ष के अन्दर अथवा सरकार द्वारा बढाई गई अवधि के अन्दर, उन ग्रामीण इलाको में जहा व्यापारी बैंक पहुँचने के इच्छुक नहीं हैं, बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिये तथा साथ ही वाणिज्य तथा सहकारी बैंको को प्रेषण की अधिक मात्रा मे सुविधाए देने के उद्देश्य से ग्रामीण अथवा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में ४०० शाखाए खोले। राज्य कोष का व्यापार, वर्तमान बैंकिंग

सुविधाओं की मात्रा तथा भंडागार के साधनों की उपलब्धि नई शाखायें खोलने के केन्द्रों को चुनने के कुछ मुख्य आधार हैं। विदेशों में शाखायें खोलने पर नियंत्रण का मुख्यतः उद्देश्य भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाओं की अच्छी बैंकिंग परम्पराओं को बनाये रखना हैं। व्यवहार में, बैंक की शाखा विस्तार के नियंत्रण से संबंधित नीति कुछ समय से काफी नरम हो गई है, तथा नीति में इस प्रकार के विस्तार को प्रोत्साहन देने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

निरीक्षण

शायद कानून द्वारा रिज़र्व बैंक को पर्यवेक्षण संबंधी प्राप्त शक्तियों में सब से महत्वपूर्ण बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण करने की शक्ति हैं। बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट की धारा ३५ के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक किसी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है; विशेषतः बैंक को निरीक्षण का, जाच करने अथवा एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत निर्दिष्ट मामलों से संबंधित स्थिति के निर्धारण का अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एक्ट की धारा ११ के अनुसार पूंजी के पर्याप्त होने, लाइसैंन्स प्राप्त करने के लिये उपयुक्त (धारा २२) शाखाओं के खोलने (धारा २३), समामेलनों (Amalgamations) (धारा ४४(क)), व्यापार के स्थगन तथा ऋणदाताओं/सदस्यों के साथ समझौतों इत्यादि (धाराएं ३७ तथा ४५), अथवा बैंक के आदेशों के पालन (धारा २१) के संबंध में अपनी संतुष्टि के ऊपर बैंक जोर दे सकता है।

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बैंकों का ध्यान उनके कामकाज के दोषों की ओर दिला कर उन्हें उत्तम बैंकिंग की परम्पराओं को विकसित करने में सहायता देना है। निरीक्षण के दौरान में रिज़र्व बैंक, बैंक के काम काज का परीक्षण करता है। विशेष ध्यान, कार्य करने के तरीकों, निवेश तथा उधार देने की नीतियों, परिसंपत्ति की दशा, संचालन के गुण तथा विभिन्न परिनियत प्रावधानों का कहां तक पालन किया हैं इत्यादि पर दिया जाता हैं। बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व को भलीभांति पूरा करने के लिये बैंक ने मार्च सन् १९५० से, एक्ट द्वारा संचालित समस्त बैंकिंग कंपनियों के समय-समय पर निरीक्षण के लिए प्रबन्ध कर रखा है। निरीक्षण के पश्चात् बैंकों की स्थिति तथा काम काज में अपेक्षित मात्रा में उन्नति करने के लिये बैंक द्वारा किए गए प्रबंध का इससे पूर्व जिक्र किया जा चुका है। धारा ३६ (१) (घ) (५) के अन्तर्गत बैंक को, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी बैंक के संचालन में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हैं। अत्यन्त गंभीर परिस्थितियों में जब बैंक की स्थिति में सुधार होना असंभव जान पड़े, तो रिज़र्व बैंक जमा करनेवाली जनता के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उस बैंक के विरुद्ध प्रतिकूल क्रिया कर सकता हैं। इस प्रकार की प्रतिकूल क्रिया, जैसा कि पहिले

समझाया जा चुका है, लाइसैंन्स देने को मना करने, वर्तमान लाइसैन्स को रद्द करने, केन्द्रीय सरकार द्वारा नई जमा को ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को न्यायालय में बैंकिंग कपनी के परिसमापन के लिये प्रार्थना पत्र देने के आदेश, का रूप ले सकती है।

निरीक्षणो की प्रणाली बैंकिंग प्रणाली की कमजोर इकाइयो की अनुचित बैंकिंग रीतियो तथा क्रियाओ को ठीक करने के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है तथा उसने बैंको के सचालन के स्तर को ऊचा उठाने में सहायता दी है।

यह भी आशा की जाती थी कि बैंक इस स्थिति मे होगा कि वह बैंकिंग कपनियो के चोटी के अधिकारियों की नियुक्ति मे अनुमति दे तथा उनके अनुपात से अधिक ऊचे वेतन को, विशेषत बडे भारतीय बैंको मे, जैसा कि बैंक एवार्ड आयोग ने दर्शाया था, नियमित करे। इस उद्देश्य के लिये बैंकिंग कपनीज (सशोधन) एक्ट में, जिसे ससद ने दिसम्बर १९५६ मे पास किया, प्रावधान रखा गया। यह एक्ट बैंक को राष्ट्रीय हित में बैंको को निर्देश देने का अधिकार भी देता है।

समामेलन (Amalgamations)

बैंकिंग कपनीज़ एक्ट (धारा ४४क) में एक अन्य महत्वपूर्ण नियमन-सबधी प्रावधान समामेलन के बारे में है। बैंको के लिये यह अनिवार्य है कि समामेलन से पूर्व रिज़र्व बैंक की आज्ञा प्राप्त करे। एक्ट मे वह विधि दी हुई है जिसका बैंको को समामेलन की योजना के सबध में अनुसरण करना होता है, जैसे, शेअर होल्डरो की सभा बुलाना, अनिच्छुक सदस्यो को भुगतान तथा योजना का पर्याप्त प्रचार। इस सम्बन्ध में बैंक की नीति सामान्यत बैंकिंग कपनियो के समामेलन को प्रोत्साहन देना है, यदि वह सन्तुष्ट हो कि समामेलन की योजना बैंक के जमाकर्ताओ के हित में है तथा समामेलित इकाई समामेलित बैंको के कार्य क्षेत्रों में बैंकिंग के ढाचे को मजबूत बनाने में सहायक हो सकेगी। एक बैंकिंग कपनी की परिसपत्ति एव देयता को दूसरी के पास अन्तरण करके शक्तिशाली इकाइयो मे समग्र करने को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। समामेलन तथा अन्तरण में मुख्य अन्तर यह है कि समामेलन के अन्तर्गत, समामेलित कपनी का अस्तित्व ही एकदम मिट जाता है, अन्तरण के अन्तर्गत अन्तरण करनेवाली कपनी को यह छूट रहती है कि यदि चाहे तो अपनी समाप्ति कर ले अथवा गैर-बैंकिंग व्यापार जारी रखें।

व्यवस्था की शर्तें

बैंकिंग कपनीज़ एक्ट की धारा ४५ के अनुसार कोई भी उच्च न्यायालय (High Court) किसी बैंकिंग कपनी तथा उसके ऋणदाताओ के बीच अथवा इस प्रकार

की कपनी तथा उसके सदस्यों के बीच किसी समझौते अथवा प्रबंध को तब तक स्वीकृति नहीं दे सकता जब तक कि ऐसे समझौते अथवा प्रबन्ध को रिज़र्व बैंक यह प्रमाणपत्र न दे दे कि वह उस कंपनी के जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नही होगा।

परिसमापन (Liquidation)

रिज़र्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओ के हितो की रक्षा करने के प्रयत्न बैंको के जीवन-काल में उनकी क्रियाओं तक ही सीमित नही रहते वरन् उनके परिसमापन के बाद तक जारी रहते हैं। जुलाई १९५२ में भारत सरकार ने बैंकों के परिसमापनों की प्रगति का निरूपण (Review) करने तथा परिसमापन क्रियाओं को सहज करने तथा उनकी शीघ्र समाप्ति करने के लिये और अधिक प्रावधानो के बनाये जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये बैंको की परिसमापन क्रिया समिति की (Banks Liquidation Proceedings Committee) नियुक्त की। उस समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें बैंकिंग कपनीज़ (सशोधित) एक्ट १९५३ में जो दिसम्बर १९५३ से लागू हुआ, मूर्तिमान हैं। सशोधित एक्ट में रिज़र्व बैंक की प्रार्थना पर स्वयं उसके, स्टेट बैंक आफ इडिया के अथवा किसी अन्य बैंक के जिसे केन्द्रीय सरकार ने निर्देशित किया हो किसी बैंक के परिसमापन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था है तथा उसमें परिसमापन क्रिया की शीघ्र समाप्ति से संबंधित प्रावधान भी हैं।

बैंक की पूंजी के जारी करने पर नियंत्रण

अपने परामर्श देने से सबधित प्रकार्यों के अधीन, बैंक केन्द्रीय सरकार को, पूजी जारी करने के लिये बैंकिंग तथा निवेश कपनियो के प्रार्थना पत्रों पर, परामर्श देता है। स्थापित बैंकिंग कपनियो के पूजी जारी करने के लिये दिये गये प्रार्थनापत्रों की जाच उनके पूजी के ढाचे, बैंकिंग कपनीज़ एक्ट के अन्तर्गत पूजी की आवश्यकताओं, आर्थिक स्थिति तथा क्रियाओ की रीति इत्यादि के सदर्भ में होती है। नये उपक्रमों की जाच उनके प्रारंभिक सचालको (*Promoter-Directors*) के साधन तथा ख्याति, प्रस्तावित स्थान तथा उसी स्थान में वर्तमान बैंको के मुकाबले में व्यापार की आशा की कसौटी पर की जाती है। वर्तमान बैंको को भारत सरकार यह स्पष्ट कर देती है कि पूजी जारी करने की स्वीकृति का अर्थ यह नही है कि १९४९ के बैंकिंग कपनीज़ एक्ट की धारा २२ के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक आफ इडिया से लाइसैन्स प्राप्त हो ही जावेगा। स्वीकृत पूजी के अस्वीकृत (Unsubscribed) भाग को क्रय करने के लिये अवधि को बढाने से सबधित प्रार्थना पत्र परामर्श के लिये रिज़र्व बैंक के पास भेजे जाते हैं।

बैंकिंग में प्रशिक्षण

बैंकिंग प्रबन्ध का स्तर अधिक मात्रा में बैंकर्स के गुणों पर निर्भर करता है तथा बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण का इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बैंकिंग प्रणाली की क्रियाओं के नियमन के अतिरिक्त उसके विकास एवं उन्नति से संबंधित प्रकार्यों के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों के पर्यवेक्षण करनेवाले कर्मचारियों को व्यवहारिक बैंकिंग में प्रशिक्षण देने के लिये, अपने व्यय पर, सन् १९५४ में एक बैंकरों के प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, एक बैंकर के प्रशिक्षण के विस्तृत दृष्टिकोण से, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के भाषणों का प्रबन्ध किया गया है। महाविद्यालय को चलाने में बैंक को एक सलाहकार समिति जिसमें बैंकिंग के क्षेत्र में प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि है, सहायता देती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि ८ सप्ताह से बढ़ा कर ९ सप्ताह कर दी गई है, अब तक महाविद्यालय में १८ पाठ्यक्रम पूरे किये गये है, जिनमें ४२२ बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला।

बैंकिंग विकास

यद्यपि बैंकों का नियमन एवं पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक के मुख्य प्रकार्य है, तथापि पिछले वर्षों में, बैंक ने बैंकिंग के विकास पहलू पर अधिक ध्यान दिया है। अक्तूबर १९५० में बैंक ने बैंकिंग विकास के एक नये विभाग की स्थापना की जिसको देश में बैंकिंग सुविधाओं के विकास को बढ़ाने तथा उसमें सहायता देने का कार्य सौंपा गया। अपेक्षत. उन इलाकों में जहां बैंकिंग का विकास बहुत ही कम हुआ है बैंकिंग के विकास की समस्याओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) (१९५०) तथा बैंक द्वारा आयोजित ग्रामीण वित्त पर अनौपचारिक सम्मेलन (Informal Conference on Rural Finance) (१९५१) की सिफारिशों पर आधारित रहा। उनकी मुख्य सिफारिशें सामान्यत व्यापारिक बैंकों द्वारा शाखा विस्तार से तथा विशेषत इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के शाखा विस्तार से संबंधित थीं। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे भारतीय बैंकिंग विकास के एक नये परिच्छेद का प्रारंभ कहा जा सकता है। यह घटना इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के व्यापार का अन्तरण करके १ जुलाई सन् १९५५ को स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थापना थी। शाखाओं का अत्यधिक विस्तार करना स्टेट बैंक आफ इंडिया के उन उद्देश्यों में था जिनकी प्राप्ति तुरन्त करनी थी। उसकी स्थापना करनेवाले विधान के अन्तर्गत बैंक के लिये यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की सम्मति से निर्धारित स्थानों पर पांच वर्ष की अवधि में (जब तक कि इस अवधि को सरकार बढ़ा न दे) कम से कम ४०० शाखाएं खोले। इसके अतिरिक्त

स्टेट बैंक ने खुलते समय ५१ शाखाओं को, जिनका विकास कार्य इम्पीरियल बैंक (Imperial Bank of India) के हाथ अधूरा था, अपने अधीन ले लिया। यद्यपि प्रारभ में इन कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने में प्रगति बहुत धीमी रही, किन्तु अब शाखा विस्तार का प्रबन्ध शीघ्रतापूर्वक हो रहा है। मार्च १९५८ के अन्त तक स्टेट बैंक आफ इडिया ने १८२ शाखाए खोली थी, जिनमे १३८ सरकार द्वारा स्टेट बैंक आफ इडिया एक्ट की धारा १६ (५) के अन्तर्गत स्वीकृत २७२ स्थानों की सूची में दिये गये स्थानो पर तथा ४४ इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के कार्यक्रम मे बची हुई ५१ स्थानों की सूची मे दिये स्थानों पर थी। इन कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने में स्टेट बैंक आफ इडिया तथा रिजर्व बैंक में सीधा तथा निकट सम्पर्क रहता है। शाखाओं के लिये लाइसैन्स देने से सबधित रिजर्व बैंक आफ इडिया की सामान्य नीति, उन स्थानों पर जहा बैंकिंग सुविधाये उपलब्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त है, सुविधाओ के विस्तार करने के सामान्य उद्देश्य पर आधारित है, उदाहरण के लिये ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों मे। इसके अतिरिक्त बैंक ने प्रेषण की सुविधाओ को प्रगतिशील रूप से सहज करने के द्वारा बैंकिंग का विकास करने का प्रयत्न किया है।

(५)

सरकार का बैंकर

रिज़र्व बैंक की स्थापना से पूर्व सरकार के अधिक महत्वपूर्ण चालू वैत्तिक सौदे भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के द्वारा होते थे, यद्यपि लोक-ऋण कार्यालयों (Public Debt Offices) का प्रबन्ध भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया ही करता था, लोक-ऋण के प्रबन्ध का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सरकार का ही था। सरकारी वित्त के ये दोनो पहलू अब रिजर्व बैंक में केंद्रित कर दिये गये हैं। साथ ही रिजर्व बैंक केवल भारत सरकार के बैंकर का कार्य ही नही करता, भारतीय सविधान के सघनीय विशेषता (Federal Character) के कारण वह प्रदेश सरकारों के बैंकर का कार्य भी करता है।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धाराए २०, २१ तथा २१(अ) इन प्रकार्यो का परिनियत आधार है। प्रथम दो धाराओं के अन्तर्गत बैंक को यह अधिकार है, तथा उसका कर्त्तव्य भी है, कि वह भारत सरकार का बैंकिग व्यापार करे तथा इसलिये वह भारत सरकार के लिये रुपया स्वीकार करता है, उसके रुपये की अदायगी करता है तथा नये लोक-ऋण का प्रबन्ध करना, विनिमय, प्रेषण तथा अन्य बैंकिग प्रकार्य करता है। उनके साथ हुए सविदो के अन्तर्गत बैंक राज्य सरकारों के लिये भी उसी प्रकार के प्रकार्य करता है।

केन्द्रीय सरकार के साथ समझौता

वह शर्तें जिन पर बैंक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के बैंकर का कार्य करता है उन सविदो में जो बैंक तथा सरकार के बीच हुए हैं, दी हुई हैं। इस प्रकार का प्रथम समझौता ५ अप्रेल सन् १९३५ को सपरिषद भारत मन्त्री (Secretary of State for India in Council) के साथ हुआ, जिन्होने केन्द्रीय सरकार के स्थान पर अनुमति दी। यह समझौता अब तक जारी है, इसके अन्तर्गत बैंक को केन्द्रीय सरकार का सामान्य बैंकिग व्यापार करना होता है तथा इस उद्देश्य से अपनी बहियो में वे सब खाते खोलने होते है जिनके लिये सरकार निर्देशन दे। केंद्रीय सरकार का साधारण व्यापार करने के लिये बैंक को कोई परितोषण प्राप्त करने का अधिकार नही होता। लोक-ऋण का प्रबन्ध तथा नये ऋण तथा केन्द्रीय सरकार के राज्य कोष पत्रों को जारी करने का कार्य भी बैंक के सुपुर्द है। लोक-ऋण के

प्रबन्ध के लिये बैंक को हर छमाही में उक्त छः माह के अन्त में लोक-ऋण की रकम पर २,००० रु. प्रति करोड़, प्रति वर्ष की दर से कमीशन लेने का अधिकार है। बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह सरकार द्वारा निश्चित स्थानों पर अपने प्रचालन विभाग की नकदी तिजोरियां रखें तथा इन तिजोरियों में, सरकार के व्यवहार के लियें तथा इन स्थानो पर जनता को प्रेषण की उचित सुविधायें प्रदान करने के लिये, पर्याप्त नोट तथा सिक्के रखें। समझौते के अन्तर्गत बैंक का यह भी कर्त्तव्य है कि वह भारत तथा लन्दन के बीच, भारत सरकार के खाते में, तार द्वारा प्रेषण की प्रचलित दरों पर, समय-समय पर आवश्यक रकमों का प्रेषण करे।

राज्य सरकारों के साथ समझौते

१ अप्रैल सन् १९३७ को प्रान्तो को सत्ता दिये जाने के पूर्व, (भूतपूर्व) प्रान्तीय सरकारो से बैंक के सीधे सम्बन्ध नही थे, बैंक पूर्णत. केन्द्रीय सरकार से कामकाज करता था तथा केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारो की अर्थोपाय आवश्यकताओ (Ways and Means Requirements) की पूर्ति के लिये उत्तरदायो थी। प्रान्तों को सत्ता मिलने के बाद, प्रत्येक प्रान्त के लिये रिजर्व बैंक में एक अलग खाता खोलना आवश्यक हो गया, तथा इसलिये (उस समय प्रचलित) धारा २१ के अनुसार बैंक ने प्रान्तो के साथ पृथक समझौते किये, जिनमे उन शर्तों को निर्धारित किया गया, जिन पर बैंक प्रान्तीय सरकारो का बैंकिंग व्यापार करने के लिये तैयार हुआ। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल खातो में अधिक मात्रा में रद्दोबदल होना ही नही हुआ, वरन् कई सैद्धान्तिक प्रश्न, विशेषत. प्रान्तो की अर्थोपाय आवश्यकताओ की पूर्ति करने की रीतियो से सबधित, भी उठे। इन समस्याओं का अगस्त १९३६ में आयोजित सम्मेलन मे केन्द्रीय सरकार, प्रान्तों के वित्त मंत्रियों तथा रिजर्व बैंक ने परीक्षण किया। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो के सहयोग से लोक खातो के वर्गीकरण मे सबधित परिवर्तन सरलतापूर्वक हो गया। परन्तु नयें सत्ता प्राप्त प्रान्तो को अपनी अर्थोपाय आवश्यकताओ को निर्धारित करने के लिये अनुभव प्राप्त करने को समय देने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया कि प्रान्तों की १९३७-३८ वर्ष की इन आवश्यकताओ के लिये केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी रहे, प्रान्तों को उस वर्ष रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम शेष रोकड रखने से भी छूट दे दी गई। १ अप्रैल सन् १९३८ से, प्रत्येक प्रान्तीय सरकार ने अपनी अर्थोपाय आवश्यकताओं के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व ले लिया तथा रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम शेष रोकड रखने के लिये भी तैयार हो गई। ऊपर दिये हुए समझौतों के अन्तर्गत, प्रान्तो के लिये यह आवश्यक था कि वे अपनी न्यूनतम शेष रोकड में अस्थायी कमी को अपने राज्य कोष पत्र जारी करके अथवा रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके पूरा करे। कुछ बातों के अतिरिक्त जैसे कुल अर्थोपाय अग्रिम पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी, राज्य सरकारों से किये गये यह समझौते प्राय· केन्द्रीय सरकार तथा बैंक के बीच हुए समझौतो के

समान ही थे। बैंक को, किसी सरकार द्वारा उसकी सीमाओं के बाहर रकम का प्रेषण करने के लिये, उन दरों पर जो बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों से ली गई दरों से अधिक न हों, मूल्य लेने का, समझौते में दिये हुए प्रावधानों के अतिरिक्त, अधिकार है।

जनवरी सन् १९५० में भारत के संविधान के लागू होने के साथ १९५१ में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट में धारा २१ अ के जोड़े जाने द्वारा संशोधन हुआ जिसके अन्तर्गत बैंक को समझौते से "ब" श्रेणी के राज्यों के बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ। बैंक को "ब" श्रेणी के राज्यों का बैंकर नियुक्त करने का उद्देश्य "ब" श्रेणी के राज्यों में बैंकिंग तथा राज्य कोष प्रबन्धों को इसी प्रकार के "अ" श्रेणी के राज्यों के प्रबन्धों से समग्र करना था। "ब" श्रेणी के राज्यों से बैंक का संबंध बैंक तथा भारत सरकार या "अ" श्रेणी के राज्यों की सरकारों के बीच के संबंध से कुछ भिन्न था, जब कि बादवाली सरकारों के संबंध में, बैंक को रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की धारा २१ के अनुसार बैंकिंग कार्य करने का अधिकार था, "ब" श्रेणी की सरकारों की विशेष परिस्थितियों के कारण नई धारा २१ अ को आज्ञात्मक लक्षण प्रदान किया गया तथा उसके अन्तर्गत बैंक की उन राज्यों के बैंकर रूप में नियुक्ति उनसे समझौते पर निर्भर थी। राज्यों के पुनर्संघटन के साथ उनका "अ", "ब", "स" श्रेणियों में वर्गीकरण समाप्त हो गया तथा कुछ संघ-प्रदेशों के अतिरिक्त सब राज्य एक स्तर पर आ गये हैं। इसके फलस्वरूप बैंक के सब राज्यों से सम्बन्धों का आधार समान कर दिया गया, तथा राज्य पुनर्संघटन एक्ट, १९५६ द्वारा संशोधित नई धारा २१ अ के अनुसार बैंक का राज्यों के बैंकर के रूप में काम करने का अधिकार अथवा कर्त्तव्य उन राज्यों से समझौतों के आधार पर हो गया। १ नवम्बर, १९५६ (राज्यों के पुनर्संघटन की तिथि) तक पेपसू (PEPSU) तथा राजस्थान के अतिरिक्त सभी भूतपूर्व "अ" तथा "ब" श्रेणी के राज्यों ने समझौते कर लिये। राज्यों के पुनर्संघटन के फलस्वरूप पेपसू पंजाब में विलीन हो गया तथा पंजाब और रिज़र्व बैंक के बीच का समझौता विस्तृत पंजाब पर लागू हो गया। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने राजस्थान सरकार के बैंकर का कार्य १ नवम्बर सन् १९५६ में आरंभ किया, जो १९५२ में शुरू किये गये भूतपूर्व "ब" श्रेणी के राज्यों के बैंकिंग समग्रीकरण का अंतिम कदम था। अब जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक आफ इंडिया सब राज्य सरकारों का बैंकर है।

जहाँ तक रिज़र्व बैंक द्वारा लोक-ऋण के प्रबन्ध का प्रश्न है, १९४६ तक, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा जारी किये हुए ऋणपत्रों का प्रबन्ध भारतीय ऋणपत्र (Indian Securities Act) १९२० के अन्तर्गत होता था। १ मई, १९४६ से केन्द्रीय सरकार के ऋण पत्रों का प्रबंध लोकऋण (केन्द्रीय सरकार) एक्ट, १९४४ के अन्तर्गत होने लगा परन्तु प्रान्तीय ऋणपत्रों का नियमन भारतीय

ऋणपत्र एक्ट, १९२० के अन्तर्गत ही रहा। परन्तु अप्रैल १९४९ तक सब प्रान्तीय सरकारो "अ" श्रेणी के राज्यों ने प्रस्ताव पास कर लिये कि उनके लोक-ऋण का नियत्रण भी लोक-ऋण (केन्द्रीय सरकार) एक्ट, १९४४ के अन्तर्गत हो, तथा उक्त विधान को लागू कर दिया गया। इसी प्रकार अक्टूबर सन् १९५६ तक सब "ब" श्रेणी के राज्यो ने प्रस्ताव पास कर लिये कि उनके लोक-ऋण का नियमन भी उसी प्रकार हो। इन सब के फलस्वरूप अब रिज़र्व बैंक केंद्रीय सरकार तथा सब राज्य सरकारो के लोक-ऋण का प्रबध करता है।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं

सरकार के बैंकर के नाते बैंक के कार्य को पूरा करने के लिये विभिन्न सरकारी विभागो के लिये रुपये का आदान प्रदान करना होता है। सरकारी व्यवहार सबंधी कार्यों को बैंक के लोक-खाते विभाग, जो बगलौर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली मे स्थित है, देखते है (विस्तार में परिच्छेद १० में देखिए)। परन्तु कानपुर में लोक-खाता विभाग नही है तथा सरकारी कार्य स्टेट बैंक आफ इडिया द्वारा होता है। सरकारी काम-काज का वास्तव में क्रियाकरण केन्द्रीय सरकार के राज्य कोष के अधिनियमो, राज्य सरकारो के राज्य कोष अधिनियमों तथा राज्य सरकारो के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये हुए आदेशो के अन्तर्गत होता है।

ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) द्वारा बैंकिंग प्रणाली के समग्रीकरण (Integration) के बारे मे की गई सिफारिशो मे से एक मुख्य राजधानियो में बैंक के कार्यालयो की स्थापना के सम्बन्ध में थी। इस सिफारिश के अनुसार बैंक का बगलौर कार्यालय १९५३ में तथा नागपुर कार्यालय १९५६ में खोला गया। परन्तु यह महसूस किया गया है कि इपीरियल बैंक आफ इडिया के स्टेट बैंक आफ इडिया में परिवर्तित हो जाने के बाद, राज्यो की राजधानियों में रिज़र्व बैंक की शाखाओ की स्थापना की उतनी आवश्यकता नही रह गई है जितनी उस समय थी जब ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति ने अपनी सिफारिश की थी।

जिन स्थानो मे रिज़र्व बैंक आफ इडिया की शाखा अथवा कार्यालय नहीं है, वहा उसने सरकारी काम काज करने के लिये अभिकर्ताओं (Agents) की नियुक्ति कर दी है। बैंक का मुख्य अभिकर्ता स्टेट बैंक आफ इडिया है। वास्तव म, रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट में हाल ही मे हुए एक सशोधन के अनुसार रिज़र्व बैंक के लिये अब यह अनिवार्य हो गया है कि वह उन सब स्थानो में जहा उसके बैंकिंग विभाग की शाखा अथवा कार्यालय नही है तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा है,

स्टेट बैंक आफ इंडिया को अपना एकमात्र अभिकर्ता नियुक्त करे।* परन्तु इस संशोधन का भूतपूर्व "ब" श्रेणी के राज्यो की व्यवस्था पर, जो स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट के लागू होने के पूर्व थी, प्रभाव नही पडा। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकारो तथा बैंकों से हुए समझौतो के अन्तर्गत भूतपूर्व हैदराबाद † तथा मैसूर राज्यों में रही है। स्टेट बैंक आफ हैदराबाद तथा बैंक आफ मैसूर को उनके क्षेत्रो में अभिकर्ता प्रकार्यों का भार, सरकारी रुपये इत्यादि की रक्षा के लिये आवश्यक सावधानियो को ध्यान में रख कर, सौंपा गया है। तीनों बैंको के साथ किये गये अभिकर्ता-समझौते सामान्यत. एक से हैं। इनमें से प्रत्येक को उनके क्षेत्रों मे सरकार के सामान्य बैंकिंग कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है तथा उसके बदले में उन्हें एक निश्चित कमीशन मिलता है। इसके लिये उन सब मुख्य स्थानो में जहा बैंको की शाखाएं स्थित है उन्हे नकदी-तिजोरियां दी गई है। ये अभिकर्ता बैंक सब अनुसूचित बैंको, राज्य सहकारी बैंको तथा जनता को, रिजर्व बैंक की प्रेषण सुविधाओं के अनुसार, प्रेषण की सुविधाए प्रदान करते हैं। अभिकर्ता बैंको के कुछ कार्यालय सरकारो द्वारा चालू किये हुए नये ऋण पत्रो के लिये रुपया भी स्वीकार करते हैं।

नये ऋण तथा राज्य कोष पत्रों का जारी करना

जैसा कि इससे पूर्व कहा जा चुका है, रिजर्व बैंक लोकऋण का प्रबन्ध करता है तथा नये ऋण के जारी करने के लिये उत्तरदायी है।‡ बैंक के उद्घाटन के समय से, केन्द्रीय सरकार के रुपये ऋण का स्कन्ध प्रमाणपत्रो (Stock Certificates) तथा रुक्को के रूप में निर्गमन बैंक के लोक-ऋण कार्यालयो द्वारा हो रहा है। राज्य सरकारो ने भी नये ऋण को जारी करने के लिये बैंक द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं का लाभ उठाया हैं। नये ऋण के जारी करने में, अपने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंक होने की स्थिति के कारण बैंक उनके ऋण लेने के कार्यक्रमों मे समन्वय स्थापना करने तथा इस प्रकार अनार्थिक प्रतिस्पर्धा के खतरे को न्यूनतम करने में सफल होता है। सरकारो के ऋण प्राप्त करने के कार्यों को पूरा करने में बैंक का प्रयत्न यह

* साथ ही स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट १९५५, के अन्तर्गत स्टेट बैंक के लिये यह अनिवार्य है ऐसे स्थानो पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अभिकर्ता का कार्य करे।

† राज्य पुनर्संघटन के फलस्वरूप हैदराबाद राज्य के अ-समग्र हो जाने के कारण, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद एक्ट की धारा २४(४) मे यह प्रावधान है कि स्टेट बैंक आफ हैदराबाद उन सब स्थानो पर तथा उन्ही शर्तों पर जिन पर वह २२ अक्टूबर १९५६ से पूर्व रिजर्व बैंक के अभिकर्ता का कार्य कर रहा था, अब भी अभिकर्ता का कार्य करता रहे।

‡ लोक-ऋण कार्यालयो का संघटन विस्तार से दसवें परिच्छेद में दिया हुआ है।

होता है कि एक ओर वह इन क्रियाओं के द्रव्य एवं सरकारी ऋण-पत्र बाजार पर प्रभाव को कम से कम कर सके तथा दूसरी ओर संबंधित सरकारों के लिये सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त कर सके।

जब कभी आवश्यक होता है रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के राज्य कोष पत्रों को साप्ताहिक नीलामों में बेचता है; राज्य कोष पत्र ९१ दिन के चलन के लिये निर्गमित होते हैं। राज्य कोष पत्रों की बिक्री सरकार के लिये अल्पकालीन वित्त उपलब्ध करती है तथा मुद्रा बाजार मे अतिरिक्त धन को भी सोखती है। युद्ध के वर्षों से पूर्व राज्य कोष पत्रों की बिक्री मदी के समय मे, जब रुपये की बहुतायत होती थी, की जाती थी तथा व्यस्त समय मे उसे बन्द कर दिया जाता था, परन्तु युद्ध के बाद से राज्य कोष पत्रों की बिक्री, मुख्यत. द्रव्य बाजार में मुद्रा की कमी (Tightness) की सामान्य प्रवृत्ति के दृष्टिकोण मे, लंबी अवधियों के लिये स्थगित की गई है। इस प्रकार अप्रैल १९५६ तथा जुलाई १९५८ के बीच राज्य कोष पत्रों की बिक्री नही हुई।

राज्य सरकारो, अर्ध-सरकारी विभागो तथा विदेशी केन्द्रीय बैंको को अल्पकालीन निवेशो की सुविधायें देने के लिये बैंक केन्द्रीय सरकार के लिये तदर्थ (Ad-hoc) राज्य कोष पत्रों का, जिनका चलन भी ९१ दिन होता है, प्रचालन करता है। इस सुविधा को जारी करने का उद्देश्य राज्य सरकारो को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, साप्ताहिक नीलाम हो या न हो, पर्याप्त मात्रा मे राज्य कोष पत्र उपलब्ध करना था। यह उद्देश्य भी है कि बट्टे की दर में अनुचित उतार-चढाओ को जो, यदि राज्य सरकारें साप्ताहिक नीलामो मे राज्य कोष पत्रो की सीमित मात्रा को प्राप्त करने के लिये स्थायी निवेशको, जैसे बैंकस् तथा बीमा कपनियो के साथ प्रतिस्पर्धा करे तो होना स्वाभाविक है, दूर किया जाय। ये तदर्थ बिल केन्द्रीय सरकार के पिछले नीलाम की थोक दर में ०.०१६ रु. जोड कर आई हुई दर पर बेचे जाते हैं। बैंक, राज्य सरकारो, बैंको तथा अन्य अनुमोदित सस्थाओ के लिये राज्य कोष पत्रो का पुनर्भंजन भी करता है।

इन पत्रों को बेचने के लिये साधारणतया अपनाई जानेवाली विधि का संक्षेप में विवरण देना लाभप्रद होगा। राज्य कोष के साप्ताहिक निविदो (Tender) की सूचना, जिसमें बिक्री की रकम तथा वह तिथिया जिन पर निविदा देना है तथा भुगतान करना है, दी होती है, उसी प्रेस विज्ञप्ति मे शामिल होती है जिसमें पिछले नीलाम के परिणाम की घोषणा होती है। पत्रों के लिये प्रार्थनापत्र की कम से कम रकम २५,००० रु अथवा उसका अपवर्त्य (Multiple) होना चाहिये। स्वीकृत निविदो की अदायगी नकद चेक अथवा परिपाक हो रहे राज्य कोष पत्रो द्वारा हो सकती है। इन पत्रों के लिये निविदे साधारणतया बैंकों से लिये जाते है, परन्तु निवेदनकर्ताओं की श्रेणी संबधी कोई प्रतिबन्ध नही है तथा समाज का कोई भी सदस्य

प्रार्थना पत्र दे सकता है। ऊँची दर पर निविदे, जिनमें उतनी ही बट्टे की दर कम होती है, जहा तक सभव होता है स्वीकार कर लिये जाते हैं तथा इस प्रकार स्वीकृत और अर्पण की हुई रकमों का अन्तर अगले कम ऊँची दरवालो में अनुपातिक आवटन (Proportional Allotment) द्वारा पूरा कर दिया जाता है। सफल निविदें देनेवालो को साधारणतया प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तीसरे दिन अदायगी करनी होती है। अवधि की समाप्ति पर बैंक के उन कार्यालयो अथवा शाखाओं पर जहा से उनका प्रचालन हुआ हो राज्य कोष पत्रों की अदायगी कर दी जाती है।

बैंक राज्य सरकारो के लिये भी राज्य कोष पत्रो को जारी करता है परन्तु ऐसे अवसर अधिक नही आते तथा १९५० से राज्य सरकारो के राज्य कोष पत्रो की बिक्री नही हुई।

अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances)

रिजर्व बैंक आफ इडिया एक्ट की धारा १७ (५) के अनुसार बैंक को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो को उन अर्थोपाय अग्रिमो के देने का, जिनकी अदायगी अग्रिम देने के अधिक से अधिक तीन माह बाद तक होनी है, अधिकार है। ब्याज की दर अथवा अग्रिम की न्यूनतम रकम सबधी कोई परिनियत प्रावधान नहीं है। किन्तु इन मामलों का नियमन बैंक द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के साथ किये गये समझौतों अथवा प्रबन्धों के आधार पर होता है। इनके अनुसार बैंक सबधित सरकारो को उस दर पर जो बैंक दर से अधिक न हो अग्रिम देने को तैयार रहता है। वास्तव मे ब्याज की दर बैंक दर से १ प्रतिशत कम रही है। प्रत्येक अग्रिम पर कम से कम सात दिन की अवधि का ब्याज लिया जाता है। केन्द्रीय सरकार के बारे में यह आवश्यक है कि इस प्रकार के चालू अग्रिम का योग किसी समय उस न्यूनतम शेष धन से, जिसे उसने बैंक के पास बनाये रखना स्वीकार किया है, अधिक नहीं होना चाहिये तथा राज्य सरकारो के सम्बन्ध में यह उनके न्यूनतम निश्चित शेष धन के स्तर से दोगुना होना चाहिये। चालू अग्रिम की पूर्णत: अदायगी प्रारभिक अग्रिम के तीन माह के अन्दर हो जानी चाहियें। यह अग्रिम बिना किसी समर्थक के दिये जाते हैं। इनके अतिरिक्त रिजर्व बैंक राज्य सरकारो को केन्द्रीय सरकार के ऋण-पत्रों के समर्थन पर अग्रिम देता है। युद्ध के वर्षों में बडी मात्रा में नकद धन जमा हो जाने के कारण सन् १९४३-४४ से केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक से अर्थोपाय उधार नही लिया। किन्तु सन् १९५४-५५ से पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बढते हुए विकास-व्यय को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अधिक मात्रा में बैंक से निभाव प्राप्त किया है, किन्तु इसका रूप अर्थोपाय उधार के स्थान पर बैंक को तदर्थ राज्य कोष पत्रों (Ad-hoc) की बिक्री रहा है।

भारत के उच्च आयोग (High Commission) को सहायता

बैंक यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्च-आयोग को, जो परंपरागत रूप से केन्द्रीय सरकार का विदेशो में मुख्य उगाहने वाला तथा वैत्तिक अभिकर्ता (Agency) रहा है, पर्याप्त मात्रा में सहायता देता है। वास्तव में, हाल के वर्षों में आयोग की क्रियाओं का क्षेत्र, उसके द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा अर्ध-सरकारी सस्थाओ द्वारा स्थापित योजनाओ के लिये विदेशो मे कलो की खरीदारी के कारण, बहुत विस्तृत हो गया है। इन खरीदारियो के खर्चो की पूर्ति तथा साथ ही योरोप में हमारे दूतावासों के स्थापन व्यय के लिये बैंक, सरकार के रुपये खाते के नाम लिख कर, उसे स्टर्लिंग मुद्रा बेचता है तथा उसे अपने लन्दन के कार्यालय में जमा के रूप में रखता है। इस प्रकार लन्दन कार्यालय में जमा की हुई राशि को उच्च-आयोग सरकार के लिये किये गये आयात तथा अन्य बातो के लिये भुगतान करने के लिये व्यय करता है। लन्दन कार्यालय द्वारा की गई सेवाओ में वाशिंगटन मे भारतीय सभरण मडल तथा विदेशों में भारतीय विदेश नीति मडल के पास भेजने के लिये लन्दन के विदेशी विनिमय बाजार में डालर तथा अन्य गैर स्टर्लिंग मुद्रा खरीदने का कार्य भी शामिल है। जब सरकार को माल बेचनेवाले चाहते हैं तो लदन कार्यालय साख तथा गारन्टी पत्रो को जारी करने का प्रबध कर देता है। बैंक का लन्दन कार्यालय यू.के. में अदा होनेवाले सरकारी ऋण पत्रो पर ब्याज की मांगों की अदायगी को भी देखता है। बैंक भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विधि तथा पुनर्निर्माण एव विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की (International Bank for Reconstruction and Development) सदस्यता के सबध मे सरकार के अभिकर्ता का कार्य करता है।

वैत्तिक मामलों में सरकार का सलाहकार

देश के केन्द्रीय बैंक होने, बैंको तथा द्रव्य बाजार से निकट सपर्क होने तथा देश की वाणिज्य एव वैत्तिक राजधानी में स्थित होने के कारण रिजर्व बैंक बैंकिंग तथा वैत्तिक मामलो पर सरकार को सलाह दिया करती है। नये ऋण के चालू करने तथा अल्प बचत प्रस्तावों आदि से सबधित मामलो के अतिरिक्त, नये ऋण के चालू करने, निधियो के निवेशीकरण, कृषिसाख, सहकारिता, औद्योगिक वित्त, बैंकिंग तथा साख पर प्रभाव डालनेवाले विधानो तथा आयोजन एव विकास से संबधित वैत्तिक पहलुओ इत्यादि के विषय मे सरकारे अक्सर बैंक से सलाह लेती हैं। बैंक के सलाह देने के कार्य के सम्बन्ध मे फिर नवे तथा दसवे परिच्छेदो मे चर्चा की गई है।

(६)

रिज़र्व बैंक तथा ग्रामीण साख

अन्य केन्द्रीय बैंको की तुलना में रिजर्व बैंक के कार्य ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बैंक के उत्तरदायित्व का मुख्य कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता तथा कृषि क्षेत्र में साख की सुविधाओं के विस्तार तथा समन्वय की अति आवश्यकता है। बैंक को इस महत्वपूर्ण कार्य को करने योग्य बनाने के लिये स्वय रिजर्व बैंक आफ इडिया एक्ट की धारा ५४ के अतर्गत यह प्रावधान है कि बैंक एक विशेष कृषि साख विभाग की स्थापना करे, जिसके मुख्य प्रकार्य इस प्रकार हो;

"(क) कृषि साख से सबधित समस्त समस्याओ के अध्ययन के लिये विशेषज्ञ कर्मचारी रखना तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, राज्य सहकारी बैंको तथा अन्य बैंकिग सस्थाओ को परामर्श देने के लिये उपलब्ध रहना,

(ख) कृषि साख तथा स्टेट सहकारी बैंको, अन्य बैंको अथवा कृषि साख व्यापार मे सलग्न सस्थाओ के सबधो के बारे में बैंक की क्रियाओ में समन्वय कराना"।

एक्ट की धारा ५५(१) (जिसे अब रद्द कर दिया गया है) के अन्तर्गत बैंक के लिये यह आवश्यक था कि वह ३१ दिसम्बर १९३७ से पूर्व केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट दे जिसमें, यदि आवश्यक हो तो, निम्नलिखित मामलो पर विधान बनाये जाने के सुझाव हो,

(क) अनुसूचित बैंको से सबधित प्रावधानो का उन व्यक्तियो अथवा फर्मो तक, जो अनुसूचित बैंक न हो, ब्रिटिश भारत में बैंकिग व्यापार में सलग्न हो, विस्तार।

(ख) कृषि उपक्रम तथा बैंक की क्रियाओं में निकट सहयोग स्थापित करने के लिये कृषि साख तथा रीतियो से सबधित साधनो में सुधार।

कृषि साख नीतियों का उद्भव

अप्रैल १९३५ में बैंक की स्थापना के साथ साथ ही कृषि साख विभाग को भी स्थापित किया गया। बैंक के उद्घाटन के पूर्व केन्द्रीय सरकार ने सहकारी वित्त से संबंधित विभिन्न मामलो पर रिपोर्ट देने तथा कृषि साख विभाग की रचना पर विचार प्रगट करने के लिये सर मालकम डारलिंग की नियुक्ति की थी। बैंक को यह रिपोर्ट जून १९३५ मे मिली तथा उसके तथा अन्य सामग्री के परीक्षण के पश्चात् प्रारंभिक कदम के रूप में बैंक ने (उस समय की) प्रान्तीय सरकारों, सहकारी समितियों, देशी बैंकरो इत्यादि से विस्तार में सूचना मगाने का निश्चय किया जिससे वह एक्ट की धारा ५५(१) के अनुसार कृषि साख के क्षेत्र में अपनी नीति निर्धारित कर सके। इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा दी गई दो रिपोर्टो – १९३६ मे प्रारंभिक रिपोर्ट तथा १९३७ में परिनियत रिपोर्ट–में कृषि वित्त की विशेषताओ तथा साथ ही उसको उपलब्ध करने में सरकार, व्यापारी बैंको, साहूकारो तथा सहकारी बैंको आदि विभिन्न संस्थाओ के योग का वर्णन था। इन रिपोर्टो ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को दर्शाया कि भारत मे कृषको की लगभग कुल वैत्तिक आवश्यकताओ की पूर्ति साहूकारो द्वारा होती थी तथा सहकारी आन्दोलन की सहायता नही के बराबर थी। साहूकारों द्वारा दी गई धन राशि पर ब्याज की दरे बहुत ऊँची होती थी, साथ ही साहूकारो को इस बात में तनिक भी दिलचस्पी नही थी कि कर्ज लेनेवाले कृषक धन का उपयोग किस प्रकार करते है। रिपोर्ट ने, ऋण देने की क्रिया का नियमन करने के लिये, विधान बनाये जाने का सुझाव दिया तथा मत प्रगट किया कि कृषि वित्त के पूर्ति के लिये सहकारी आन्दोलन सर्व श्रेष्ठ साधन था तथा यद्यपि इस देश मे सहकारी आन्दोलन ने प्रत्याशाओं को पूरा नही किया, तथापि यदि उसका पुनर्निर्माण किया जाय तथा पुनः शक्ति प्रदान की जाय तो वह अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्र को साख सुविधायें देने की दिशा में समुचित योग दे सकता है। उस समय से, विभिन्न राज्यो में सहकारी संघटन से संबधित कार्यविधिक तथा प्रशासनिक सुधार किये गये तथा उसे रिज़र्व बैंक से अधिक परिनियत साख सुविधायें प्राप्त हुई, परन्तु, अधिकाश रूप में कृषि साख का ढाचा सामान्यत वैसा ही रहा जैसा कि १९३०-४० के मध्य में था। यह अखिल भारतीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण की निर्देशन समिति (The Committee of Direction of the All India Rural Credit Survey) की दिसम्बर १९५४ में प्रकाशित हुई रिपोर्ट से विदित हुआ। वास्तव में आपरीक्षण (Survey) ने, जो १९५१-५२ मे हुआ था, अन्दाज़ लगाया कि सहकारी साख कृषकों के कुल ऋण की ३ प्रतिशत से कुछ अधिक थी तथा सरकारी साख भी लगभग उतने ही प्रतिशत थी; व्यापारी बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्यक्ष वित्त प्रदानकर्ताओ के रूप में दी गई साख भी नाम मात्र को ही थी। अपने ऋण के बडे भाग के लिये कृषकों को वैयक्तिक साख देनेवाले – साहूकारो तथा व्यापारियो पर ही, जो कुल मिलाकर कृषकों की ७० प्रतिशत से अधिक आवश्यकताओ की पूर्ति करते थे, निर्भर

रहना पड़ता था। साहूकार ऊँची दरो पर ब्याज लेते थे तथा ऋण के उद्देश्य की ओर बिलकुल ध्यान नही देते थे। बेंक द्वारा १९३७ में पेश की गई परिनियत रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण की निर्देशन समिति ने इन शब्दो में कृषि साख की स्थिति का संक्षेप में वर्णन किया "यह पर्याप्त मात्रा से कम है, ठीक प्रकार की नहीं है, ठीक उद्देश्य को पूरा नही करती तथा आवश्यकता की दृष्टि से (साख प्राप्त करने की योग्यता के दृष्टिकोण की भी उपेक्षा न करके) अक्सर ठीक व्यक्तियों के पास नहीं पहुँच पाती"। समिति के अनुसार ग्रामीण साख का निर्देशन अधिक उत्पादन के लिये होना चाहिये, इसे दीर्घ, मध्यम तथा अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये, उनका पर्यवेक्षण होना चाहिये तथा वह ऋण प्राप्त करने के योग्य सभी व्यक्तियों को साधारण दर पर उपलब्ध होनी चाहिये। जैसी कि ग्रामीण साख समिति ने सिफारिश की है नीति का प्रधान उद्देश्य उन परिस्थितियों को वास्तव में तथा इच्छापूर्वक उत्पन्न करना है जिनमें सहकारी साख को सफलता प्राप्त करने का उचित अवसर मिल सके। समिति के अनुसार ग्रामीण साख के क्षेत्र में रिजर्व बेंक की नीति इन उद्देश्यों की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति की ओर निर्देशित होनी चाहिये।

ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति, अनौपचारिक सम्मेलन तथा अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण समिति की सिफारिशें :—

बैंकिंग सुविधाओं के सामान्यतः विस्तार तथा विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में साख के प्रभाव को बढ़ाने के मामले में बेंक के लिये आवश्यक हो गया कि वह नया दृष्टिकोण अपनाये तथा जिसमे निश्चित तरीका उत्तम तथा भली प्रकार ग्रहण किया हुआ हो, बेंक ने १९४९ में भारत सरकार को ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया। ग्रामीण वित्त में अपने योग सम्बन्धी पर्यालोचन के लिये बेंक ने फरवरी १९५१ में एक अनौपचारिक सम्मेलन भी आयोजित किया। ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने ग्रामीण बैंकिंग के विस्तार के लिये अनेक सिफारिशें की, जैसे प्रेषण की सुविधाओ का विस्तार तथा उन्हे सस्ता करना, नोटो तथा सिक्कों के विनिमय के लिये अधिक अच्छी सुविधायें प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रो में बैंकिंग की आधुनिक सुविधाओं के विस्तार में रुकावटो को दूर करना, ग्रामीण बचत समुज्जन सम्बन्धी ग्रामीण वित्त व्यवस्था को उन्नत करना तथा ग्रामीण साख का विस्तार एवं भंडागारों का विकास आदि। समिति ने सुझाव दिया कि इंपीरियल बेंक आफ इंडिया 'अ' तथा 'स' श्रेणी के राज्यों में रिजर्व बेंक का एकमात्र अभिकर्ता बना रहना चाहिये तथा उसे राज्य कोष के कार्यों को सँभालने के हेतु अनेक नये कार्यालय खोलने के लिये प्रेरित करना चाहिये। उस समय से इनमें से अनेक सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई है। समिति तथा सम्मेलन की सिफारिशें सबसे अच्छी तरह ग्रामीण बैंक जाँच समिति द्वारा निर्धारित बैंकिंग विस्तार के प्रति 'तीन ओर से पहुँच' तथा

अनौपचारिक सम्मेलन मे अनुमति प्राप्त ग्रामीण वित्त की 'तीन ओर से पहुँच' से संबंधित रूप मे सक्षेप में दी जा सकती है। समिति ने सिफारिश की थी कि– (i) सहकारी बैंको द्वारा अपनी क्रियाओं के नगरों से परे ग्रामो में तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा बडे नगरों से परे छोटे नगरों में अपनी क्रियाओं के विस्तार, (ii) इपीरियल बैंक द्वारा अपनी शाखाओं के जाल के बैंकिंग राज्य कोषों के परे गैर-बैंकिंग राज्य कोषों तक विस्तार तथा (iii) रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य राज्यो की राजधानियो में कार्यालयों की स्थापना के लिये समुचित परिस्थितियाँ उत्पन्न की जावे। अनौपचारिक सम्मेलन में, जिसका पहिले जिक्र किया जा चुका है, कृषि साख के सदर्भ में उनके उपायों पर विचार विनिमय हुआ तथा उन्हे स्वीकार कर लिया गया। इन का उद्देश्य था (i) रिज़र्व बैंक को वर्तमान ढाँचे के अन्दर अधिक प्रभावपूर्ण प्रकार्य करने योग्य बनाना, (ii) इस ढाँचे का उस हद तक विस्तार करना जहाँ तक उसके बारे में तुरन्त निश्चय हो सके तथा उसे पूरा किया जा सके, तथा (iii) सहकारी सस्थाओं की स्थापना के लिये एक समन्वयित ढाँचे का निर्माण करना, जिसके लिये ग्रामीण वित्त की एक विस्तृत एव यथार्थ आपरीक्षण की आवश्यकता समझी गई। सामान्यतः कहने के लिये, इस क्षेत्र में रिज़र्व बैंक की क्रियाए विधान द्वारा अल्प-कालीन कृषि साख तक सीमित थी; व्यवहार मे ये क्रियाए उन राज्यों तक ही पुनः सीमित थी जिनमें पिरामिड के समान त्रिकोण ढाँचा अपेक्षत. सुविकसित हो, जिसमे सर्वोच्च स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हो, मध्यम स्तर पर केन्द्रीय बैंक हो तथा जड में प्रारभिक समितियाँ हो। सम्मेलन ने महसूस किया कि विधान तथा सघटन की सीमाओ के अदर भी विधि सम्बन्धी विस्तारपूर्ण बाते थी जिनमे सुधार हो सकता था तथा कृषि साख के स्वतत्र एवं अधिक प्रभावपूर्ण प्रवाह को निश्चित करने के लिये अन्य सुधार किये जा सकते थे। सिफारिशों के प्रथम समुदाय में सुधार एव उन्नति के वे सुझाव शामिल थे जो वर्तमान ढाँचे के अन्दर हो सकते थे। द्वितीय श्रेणी में वैधानिक एव ढाँचे सम्बन्धी सीमाओ का जिक्र था; सम्मेलन ने वर्तमान विधान मे सशोधन की सिफारिशे की जिससे कुछ अन्य क्षेत्रो में, जैसे मध्य-कालीन कृषि साख तथा कुटीर एव लघु उद्योगों के लिये अल्प-कालीन साख मे, बैंक की क्रियाओ की सीमा बढ़ाई जा सके। सम्मेलन ने उन राज्यो में जहाँ वह अपेक्षतः कम विकसित था तथा जहाँ उसके पुनर्वास की आवश्यकता थी सहकारी साख के ढाँचे के पुनर्संघटन की सिफारिश की। सम्मेलन ने यह महसूस किया कि इस आधार पर वर्तमान ढाँचे का विस्तार रिज़र्व बैंक को कृषि वित्त के क्षेत्र में उसकी क्रियाओ के लिये अधिक अवसर देगा। अन्त में नये ढाँचे के निर्माण की प्रारंभिक क्रिया के रूप मे, सम्मेलन ने विशेषज्ञो की छोटी सी समिति के अन्तर्गत एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण (All India Rural Credit Survey) के आयोजन तथा कार्य करने की सिफारिश की। यह आपरीक्षण १९५१ के अन्त के लगभग प्रारभ किया गया, प्राथमिक कार्य १९५२ तक पूरा हुआ तथा रिपोर्ट का सिफारिशो से सबधित भाग दिसम्बर १९५४ में

पेश किया गया। इस रिपोर्ट में, जैसा कि पहिले जिक्र किया जा चुका है, बताया गया कि कृषि साख न पर्याप्त थी, न ठीक प्रकार की थी तथा उपयुक्त व्यक्ति के पास पहुँचने मे असफल रहती थी, तथा "सहकारिता असफल रही है परन्तु सहकारिता अवश्य ही सफल होनी चाहिये"। इस समिति द्वारा निर्धारित भविष्य की नीति का आधार उन परिस्थितियो को उत्पन्न करना था जिनमें सहकारी साख को सफलता प्राप्त करने का समुचित अवसर मिल सके। इस उद्देश्य के लिये उसने तीन आधार-भूत सिद्धान्तो पर आधारित एक समग्र ढाँचे की स्थापना की सिफारिश की। यह मूल सिद्धान्त इस प्रकार थे :– सहकारी क्षेत्र के विभिन्न स्तरो पर सरकार से साझेदारी, साख तथा अन्य आर्थिक क्रियाओ, विशेषत विपणन एव विधायन (Processing) के बीच समन्वय तथा पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित एव कुशल कर्मचारियों द्वारा प्रशासन जो ग्रामीण जनता की आवश्यकताओ के प्रति जागरुक हो। साख की समग्र योजना में रिज़र्व बैंक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वैत्तिक सहायता

रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी सस्थाओ को आज कल दी जाने वाली साख सुविधाओ का सक्षेप में विवरण देना उचित होगा। इन सुविधाओ में अनौपचारिक सम्मेलन तथा अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण रिपोर्ट की अनेक सिफारिशें शामिल हैं।

अपने इन्कारपोरेशन विधान के अन्तर्गत बैंक को कृषको को सीधे साख देने का अधिकार नही है, व्यापारियो तथा उत्पादको को सहायता केवल अनुसूचित बैंको तथा वैत्तिक निगमो के द्वारा दी जाती है, परन्तु सहकारिता आदोल्लन को निभाव राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से ही दिया जाता है। रिजर्व बैंक से प्राप्त वैत्तिक निभाव की सुविधाओ का प्रयोग करने से पूर्व यह आवश्यक है कि राज्य सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के पास प्रति दिन औसत शेष रोकड बनाये रखे जिसकी रकम उनके माग देयता के २ १।२ प्रतिशत तथा भारत मे सावधि देयता के १ प्रतिशत से कम नही होनी चाहिये। राज्य सहकारी बैंक इस उद्देश्य के लिए निश्चित सूचना तालिका के रूप में समय-समय पर रिजर्व बैंक के पास भेजते है तथा बैंक द्वारा अपने बही-खातो के निरीक्षण के लिये भी सहमत हो गये हैं।

जैसा अनुसूचित बैंको के सम्बन्ध में है, राज्य सहकारी बैंको को अग्रिम तथा पुनर्भंजन के रूप में अल्प-कालीन ऋण देनें का प्रावधान है। बैंक, राज्य सहकारी बैंको को धारा १७(२) (क), (ख) तथा (खख) के अन्तर्गत पुनर्भंजन के रूप में निभाव (Accommodation), तथा धारा १७ (४) (ग) के अन्तर्गत ग्राह्य बिलों के आमुख अग्रिम तथा धारा १७ (४) (क) के अन्तर्गत सरकारी तथा न्यासधारी (Trustee) ऋणपत्रों के आमुख (मय केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको (Land Mortgage Banks) के डिबैन्चरो के जो सबंधित राज्य

सरकारो द्वारा प्रत्याभूत हो) अग्रिम प्रदान कर सकता है। धारा १७ (२) (क) में वास्तविक (Bonafide) वाणिज्य अथवा व्यापारिक व्यवहार के फलस्वरूप बननेवाले रुक्कों तथा बिलों के, जिनकी अवधि ९० दिन के अन्दर हो, पुनर्भजन का प्रावधान है। धारा १७(२) (ख) में उन रुक्को तथा बिलो के पुनर्भजन का प्रावधान है जो ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं अथवा फसलो के विपणन के लिये लिखे गये हों तथा जिनकी अवधि १५ माह के अन्दर हो। परन्तु वास्तविक व्यवहार मे इस धारा के अन्तर्गत मिति काटे (Rediscount) का समय सामान्यत: १२ महीने से अधिक नही होता। इस धारा के अन्तर्गत कृषि की मिली जुली क्रियाएं तथा कृषि उत्पादको अथवा इन उत्पादको के किसी सगठन द्वारा विपणन से पूर्व फसलो का विधायन (Processing) शामिल है। धारा १७(२) (खख) में उन रुक्को तथा बिलों के पुनर्भजन का प्रावधान है जो १२ महीने के अन्दर परिपाक (Mature) होते हो तथा जो बैंक द्वारा अनुमोदित लघु उद्योगो के उत्पादन अथवा विपणन की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से लिखे अथवा जारी किये गये हों, यदि उनके मूलधन तथा ब्याज की अदायगी राज्य सरकारो द्वारा पूर्णतः प्रत्याभूत हो। धारा १७(४) (घ), जिसमे माल के स्वत्वप्रलेखो के आमुख अग्रिम देने का प्रावधान है, जैसा कि तीसरे परिच्छेद मे बताया जा चुका है, देश में लाइसैन्स प्राप्त भडागारो की कमी के कारण अभी तक कार्यान्वित नही हो सकी। धारा १७(४) (ग) मे ग्राह्य विनिमय बिलो तथा रुक्को के आमुख अग्रिम देने का प्रावधान है। उन राज्यो मे जहा सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त विकास नही हुआ है, बैंक, राज्य सहकारी बैंको को सबधित राज्य सरकारो से पूर्णत: प्रत्याभूत ग्राह्य बिलो तथा रुक्को के आमुख ऋण देता है। यद्यपि इस धारा के अन्तर्गत दिये गये अग्रिम की अदायगी माँग पर होनी चाहिये, रिजर्व बैंक अदायगी के अधिकार को छोडे बिना सामान्यत अग्रिम की तिथि के १२ महीने के अन्दर इस अधिकार का प्रयोग नही करता। इस धारा के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंको को दी हुई अल्पकालीन साख सुविधायें वाणिज्य बैंको के लिये बिल बाजार योजना के समान हैं। अन्तर केवल यही है कि कृषि क्रियाओ मे अधिक समय लगने के कारण इस क्षेत्र में पुन: अर्थ-प्रबन्धन स्वभावत: वाणिज्य बैंको की अपेक्षा लम्बी अवधि के लिये होता है।

धारा १७ (४ क) मे राज्य सहकारी बैंको की राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाओ) तथा राष्ट्रीय साख (स्थायीकरण) निधियों से मध्यकालीन ऋण देने तथा केन्द्रीय भूमि बधक बैंको को राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाओं) निधि से दीर्घकालीन ऋण देने का प्रावधान है। कुटीर एव लघु उद्योगों को अल्पकालीन वित्त तथा सहकारी बैंको को माध्यमिक साख देने के प्रावधान अपेक्षत हाल ही में हुए हैं। इस सम्बन्ध में यह भी बताना उचित होगा कि कृषि कार्यों के लिये रिजर्व बैंक की साख जो राज्य सहकारी बैंको द्वारा पहुँचाई जाती है, सहकारी समितियो के

पजीयक से सिफारिश प्राप्त 'ग' (C) "श्रेणी" की सस्थाओ* के अतिरिक्त केवल 'क' (A) तथा 'ख' (B) श्रेणी की सहकारी सस्थाओ तक सीमित है। इसका कारण यह है कि एक्ट में यह आवश्यक है कि राज्य सहकारी बैंक के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरा "अच्छा" हस्ताक्षर होना चाहिए तथा उसे केवल यह सस्थाए ही दे सकती है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक आफ इडिया राज्य सरकारो को सहकारी सस्थाओं की पूजी मे योग देने के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है (धारा ४६ (क)(२) (अ)) निभाव प्रदान करने से सबधित विभिन्न प्रावधान इस परिच्छेद के अन्त में सारिणी रूप में दिए हुए हैं।

बैंक से अल्पकालीन निभाव प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है,—प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक, अपने राज्य सहकारी बैंक तथा सहकारी समितियो के पजीयक के द्वारा, रिजर्व बैंक से साख की सीमा निश्चित करने के लिये प्रार्थना करता है। साख की सीमा १ जुलाई से आरभ होकर ३० जून को अन्त होनेवाले वर्ष के लिए होती है। पजीयको को यह निर्देश है कि वे इस प्रकार के प्रार्थना पत्रो को आवश्यक विस्तृत सूचना के साथ, उस वर्ष के जिसके लिये वित्त सीमा की प्रार्थना की गई है, प्रारभ होने से एक माह पूर्व, आगे भेज दे। इस बात को निश्चित करने के लिये कि प्रार्थना पत्र में दी हुई सूचना एक सी है तथा उसमें कोई आवश्यक सूचना छोडी नही गई है, प्रार्थना पत्र की एक विधि (Form) निश्चित की गई है। बैंको को भी इन प्रार्थना पत्रो के साथ अपनी अतिम वैत्तिक स्थिति की सूचना तथा पिछले तीन वर्षो के अकेक्षित तुलन पत्र भेजने होते हैं। साख की सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक ऋण लेनेवाले को पूरे १२ महीने की तथा विलक्षण स्थितियों में १५ महीने तक की अवधि मिलती है। कुछ राज्यो मे (उदाहरण के लिये पश्चिमी बगाल तथा उडीसा में) जहा केन्द्रीय सहकारी बैंक स्वय निभाव प्राप्त करने की शक्ति नही रखते, राज्य सहकारी बैंको को धारा १७ (४) (ग) के अन्तर्गत सबधित सरकारो द्वारा मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की जमानत देने पर साख प्रदान की जाती है। बैंक केवल इस प्रकार की जमानत द्वारा रक्षित ऊपरी सीमा को निर्धारित करता है। साधारण-तया "क" श्रेणी के केन्द्रीय बैंको को उनकी अपनी निधियो (चुकती पूजी तथा प्रारक्षित निधि के योग) से तीन गुनी तथा विलक्षण परिस्थितियो में चार गुनी साख सीमा प्रदान की जाती है; "ख" श्रेणी के केन्द्रीय सहकारी बैंको के लिये, यह सीमा उनकी अपनी निधियो से दो गुनी तथा विलक्षण स्थितियो में तीन गुनी होती है। "ग" श्रेणी के केन्द्रीय सहकारी बैंक, पजीयक (Registrar) की विशेष सिफारिश पर, अपनी निधियो से दो गुनी साख सीमा प्राप्त कर सकते हैं।

---

* समितियों का वर्गीकरण अकेक्षक (Auditor) की रिपोर्ट पर आधारित होता है। इस वर्गीकरण के मापदड कृषि साख पर स्थिर सलाहकार समिति (Standing Advisory Committee) की सिफारिशो पर जिसका बाद में जिक्र है, रिजर्व बैंक आफ इडिया द्वारा सुझाए गए हैं।

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक मात्रा में तथा सस्ती दरों पर कृषि वित्त को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लिया है। रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंको को कम दर पर, जो बैंक दर से २ प्रतिशत कम है, अल्प तथा मध्यकालीन अग्रिम देता है, अर्थात् मई १९५७ में बैंक दर की ४ प्रतिशत तक वृद्धि के बाद से अब राज्य सहकारी बैंकों से २ प्रतिशत की दर पर ब्याज लिया जाता है। यह दर तब ही लागू होती है जब अल्पकालीन ऋण से सबधित वित्त का ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं अथवा फसलो के विपणन के लिये तथा मध्यकालीन अग्रिम का कृषि के लिये उपयोग होता है। अन्य आवश्यकताओ के लिये अग्रिम, बैंक दर पर दिये जाते हैं। यह छूट १९४२ से लागू है जब बैंक दर ३ प्रतिशत थी तथा फमलो के विपणन से सबधित रियायती दर २ प्रतिशत थी (अर्थात् बैंक दर से १ प्रतिशत कम थी)। १९४४ में इस योजना को ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं पर लागू करने के लिये विस्तृत किया गया। १९४६ में छूट को १ प्रतिशत से बढा कर १ १।२ प्रतिशत कर दिया गया जिसके कारण रियायती दर कम होकर १ १।२ प्रतिशत रह गई। सन् १९५१ मे यद्यपि बैंक दर बढ़ा कर ३ १।२ प्रतिशत कर दी गई, रियायती दर १ १।२ प्रतिशत पर ही स्थिर रहने दी गई (अर्थात् बैंक दर से २ प्रतिशत कम)।

बैंक द्वारा रियायती दर पर निभाव देने के बावजूद भी, ग्रामीण ऋण लेनेवाले को ६ १।४ से १२ प्रतिशत पर ऋण मिलता है। मद्रास जैसे राज्य में, जहाँ सहकारी आन्दोलन ने बहुत प्रगति की है, केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक से २ १।२ प्रतिशत पर रुपया लेते है तथा प्रारभिक समितियो को ४ १।२ प्रतिशत पर उधार देते हैं तथा अन्त में कृषक के पास वह वित्त लगभग ६ १।४ प्रतिशत पर पहुँचता हैं। बैंक तथा राज्य सरकारे सहकारी साख के विस्तार तथा अभिनवीकरण (Rationalization) द्वारा कम से कम ब्याज पर रुपये के प्रबन्ध करने का प्रयत्न कर रही है। इन साधनों के द्वारा वैकल्पिक (Alternative) साख की उपलब्धि ने सहकारी आन्दोलन की क्रियाओ के प्रत्यक्ष क्षेत्र की अपेक्षा कही अधिक विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र मे ब्याज दर मे कमी करने में सहायता की है।

हाल के वर्षो में ऋतुकालीन कृषि क्रियाओ तथा फसलो के विपणन के लिये रियायती दर पर अर्थ-प्रबन्धन के लिये राज्य सहकारी बैंको को रिजर्व बैंक द्वारा दी जानेवाली अल्पकालीन साख की मात्रा तेजी से बढ़ी है, इन ऋणो में लगी हुई रकम जून १९५२ के अन्त में ६.४५ करोड रु. से बढ कर मार्च १९५८ के अन्त तक ३०.९३ करोड़ रु. हो गई।

कृषि के लिये मध्य अवधि की साख की उपलब्धि अपेक्षत हाल ही की घटना है। मध्य-अवधि के ऋणो के सम्बन्ध में, १९५३ में किये गये रिजर्व बैंक आफ इडिया एक्ट मे सशोधन द्वारा १५ माह से ५ वर्ष तक की अवधि वाले ऋणो के लिये अनुमति मिली। इस सशोधन को कार्यान्वित करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इडिया ने फरवरी

१९५५ में एक्ट की धारा १७ (४) (क) के अन्तर्गत ३ वर्ष की अवधि के स्थिर ऋण देने प्रारभ किये। बैंक, ऋण के २५ प्रतिशत भाग को ५ वर्ष की अवधि के लिये देने को तैयार हो गया है। ब्याज की दर बैंक दर से २ प्रतिशत कम रखी गई है, संबंधी राज्य सरकारो की जमानते तथा ऋण लेनेवाले केन्द्रीय सहकारी बैंको अथवा समितियों द्वारा लिखित रुक्के इन अग्रिमो के लिए ऋणाधार हैं। इन उद्देश्यो में जिनके लिये मध्य अवधि के ऋण दिये जा सकते हैं – भूमि का कृष्यकरण, बन्ध बाधना तथा भूमि में अन्य सुधार, मवेशियो की खरीदारी, कृषि के लिये आवश्यक औज़ार तथा फलो की खरीदारी तथा खेत पर मकानो तथा मवेशियो के स्थान बनाना, शामिल हैं। मार्च १९५८ के अन्त में राज्य सहकारी बैंको के पास मध्यकालीन ऋण से सबधित ३.६१ करोड रु. थे। हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि छोटे तथा मध्य स्थितिवाले कृषको को सहकारी शक्कर मिलो के शेयर खरीदने के लिये रुपया उपलब्ध करने के लिये राज्य सहकारी बैंको की सहायता की जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंको को मध्यकालीन के अग्रिम देगा जिनकी अवधि कम से कम १५ माह तथा अधिक से अधिक ४ वर्ष होगी तथा यह अग्रिम बैंक दर पर होगे। इन ऋणो के मूलधन तथा ब्याज की पूर्णत. अदायगी के लिये सबधित राज्य सरकारे गारन्टी देगी तथा ऋणाधार भी अन्य मध्यकालीन ऋणो के समान ही होगे।

यहा रिजर्व बैंक आफ इडिया (सशोधन) एक्ट १९५५ के प्रावधान के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इडिया द्वारा फरवरी १९५६ में राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाए) निधि में तथा जून १९५६ में राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) निधि की स्थापना का जिक्र करना ठीक होगा। यह स्थापना मध्य एव दीर्घकालीन कृषि साख की व्यवस्था से सबधित अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण की एक सिफारिश के आधार पर हुई। दीर्घकालीन क्रिया निधि की स्थापना (1) राज्य सरकारो को अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये दीर्घकालीन ऋण एव अग्रिम देने के लिये जिससे वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी साख सस्थाओ की पूजी में शेयर ले सके, (11) राज्य सहकारी बैंको को कृषि क्रियाओ के लिये (जिनका जिक्र किया जा चुका है) मध्यकालीन ऋण (१५ महीने तथा ५ वर्ष के बीच) देने के लिये, (111) अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय भूमि बधक बैंको को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये, तथा (1V) रिजर्व बैंक आफ इडिया द्वारा केन्द्रीय भूमि बधक बैंको के डिबैन्चर खरीदने के लिये, हुई हैं। रिजर्व बैंक आफ इडिया ने इस निधि में १० करोड रु. की प्रारभिक राशि जमा की, तथा जून १९५६ से अगले पाच वर्षो में उसका वार्षिक योग कम से कम ५ करोड रुपया निश्चित किया गया है; जून १९५८ के अन्त में इस निधि के शेष धन की रकम २५ करोड रु. थी। स्थायी-करण निधि का उपयोग केवल राज्य सहकारी बैंको को मध्यकालीन के ऋण तथा अग्रिम प्रदान करने के लिये किया जा सकता है जिससे कि वे वर्षा की कमी, अकाल

तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियो के कारण आवश्यकता पडने पर अपनी अल्पकालीन साख को मध्यकालीन की साख मे परिवर्तित कर सके। इस निधि में प्रति वर्ष रिज़र्व बैंक के योग की रकम जमा की जाएगी। जून १९५६ से अगले पाँच वर्षों में प्रति वर्ष यह रकम कम से कम १ करोड रु होगी। जून १९५८ के अन्त में इस निधि में शेष धन की रकम ३ करोड रु थी।

जहा तक दीर्घकालीन के वित्त का सम्बन्ध है, १९४८ में रिज़र्व बैंक ने स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय भूमि बधक बैंको द्वारा जारी किये गये डिबेन्चरो में, यदि उनके मूलधन तथा ब्याज के भुगतान के लिये सबधित राज्य सरकारे जमानत दे, वह १० प्रतिशत तक योग देगा। १९५० मे इस प्रकार के डिबेन्चरो में बैंक के योग का भाग बढा कर २० प्रतिशत कर दिया गया। १९५३ में इस योजना में फिर प्रगति हुई जब बैंक ने भूमि बधक बैंको के डिबेन्चरो में सयुक्त योग की योजना स्वीकार कर ली। इस योजना के अनुसार योगदान जारी किये गये डिबेन्चरों का ४० प्रतिशत अथवा जनता-द्वारा अभिदान में कमी के बराबर, इन दोनो मे जो कम हो, होना था जिसमे आधा योग केन्द्रीय सरकार के बजाय (सबधित राज्य सरकार से प्रबन्ध करके) तथा आधा बैंक के नाम से होना था। इन सुविधाओं का उपयोग करनेवाले केन्द्रीय भूमि बधक बैंको ने उत्पादन के लिये, एक वर्ष के अन्दर केन्द्रीय सरकार तथा बैंक के सयुक्त अभिदान की राशि के कम से कम आधे के बराबर तक, ऋण देना स्वीकार कर लिया। किन्तु सयुक्त क्रय की योजना अप्रैल १९५६ से स्थगित कर दी गई क्योंकि सरकार ने द्वितीय पचवर्षीय योजना में दीर्घकालीन कृषि साख के लिये कोई प्रावधान नही रखा है तथा रिज़र्व बैंक जारी हुए डिबेन्चरो के २० प्रतिशत तक अभिदान देता है। यहाँ यह भी बताना ठीक होगा कि स्टेट बैंक आफ इडिया ने सहकारी भूमि बधक बैंको द्वारा जारी किये हुए डिबेन्चरो मे अभिदान देने की नीति प्रारभ की है। रिज़र्व बैंक को केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको को अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये तथा राज्य सरकारो को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे सहकारी साख सस्थाओं की शेयर पूजी मे अभिदान देने के लिये ऋण तथा अग्रिम देने का अधिकार है। यहाँ रिज़र्व बैंक आफ इडिया द्वारा धारा १७ (४) (क) के अन्तर्गत भूमि बधक बैंकों के डिबेन्चरो के आमुख राज्य सहकारी बैंको को अग्रिम देने की सुविधा का जिक्र करना भी ठीक होगा, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप मे इन बन्धों का प्रवर्तन होता है।

सहकारी बैंकों का निरीक्षण

अधिक मात्रा मे बैक द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के कारण तथा अनौपचारिक सम्मेलन की एक सिफारिश के अनुसार रिज़र्व बैंक ने स्वय ही सहकारी बैंको के निरीक्षण की योजना स्वीकार की है, विशेषत उन बैंको के निरीक्षण की जो उससे ऋण

लेते है। यह योजना दिसम्बर १९५२ में लागू की गई तथा इस प्रकार बनाई गई है कि वह निर्माणात्मक हो तथा सामान्यतः विभागीय अकेक्षण एव प्रशासनिक पर्यवेक्षण के लिये राज्य सरकारो के अन्तर्गत सहकारी समितियो के पंजीयको द्वारा किये गये निरीक्षण की पूरक हो। बैंक द्वारा निरीक्षण का लक्ष्य सहकारी साख के कलाविन्यास तथा क्रियाओ में सुधार के विस्तृत उद्देश्य को पूरा करना है। इस योजना के चालू होने के समय मे सभी राज्य सहकारी बैंको का निरीक्षण हो चुका है तथा उनमे से कुछ का एक से अधिक बार भी निरीक्षण हुआ है। बैंक का विचार है कि वह इस योजना को सहकारी साख के ढाँचे के अन्य क्षेत्रो तक विस्तृत करे।

कृषि साख के लिये स्थायी सलाहकार समिति

बैंक द्वारा १९५१ में आयोजित अनौपचारिक सम्मेलन ने एक ओर सहकारी सस्थाओ के कार्यों से तथा दूसरी ओर रिजर्व बैंक आफ इडिया की नीतियो तथा क्रियाओ में निकट रूप से समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया था, तथा इसी सन्दर्भ में कृषि साख के लिए स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसार १४ सदस्यो की स्थायी सलाहकार समिति की जुलाई १९५१ में स्थापना की गई। इसका उद्देश्य "कृषि साख विभाग की समस्याओ पर तथा उनसे सबधित विषयो पर" बैंक को सलाह देना था। प्रारभ से ही समिति ने सहकारी बैंकिग तथा प्रशासन के विभिन्न पहलुओ जैसे तरल साधनो को बनाये रखने, अकेक्षण के हेतु वर्गीकरण में समानता इत्यादि से सबधित उपयुक्त आदर्शों का निर्माण किया है तथा इस देश में सहकारी आदोलन की प्रगति से सबधित विभिन्न विषयो पर सलाह दी है। हाल ही में ग्रामीण साख आपरीक्षण समिति की सिफारिशो के अनुसार इस समिति का ६ सदस्यो की एक छोटी सी संस्था के रूप में पुनर्संघटन किया गया। यह भी प्रावधान है कि यह समिति किसी अवधि के लिये अथवा किसी विशेष सभा के लिये अतिरिक्त सदस्यो को सम्मिलित कर सकती है।

पुनर्संघटन की योजनाओं का निर्धारण

हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारो द्वारा सहकारी आन्दोलन के योजनाबद्ध पुनर्संघटन की योजनाओ के निर्धारण में सहायता देने के लिये १९५२-५४ में अपने प्राधिकारियों को विभिन्न राज्यों में क्रम रूप से जाने का प्रवन्ध किया है। सहकारी विकास के अपर्याप्त होने का पता इसी बात से चल सकता था कि १९५२-५३ तक केवल सात राज्य सहकारी बैंको ने रिजर्व बैंक द्वारा दी जानेवाली आर्थिक निभाव सबधी सुविधाओ का उपयोग किया था।

कुछ राज्यो में राज्य सहकारी बैंक था ही नही, तथा कुछ अन्य राज्यो के शिखर बैंको के पर्याप्त मात्रा में आर्थिक एवं प्रशासनिक पुनर्संघटन की आवश्यकता थी जिससे कि वे रिज़र्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के योग्य बन सकें। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अथवा ज़िला बैंकों तथा स्वय प्रारंभिक साख समितियों के पुनर्संघटन की आवश्यकता थी। प्राधिकारियों के विभिन्न राज्यो में जाने का उद्देश्य सहकारी ढाँचे के पुनर्संघटन तथा उन राज्यो में जहाँ शिखर बैंक नही थे उनकी स्थापना के लिये सुझाव देना था। इन संयुक्त विचार-विमर्शो के फलस्वरूप जो कदम उठाये गये थे उनके उदाहरण कई राज्यों मे राज्य सहकारी बैंको की स्थापना (जिनमें सौराष्ट्र, मध्यभारत, राजस्थान, त्रावणकोर-कोचीन, पेप्सू तथा हिमाचल प्रदेश शामिल थे) तथा कुछ राज्यो जैसे पश्चिमी बगाल, हैदराबाद, मैसूर तथा पजाब में राज्य सहकारी बैंकों का पुनर्संघटन था। समस्या चाहे शिखर बैंक की स्थापना की थी अथवा वर्तमान बैंको के पुनर्संघटन की, बैंक ने प्रत्येक उपयुक्त मामले मे राज्यो को शेयर पूजी में योग देने की सलाह दी। साथ ही योजनाओ का निर्धारण राज्य सहकारी बैंको की स्थापना अथवा पुनर्संघटन के साथ ही समाप्त नही हो गया, समस्त सहकारी साख ढांचा ही उनके अन्तर्गत था, जिसमें केन्द्रीय वैत्तिक सस्थाओ का अभिनवीकरण तथा प्रारभिक साख समितियो की, जो आदोलन के आधार हैं, विस्तृत स्थापना के सुझाव शामिल थे। इन दिशाओ मे प्रगति का अनुमान इस तथ्य से हो सकता है कि ३१ मार्च, १९५८ तक १७ राज्य सहकारी बैंको ने बैंक द्वारा दी जानेवाली आर्थिक सहायता का उपयोग किया। नये केन्द्रीय भूमि बधक बैंको की स्थापना तथा वर्तमान बैंकों के पुनर्संघटन की योजनाए भी निर्धारित की गई। उस समय से भूतपूर्व सौराष्ट्र तथा हैदराबाद राज्यो मे तथा आसाम, केरल, पजाब तथा पश्चिमी बगाल राज्यो में नये केन्द्रीय भूमि बधक बैंकों की स्थापना हो चुकी है।

सहकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कई राज्यो में सहकारी आन्दोलन की तीव्र प्रगति मे मुख्य बाधक सुयोग्य एवं प्रशिक्षित सहकारी कर्मचारियो की कमी रही है, तथा यह कमी स्वय प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं के फलस्वरूप थी। इसलिये अपनी विभिन्न प्रवर्तनात्मक एव विकासनात्मक क्रियाओ के अन्तर्गत बैंक सहकारी कर्मचारियो की प्रशिक्षण-सस्थाओ की स्थापना में सक्रिय भाग ले रहा है। बैंक ने १९५२ में बम्बई प्रान्त में सहकारी इन्स्टीट्यूट के सहयोग से सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय पूना में सहकारी कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिये एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण केन्द्र का सगठन किया। इस केन्द्र में सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाओ के उच्च तथा मध्यम श्रेणी के पदाधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहा माध्यमिक कक्षा में कुछ प्राइवेट विद्यार्थियो को भी प्रशिक्षित किया जाता है। परन्तु यह अनुभव किया गया कि

बैंक द्वारा कृषि साख प्रदान का

धारा	उद्देश्य	ऋण देने का प्रकार	अवधि
१७ (२) (क)	वास्तविक वाणिज्य एव व्यापारिक व्यवहार का अर्थ-प्रबन्ध	इस उद्देश्य से भारत पर लिखित तथा भुगतान होनेवाले विनिमय बिलो तथा रुक्को का क्रय अथवा पुनर्भजन	जिनकी अवधि क्रय अथवा पुनर्भंजन की तिथि से ९० दिन के अन्दर समाप्त होती हो।
१७ (२) (ख)	ऋतुकालीन कृषि क्रियाओ तथा फसलों के विपणन का (जिसमें मिश्रित कृषि क्रियाए तथा विपणन से पूर्व फसलो को विक्री योग्य बनाना भी शामिल है) अर्थ-प्रबन्ध करना है।	इस उद्देश्य से भारत में लिखित तथा भुगतान होने वाले विनिमय बिलो तथा रुक्को का क्रय अथवा पुनर्भजन	१५ माह। व्यवहार में साख की अवधि १२ माह तक सीमित रहती है।
१७ (२) (खख)	बैंक से अनुमति प्राप्त कुटीर एव लघु उद्योगो की उत्पादन तथा विपणन की क्रियाओं का अर्थ-प्रबन्धन	इस उद्देश्य से भारत में लिखित तथा भुगतान होनेवाले विनिमय बिलो तथा रुक्को का क्रय अथवा पुनर्भजन।	जिनकी अवधि क्रय अथवा पुनर्भंजन की तिथि से १२ माह के अदर समाप्त होती हो
१७ (४) (क)	सामान्य बैंकिंग व्यापार अथवा राज्य सहकारी बैंको के नकद साधनो में वृद्धि करना।	ऋण तथा अग्रिम	जिनकी अदायगी माँग पर अथवा ९० दिन की अवधि के अदर हो।
	ऋतुकालीन कृषि क्रियाओ तथा फसलो के विपणन का अर्थ-प्रबन्धन	ऋण तथा अग्रिम	यद्यपि ऋण का भुगतान माँग पर होना चाहिए, किन्तु साधारणतया बैंक १२ माह से पूर्व माँग नही करता।

संचालन करनेवाले प्रावधान

ऋणाधार	ब्याज की दर*	टिप्पणी
वाणिज्य अथवा व्यापारिक बिल जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हों जिनमें एक किसी अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक का हो।	बैंक दर	
कृषि पत्र जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हों जिनमें एक किसी अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक का हो।	बैंक दर से २ प्रतिशत कम, अर्थात् इस समय २ प्रतिशत।	
कुटीर एवं लघु उद्योगों के भारत में भुगतान होनेवाले बिल जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हों जिनमें से एक किसी राज्य सहकारी बैंक अथवा राज्य वित्त निगम का होना चाहिए यदि मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की पूर्णतः जमानत सम्बन्धित राज्य सरकार ने की हो।	बैंक दर से १ १/२ प्रतिशत कम।	हाथ करघा उद्योग को इस उद्देश्य के लिये अनुमति प्राप्त है।
स्कन्ध (Stocks) निधियाँ तथा ऋणपत्र (अचल-सम्पत्ति के अतिरिक्त) जिनमें विनियोग करने का न्यासधारी को अधिकार है।	बैंक दर	इस धारा के लिये संबंधित राज्य सरकारों की जमानत प्राप्त भूमि बंधक बैंकों के डिबैन्चर सरकारी ऋणपत्रों के बराबर माने गये हैं।
	बैंक दर से २ प्रतिशत कम।	

बैंक द्वारा कृषि साख प्रदान क

धारा	उद्देश्य	ऋण देने का प्रकार	अवधि
१७ (४) (ग)	वास्तविक वाणिज्य एवं व्यापार के व्यवहार का अर्थ-प्रबन्धन	ऋण तथा अग्रिम	जिनका भुगतान माँग पर अथवा ९० दिन की अवधि के अंदर हो।
	ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं तथा फसलो के विपणन का अर्थ-प्रबन्धन	,,	यद्यपि ऋण की अदायगी माँग पर होनी चाहिये परन्तु साधारणतया बैंक १२ माह से पूर्व माँग नही करता।
	बैंक से अनुमति प्राप्त कुटीर एव लघु उद्योगो की उत्पादन अथवा विपणन की क्रियाओ का अर्थ-प्रबन्धन	,,	,,
१७ (४) (घ)	वास्तविक वाणिज्य एव व्यापार तथा/अथवा कृषि क्रियाओ तथा फसलो के विपणन के व्यवहार का अर्थ-प्रबन्धन	ऋण तथा अग्रिम	जिनका भुगतान माँग पर अथवा ९० दिन की अवधि के अंदर हो।
१७ (४क) धारा ४६ क २(क) के अन्तर्गत निश्चित	प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सहकारी साख सस्थाओ की पूजी में शेयर लेने के लिये।	राज्य सरकारो को ऋण तथा अग्रिम	जिनकी अदायगी ऋण देने की तिथि से २० वर्ष के अन्दर हो। व्यवहार में, ये ऋण १२ वर्ष की अवधि तक सीमित हैं।

संचालन करनेवाले प्रावधान

ऋणाधार	ब्याज की दर*	टिप्पणी
संघटकों के रुक्के जो राज्य सरकारी बैंक के माँग रुक्कों से प्रमाणित हो।	बैंक दर	
"	बैंक दर से २ प्रतिशत कम	उन राज्यों मे जहां सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त विकास नही हुआ है, ऋण राज्य सरकार की जमानत पर दिए जाते हैं।
संघटकों के रुक्के जो राज्य सहकारी बैंक के माँग रुक्कों से प्रमाणित हो यदि उनके मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की पूर्णतः जमानत संबंधित राज्य सरकार ने की हो।	बैंक दर से १ १/२ प्रतिशत कम।	हाथ करघा उद्योग को इस उद्देश्य के लिये अनुमति प्राप्त है।
किसी अनुसूचित अथवा राज्य सहकारी बैंक के रुक्के जो इस प्रकार के बैंक को अंतरित अभिहस्तांकित (Assigned) अथवा बंधक रखे गये स्वत्व-प्रलेखों से प्रमाणित हो।	वाणिज्य तथा व्यापारिक व्यवहार सम्बन्ध में बैंक दर। ऋतुकालीन कृषि कार्यों अथवा फसलों के विपणन के लिये बैंक दर से २ प्रतिशत कम।	इस प्रकार का ऋण देना लाइसेंस प्राप्त भंडागारों की कमी के कारण प्रयोग में नहीं आ सका है।
	प्रथम २ वर्ष—कुछ नहीं अगले ३ वर्ष—२ १/२% अगले ४ वर्ष—२ १/२% अगले ३ वर्ष—३%	ऋण राष्ट्रीय साख (दीर्घकालीन क्रियाएं निधि) से दिए जाते हैं।
	विलक्षण मामलों में १२ वर्ष से ऊपर, तथा १४ वर्ष से ऊपर अगले २ वर्षों में — क्रमानुसार ३% तथा ३ १/२%	ब्याज की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है।

*विशिष्ट कम दर राज्य सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में ही लागू होती है।

बैंक द्वारा कृषि साख प्रदान का

धारा	उद्देश्य	ऋण देने का प्रकार	अवधि
४६ क २ (ख)	कृषि कार्यों के लिये जिनमें भूमि का कृष्यकरण, बन्ध बाधना तथा अन्य सुधार, फल वाटिकाओ तथा बागो (Plantations) के लिये भूमि तैयार करना, सिचाई के साधन, मवेशियो, औजारो, कलो तथा यातायात के सामान का क्रय इत्यादि शामिल है, तथा अन्य ऐसे कृषि से सबधित कार्यों के लिये जिन्हे केन्द्रीय बोर्ड समय-समय पर, नियमन अथवा अन्य रीति से निश्चित करे।	राज्य सहकारी बैंको का ऋण	१५ माह तथा ५ वर्ष के दरम्यान की अवधि के लिये व्यवहार में ऋण ३ वर्ष की अवधि के लिये प्रतिबधित है किंतु २५ प्रतिशत ऋण, यदि इच्छा हो, तो ५ वर्ष तक के लिये दिये जा सकते है।
४६ क २ (ग)	केन्द्रीय भूमि बधक बैंको को ऋण तथा अग्रिम देना	ऋण तथा अग्रिम	२० वर्ष तक की निश्चित अवधि के लिये।
४६ क २ (घ)	केन्द्रीय भूमि बधक बैंको के डिबैन्चरो का क्रय	डिबैन्चरो का क्रय	
१७ (४क) धारा ४६ (ख) के अन्तर्गत निश्चित	राज्य सरकारी बैंको की सहायता जिससे वे धारा १७ (२) तथा १७ (४) के अन्तर्गत प्राप्त किये निभाव के बकाया का, जिसे अनावृष्टि दुर्भिक्ष तथा अन्य प्रकृति के कोपो के कारण अदा नही कर पाये, भुगतान कर सके।	ऋण तथा अग्रिम	१५ माह से ५ वर्ष तक

संचालन करनेवाले प्रावधान

ऋणाधार	ब्याज की दर*	टिप्पणी
प्रत्येक के लिये निश्चित ऋणाधार ऋणों के लिए राज्य सरकारों की जमानत आवश्यक है।	कृषि कार्यों के लिए बैंक दर से २ प्रतिशत कम; कृषि क्रियाओं से सबंधित कार्यों के लिये बैंक दर।	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के कृषको द्वारा सहकारी चीनी मिलों में शेयर खरीदने को इस विषय में अनुमति प्राप्त है।
संबंधित राज्य सरकारो द्वारा मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की जमानत।		इस उद्देश्य के लिये राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घ कालीन क्रियाएं) कोष से अभी तक ऋण नहीं लिया गया है।
”		
राज्य सरकार की जमानत		ऋण राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) निधि से दिए जाते हैं।

* विशिष्ट कम दर राज्य सहकारी बैंकों के सबंध में ही लागू होती है।

इन सुविधाओ द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की बहुत कम मात्रा मे पूर्ति होती थी। इसलिये सन् १९५३ में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियो के सहकारी प्रशिक्षण की योजना को विस्तृत करने के प्रश्न पर भारत सरकार से विचार विमर्श हुआ तथा उसी वर्ष नवम्बर के महीने में रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार ने मिल कर सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य उच्च, माध्यमिक तथा नीचे स्तर पर सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की मिश्रित योजना का निर्देशन तथा उसे कार्यान्वित करना था। रिज़र्व बैंक का कृषि साख विभाग केन्द्रीय समिति के सचिवालय का कार्य करता है। रिज़र्व बैंक ने उच्च तथा माध्यमिक श्रेणी के पदाधिकारियो के प्रशिक्षण का आर्थिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है।

केन्द्रीय समिति द्वारा निर्देशित योजना के अनुसार उच्च सहकारी अधिकारियो का प्रशिक्षण अब भी सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय पूना में होता है। यहाँ प्रति छ माह लगभग ४० अधिकारी प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। मध्यम श्रेणी के कर्मचारियो का प्रशिक्षण पाच क्षेत्रीय केन्द्रो में हो रहा है जिनमें पूना, मद्रास, राची, इदौर तथा मेरठ शामिल है तथा जो २२० विद्यार्थियो को प्रति वर्ष प्रशिक्षण देते हैं। इस दीर्घकालीन निश्चित पाठच क्रम के अतिरिक्त पाचो क्षेत्रीय केन्द्रो में सहकारी विपणन में अल्पकालीन विशेष पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनका उद्देश्य विपणन के क्षेत्र मे विकास के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास में भूमि बधक बैंकिंग में एक विशेष पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। सामुदायिक विकास क्षेत्रो तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खडो मे प्रशिक्षित अधिकारियों की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये केन्द्रीय समिति ने खाद्य एव कृषि मत्रालय तथा सामुदायिक विकास प्रशासन की प्रार्थना पर आठ केन्द्रो में क्षेत्रीय स्तर के सहकारी अधिकारियो के लिये एक पृथक पाठ्यक्रम आयोजित किया है। इन केन्द्रों में प्रति वर्ष ७००-८०० व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते है। क्षेत्रीय स्तर के सहकारी अधिकारियो के ये आठ प्रशिक्षण केन्द्र हिमायत सागर (हैदराबाद के निकट), निपुरी (आध्र प्रदेश), भावनगर (बम्बई), कल्यानी (पश्चिमी बगाल), धुरी (पजाब), फैजाबाद (उत्तरप्रदेश), सागर-तट-वर्ती-गोपालपुर (उडीसा) तथा कोटा (राजस्थान) है। इन केन्द्रो का अर्थप्रबन्ध भारत सरकार करती हैं।

छोटी श्रेणी के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध, जिसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारो पर है, समिति की योजना के अन्तर्गत अलग अलग राज्यो के आधार पर होता है तथा देश भर में इस समय भी ४६ विद्यालयो मे कार्य हो रहा है। इन विद्यालयो का अर्थ-प्रबन्धन केन्द्रीय सरकार की निश्चित सहायता से सबधित राज्य सरकारो द्वारा होता है।

(७)

रिज़र्व बैंक तथा औद्योगिक वित्त

औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में रिजर्व बैंक का बढता हुआ योग भारतीय केन्द्रीय बैंकिग का एक अन्य लक्षण है। एक ओर शीघ्रतर औद्योगीकरण की आवश्यकता तथा दूसरी ओर आतरिक पूजी बाज़ार में पर्याप्त सुविधाओ की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र की मध्य तथा दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सस्थानात्मक ढाँचे को अपनाने तथा विस्तृत करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। अवधि साख को जुटाने के लिये विशेष सस्थाओ – भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा विभिन्न राज्य वित्त निगमो की स्थापना मे बैंक ने क्रियाशील योग दिया है; बक ने इन सस्थाओ को उनकी पूजी का एक भाग तथा ऋण लेने की सुविधायें प्रदान की है तथा उन्हे, विशेषत· राज्य वित्त निगमो को, उनके सगठन तथा कार्य क्रम मे बहुत सहायता दी है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation)

औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना १९४८ मे हुई। उसका निश्चित उद्देश्य सार्वजनिक सीमित देयतावाली कपनियो तथा सहकारी सस्थाओं के लिये मध्य तथा दीर्घकालीन साख को सरलता पूर्वक उपलब्ध करना है, विशेषत. उन परिस्थितियों में जहाँ सामान्य बैंकिंग निभाव अपर्याप्त हो अथवा बाज़ार मे पूजी जारी करना संभव न हो। बैंक ने निगम को वैत्तिक तथा सस्थानात्मक दोनो प्रकार की सहायता दी है। इस प्रकार निगम की ५ करोड रु. की चुकती पूजी में पाचवे भाग से अधिक बैंक ने दी है; बैंक ने निगम द्वारा जारी किए हुए बाड भी खरीदे हैं। निगम की वैत्तिक स्थिति को दृढ बनाने के लिये बैंक ने तथा भारत सरकार ने भी पुनर्निर्माण एव विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सुझाव पर निगम में अपने शेयरो पर लाभाश न लेना स्वीकार किया। यह लाभाश उस समय तक एक विशेष प्रारक्षित निधि में जमा होते रहेंगे जब तक इस प्रकार जमा की गई राशि का योग ५० लाख रु. से अधिक न हो जाए। इसके अतिरिक्त, १९५३ में रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट में हुए एक सशोधन के अन्तर्गत बैंक को अल्प तथा मध्यमकालीन के ऋण तथा अग्रिम निगम

को देने का अधिकार है। धारा १७ (४ ख) में निगम को ऋण तथा अग्रिम देने का प्रावधान है।

(अ) "जिनका भुगतान माँग पर अथवा निश्चित अवधि की समाप्ति पर, जो इस प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से ९० दिन से अधिक नही होनी चाहिये, होना हो तथा जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के ऋणपत्रो के आमुख हो; अथवा

(आ) "जिनका भुगतान निश्चित अवधि की समाप्ति पर, जो इस प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से १८ माह बाद से अधिक न हो, होता हो, तथा जो केन्द्रीय सरकार की किसी भी अवधि के ऋण पत्रो अथवा उक्त निगम द्वारा जारी किये तथा केन्द्रीय सरकार से गारन्टी प्राप्त तथा उक्त ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से १८ माह के अन्दर परिपाक, होनेवाले बाडो तथा डिबेंचरों के आमुख हो,

इस प्रावधान के साथ कि धारा खड (आ) के अन्तर्गत दिये गये ऋण तथा अग्रिम की रकम कुल मिलाकर किसी भी समय तीन करोड रुपये से अधिक न होगी"।

इस प्रकार, सरकारी ऋणपत्रो के आमुख चालू अल्पकालीन निभाव के लिये तो (जिसका भुगतान ९० दिन के अन्दर करना हो) एक्ट में अधिकतम सीमा निश्चित नही है, परन्तु मध्यमकालीन सहायता (जिसका भुगतान १८ माह के अदर करना हो) किसी भी दिन ३ करोड रु. से अधिक नहीं होनी चाहिये।

निगम की शेयर पूजी मे बैंक का हिस्सा होने के कारण, बैंक द्वारा नियुक्त किये दो व्यक्ति निगम के सचालको के बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व करते है। उन्हे निगम की केन्द्रीय समिति मे कार्य करने का भी अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त बैंक ने अनेक महत्वपूर्ण नीति सबधी मामलो पर निगम को सलाह देकर उसकी सहायता की है तथा कुछ बार निगम में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानो पर काम करने के लिये अपने प्रवन्ध-अधिकारियो की सेवाए उपलब्ध की है। इस प्रकार प्रथम व्यवस्था निर्देशक (Managing Director) बैंक का एक प्राधिकारी था तथा वर्तमान सामान्य व्यवस्थापक भी इसी प्रकार बैंक का एक प्राधिकारी है। निगम की स्थापना के समय से मार्च १९५८ के अन्त तक बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण का योग ५७.४२ करोड़ रु. था जिसमें से ३२.०३ करोड रु का वितरण हो चुका था, सन् १९५७-५८ में वितरित ऋण की रकम ७.९३ करोड रु. थी। मार्च १९५८ के अन्त में ऋण तथा अग्रिम की चालू रकम २६ ३० करोड रु. थी जो निगम की कुल परिसपत्ति की ७७ प्रतिशत थी, जिससे कि निगम औद्योगिक विकास के लिये रुपये की बढती हुई माँग की पूर्ति कर सके। केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में निगम को २२.२५ करोड रु. तक देना स्वीकार किया है; १९५६-५८, दो वर्षों में निगम ने १५ करोड रु. इस सुविधा के अन्तर्गत लिये। इसके अतिरिक्त औद्योगिक

वित्त निगम एक्ट, १९४८ में संशोधन किया गया है जिससे कि निगम अपनी पूजी तथा प्रारक्षित निधि के योग से दस गुनी रकम ऋण में ले सके जब कि अब तक यह सीमा पांच गुनी रकम तक थी। इस सीमा में निगम द्वारा सरकारी ऋणपत्रो के आमुख रिज़र्व बैंक से प्राप्त अल्प कालीनऋण की रकम तथा विदेशी मुद्रा में ऋण की रकम शामिल नही है।

राज्य वैत्तिक निगम (State Financial Corporations)

औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना से मध्यम तथा लघु उद्योगो की दीर्घकालीन साख की आवश्यकताएं पर्याप्त मात्रा मे पूरी नही हुई। इसलिये १९५१ में राज्य वैत्तिक निगम एक्ट बना। यह योग्यता प्रदान करनेवाला विधान था जिसमें राज्य सरकारोंद्वारा उनकी सीमा मे स्थित इस प्रकार के उद्योगो की अवधि-साख की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये वैत्तिक निगमो की स्थापना का प्रावधान था। इस प्रकार के निगम तीन राज्यों – मद्रास, मैसूर तथा जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों के कार्य कर रहे है। मद्रास में मद्रास औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (Madras Industrial Investment Corporation Ltd.) जिसकी स्थापना कंपनीज एक्ट के अन्तर्गत १९४९ मे हुई थी, राज्य वैत्तिक निगम के समान कार्य कर रहा है।

बैंक ने विभिन्न वैत्तिक निगमो की चुकती शेयर पूजी मे १० से २० प्रतिशत तक योग दिया है; अब तक बैंक का योग कुल मिला कर २ करोड रु हो गया है। रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट में बैंक द्वारा राज्य वैत्तिक निगमों को भी ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। एक्ट की धारा १७ (४) के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम के रूप मे अल्प कालीन निभाव प्रदान करने के अतिरिक्त, धारा १७ (२) (खख) के अन्तर्गत बैंक को उन विनिमय बिलो तथा रुक्को के – जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हो, (जिनमे से एक राज्य वैत्तिक निगम का हो) तथा जो बैंक से अनुमति प्राप्त कुटीर एव लघु उद्योगों की उत्पादन अथवा विपणन की क्रियाओ के अर्थ-प्रबन्धन के लिये लिखे अथवा जारी किये गये हों तथा १२ माह के अन्दर परिपाक (Mature) होनेवाले हो, यदि इन बिलों अथवा रुक्को के मूलधन तथा ब्याज की अदायगी की सबंधित राज्य सरकार ने पूर्णतः गारन्टी दी हो – क्रय, विक्रय तथा पुनर्भंजन का अधिकार है। निगमो को बैंकिंग की सुविधाये प्रदान की गई है तथा वे केवल बैंक में ही नही, उसके अभिकर्त्ताओं के साथ भी खाते खोल सकते हैं।

प्रत्येक राज्य वैत्तिक निगम के सचालक बोर्ड में रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त किया एक व्यक्ति है जो उसकी प्रबन्धक समिति मे भी कार्य कर सकता है। व्यवस्था निर्देशको की नियुक्ति के संबध में राज्य वैत्तिक निगम सामान्यतः बैंक की सलाह लेते रहे हैं तथा व्यवस्था निर्देशको के पद पर काम करने के लिये बैंक द्वारा अपने

प्राधिकारियो के भेजे जाने की भी मिसाले है। इन निगमो से बैंक के सबध विशेषत. निकट है। उस परिनियत प्रावधान के अतिरिक्त जिसमे निर्देश है कि अपनी पूजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से निगमो द्वारा बाडो अथवा डिबैंचरो के जारी करने, अथवा राज्य वैत्तिक निगम एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाने से पूर्व बैंक की सलाह लेनी आवश्यक है, निगम सामान्यत नीति सबधित महत्वपूर्ण मामलो में, जैसे उनकी निधियो का निवेशीकरण, बैंक की सलाह तथा सहायता लेते है। राज्य वैत्तिक निगम एक्ट में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकारो के लिये यह आवश्यक है कि नीति सबधित प्रश्नो पर निगमो को निर्देश देने के बारे मे वे बैंक से परामर्श कर ले। बैंक निगमो को उनके प्रकार्यो में समन्वय स्थापित करने में सहायता देता है। इस सम्बन्ध में बैंक प्रति वर्ष राज्य वैत्तिक निगमों, भारतीय वित्त निगम तथा अन्य सबधित हितो के प्रतिनिधियो के सम्मेलन का आयोजन करता है जिसमे सभी के हितो से सबधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलो पर वाद विवाद तथा आपसी विचार विमर्श हो सके। एक सम्मेलन में वाद विवाद के दौरान में निगमो ने अपने कार्यो तथा बही खातो के बैंक द्वारा परिनियत निरीक्षण के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया तथा यह स्वीकार किया कि जब तक एक्ट में सशोधन न हो जाय, इस प्रकार का निरीक्षण स्वय अपनी इच्छा से होना चाहिये। राज्य वैत्तिक निगम एक्ट मे सशोधन हो गया है तथा अब बैंक को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य वैत्तिक निगमो का निरीक्षण करने का अधिकार है। सरकार ने वार्षिक निरीक्षणो के लिये सामान्य अनुमति दे दी है तथा इन्हे बैंक की क्रियाओ का नियमित अग बनाने का विचार है।

ये निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी बैंक को अपनी क्रियाओ से सबधित कुछ नियतकालिक विवरण देते है। बैंक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अकेक्षित खातो के विवरण देने के अतिरिक्त निगमो के लिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक वित्त निगम प्रति वर्ष तथा राज्य वैत्तिक निगम वर्ष में चार बार, अथवा उतनी बार जितनी कि बैंक चाहे, अपने ऋण तथा निवेशो, गारटी ग्रहीत ऋण तथा हामीदारी इकरारनामें (Under Writing Agreement) के वर्गीकरण का विवरण बैंक को दे।

१२ राज्यो* में वैत्तिक निगमो के कार्य से यह विदित होता है कि उनसे अनुमति प्राप्त ऋण धीरे धीरे बढते जा रहे है तथा वितरित रकमो का योग अनुमति प्राप्त ऋणो की रकम के आधे से अधिक है। २८ मार्च १९५८ को उनकी चुक्ती शेयर-पूजी १३ करोड रु से अधिक थी। उसी तिथि को उनके द्वारा वितरित ऋणो की अप्राप्त रकम ९ ३५ करोड रु थी। किन्तु कुछ वैत्तिक निगमो द्वारा दिये गये अग्रिम अपेक्षत कम है। इसका एक मुख्य कारण उन केन्द्रो में जहा उद्योग स्थित है, ऋण के वितरण तथा ऋणाधार प्राप्ति सुविधाओ का न होना है। दूसरी ओर

* मद्रास औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड सहित।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों को दिये गये महत्वपूर्ण स्थान तथा उनके अर्थ-प्रबन्धन के लिये अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उनके लिये पर्याप्त साख सुविधायें उपलब्ध करने की समस्या को ठोस रीति से सुलझाना आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य से स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रिजर्व बैंक की अनुमति से एक मार्ग-दर्शक योजना बनाई है जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों की वैत्तिक आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में वास्तविक समन्वय स्थापित करना है। यह आशा की जाती है कि मार्ग दर्शक योजना को कार्यान्वित करने में प्राप्त अनुभव के आधार पर साख की समन्वयपूर्ण उपलब्धि की एक सामान्य योजना जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्था को एक निश्चित प्रकार्य मिला होगा, बनाई जा सकेगी तथा लघु उद्योगों की साख सुविधाओं में प्रत्यक्ष विस्तार संभव हो सकेगा।

विभिन्न वैत्तिक निगमों के कार्यों के साथ बैंक के निकट संपर्क ने उनकी क्रियाओं में कुछ हद तक समन्वय स्थापित कराने में सहायता दी है। इस प्रकार एक प्रथा स्थापित हो गई है जिसके अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सामान्यत: १० लाख रु. से अधिक रकम वाले प्रार्थनापत्रों को लेता है तथा राज्य वैत्तिक निगम उनके विधानों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर तथा किसी भी दशा में केवल १० लाख रु तक की मांगों पर ही विचार करते हैं।

बैंक तथा औद्योगिक वित्त

इन निगमों तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना से नि:सन्देह ही उद्योगों की वैत्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कुछ सहायता मिली है। किन्तु देश में औद्योगिक विकास की योजनाओं की विशालता को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक वित्त की उपलब्धि के संस्थानात्मक कला विन्यास को दृढ़ करना होगा, विशेषत: जहां तक मध्यकालीन वित्त का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में वाणिज्य बैंकों का योग, उनके उद्योग एवं वाणिज्य के साथ विस्तृत संपर्क तथा उनकी क्रियाओं के लोचदार होने के कारण, विशेष महत्व रखता है।

भारतीय बैंकों द्वारा उद्योगों के मध्यकालीन, यदि दीर्घकालीन न हो सके, अर्थ-प्रबन्धन के क्षेत्र में क्रियाओं के विस्तार की संभावना पर भारत में (जैसा अनेक अन्य देशों में भी हुआ है) बैंकिंग प्रणाली के उद्भव के दौरान की विभिन्न अवस्थाओं में विचार हो चुका है। बीस वर्ष से अधिक हुए केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया था तथा उसके सदस्यों के बहुमत ने भारतीय बैंकों द्वारा उद्योगों के अवधि-अर्थ-प्रबंधन के विरुद्ध मत दिया था। हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये वित्त समिति (Committee of Finance for the Private Sector) ने बैंकों द्वारा मध्य तथा दीर्घकालीन औद्योगिक अर्थ-प्रबन्ध में परोक्ष रूप से भाग लेने का सुझाव दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि मिशन ने भी, जो १९५३ में इस देश में आया था इसी प्रकार की सिफारिश की।

यद्यपि अवधि ऋण इस देश मे अधिक प्रचलित नही है किन्तु यह बात निश्चित है कि अन्य देशो के बेंको के समान ही भारतीय बेंक भी अपने अग्रिम के बड़े भाग को शीघ्र न मागने की प्रथा (Practice of rolling over a substantial part of their advances) का अनुसरण करते है। इस प्रकार वास्तव में, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से ही भारतीय बेंक कुछ मध्यकालीन साख उपलब्ध करते रहे हे, तथापि कुछ समय से यह प्रथा अधिक विस्तृत हो गई है। यह बात एक ओर तो उद्योगो के लिये मध्यकालीन साख के सभरण के सस्थानात्मक प्रबन्धो मे कमी का प्रमाण है, तथा दूसरी ओर बेंको के द्रव्यत्व की रक्षा के दृष्टिकोण से भी शीघ्र हल ढूढने की आवश्यकता की ओर घ्यान आकर्षित करती है। मध्यम तथा लघु औद्योगिक इकाइयो को वित्त प्राप्त करने में विशेष कठिनाई होती है। लघु उद्योगो को प्राप्त आर्थिक सुविधाओं को विस्तृत करने के लिये सरकार विशेष प्रयत्न कर रही है। औद्योगिक विकास की अत्यन्त आवश्यकता के कारण प्रकार्यो का कुछ हद तक सम्मिश्रण अथवा बेकिंग ढाँचे की बहु उद्देश्यीय बढोत्री अवश्यभावी प्रतीत होती है तथा वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान कर सकती है, यदि इस प्रणाली को बेंकिंग प्रणाली के द्रव्यत्व की रक्षा करते हुए ठीक प्रकार कार्यान्वित किया जाय।

किन्तु समस्या केवल द्रव्यत्व तक ही सीमित नही है। बेंको के साधनो को बढाने के उपायो पर विचार करना आवश्यक होगा तथा कम से कम प्रारम्भ मे बेंको से यह आशा करना व्यर्थ होगा कि वे अपने स्वय के (अल्पकालीन) साधनो को इस कार्य के लिये प्रयोग करेगे। गैर-सरकारी क्षेत्र के अर्थ-प्रबन्धक के लिये समिति ने सुझाव दिया था कि बिल बाजार योजना की समाज सुविधाओ के द्वारा उचित सावधानी के साथ रिज़र्व बेंक की सहायता का प्रबन्ध करके बेंको के मध्यकालीन वित्त उपलब्ध करने के साधनो में वृद्धि करने के उपायो की खोज सभव हो सकती है। वाणिज्य बेंको के साधनो मे योग देने का सिद्धान्त जिससे कि वे मध्यकालीन साख देने के योग्य बन सके, अब स्वीकार कर लिया गया है, यद्यपि जिस रूप में बेंको को सहायता देने का निश्चय किया गया है वह समिति के सोचे गये रूप से भिन्न है।

उद्योगों के लिये पुनः वित्त प्रबन्ध करनेवाला निगम (Refinance Corporation for Industry)

उद्योगो के लिये पुन वित्त प्रबन्धन करनेवाले निगम निजी लिमिटेड की जो कपनीज एक्ट १९५६ के अन्तर्गत पंजीयत हुआ, ५ जून १९५८ को स्थापना हुई। उसकी प्रारम्भिक निर्गमित पूजी* १२.५ करोड रु. थी जिसमें रिज़र्व बेंक ने

* निगम की अधिकृत पूजी २५ करोड़ रु. है।

(५ करोड़ रु.), स्टेट बैंक आफ इंडिया ने (२. ३० करोड रु), जीवन बीमा निगम ने (२.५० करोड रु.), तथा १४ बडे अनुसूचित बैंको ने (२ ७० करोड रु) का योग दिया। १४ बड़े बैंकों को भारत में उनकी जमा के आधार पर निर्धारित श्रेणियो के अनुसार शेयर दिये गये है, प्रति बैंक का अलग अलग योग १० से १५ लाख रु तक है। भारत सरकार ने इस निगम के पास लगभग २६ करोड रु की रकम रखनी स्वीकार की है (४० वर्ष के व्याज देनेवाले ऋण के रूप में), यह रकम भारत-सयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) के समझौते के अनुसार दिये गये कृषि पदार्थों की बिक्री से प्राप्त हुई है। निगम को उपलब्ध कुल ३८ ५ करोड़ रु का उपयोग सदस्य बैंको द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की छोटी इकाइयों को दिये गये मध्यकालीन ऋण के आमुख पुनः ऋण देने की सुविधाओं की उपलब्धि के लिये किया जायगा। यह आवश्यक है कि बैंको द्वारा दिया गया ऋण उत्पादन बढाने के लिये होना चाहिये, विशेषत उन उद्योगों से जो द्वितीय पचवर्षीय योजना अथवा बाद में आनेवाली योजनाओं में शामिल हों।

३८.५ करोड रु की कुल राशि मे से प्रत्येक भाग लेनेवाले अनुसूचित बैंक का अम्याश (Quota) निर्धारित कर दिया गया है जिसके अन्दर वह बैंक निगम को पुन: वित्त प्रबन्धन के लिये कुछ प्रकार के ऋण दे सकता है। इन अम्यशों के आबटन के लिये, बैंक उनके भारत में जमा के आकार के अनुसार चार श्रेणियों में विभक्त कर दिये गये है। अम्यंश की न्यूनतम सीमा १ करोड रु तथा अधिकतम सीमा ३ करोड रु है। किन्तु स्टेट बैंक आफ इंडिया को ५ करोड रु. का अम्यश मिला है। प्रत्येक बैंक द्वारा उसके अम्यश के उपयोग के आधार पर हर छ माह बाद अम्यशो की पुनः जाच की जाएगी। निगम द्वारा पुनः वित्त प्रबन्धन के लिये ग्राह्य होने के लिये ऋण ३ से ७ वर्ष के लिये होने चाहिये। ऋण मध्य-आकार की औद्योगिक सस्थाओं को दिये जाने चाहिये अर्थात् उन्हे जिनकी चुकती पूजी तथा प्रारक्षण (कर देने के हेतु प्रारक्षण तथा साधारण ह्रास प्रारक्षणो के अतिरिक्त) २ १।२ करोड रु से अधिक न हो। ऋण मध्यम-आकार की रकमो मे दिये जाने चाहिये जिससे कि किसी एक ऋण लेनेवाले को अधिकतम ऋण ५० लाख रुपये से ऊपर न मिले। निगम को पुन. वित्त प्रबन्धन के लिये दिये गये ऋण पर ऋण देनेवाले बैंक पूर्णतः साख की जोखिम उठाएगे।

निगम का प्रबन्ध सात सदस्यो वाले सचालकों के एक बोर्ड को सौपा गया है; रिजर्व बैंक का प्रबन्धक उसका अध्यक्ष है, तथा अन्य सदस्य—रिजर्व बैंक का उप-प्रबधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया का अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष तथा निगम में भाग लेनेवाले बैंको के तीन प्रतिनिधि है। बैंक के औद्योगिक वित्त विभाग का मुख्य प्राधिकारी निगम का सामान्य व्यवस्थापक है।

यह आशा की जाती है कि यह योजना चुने हुए अनुसूचित बैंको द्वारा उद्योगो को औपचारिक अवधि ऋण देने के अवसर प्रदान करेगी तथा निगम बैंको को मिले अम्यश की सीमा तक उनके द्वारा दिये गये ग्राह्य ऋण के आमुख द्रव्यत्व प्रदान करने का प्रमुख साधन होगा।

(८)

विनिमय नियंत्रण

रुपये का बाहरी मूल्य बनाये रखना बैंक के प्रमुख केन्द्रीय बैंकिंग प्रकार्यों में से है तथा इस कार्य के लिये बैंक अपने पास राष्ट्र का अधिकाश विदेशी विनिमय प्रारक्षण रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य होने के नाते जो कर्तव्य पूरे करने है उनमें एक यह भी है कि रुपये का मूल्य सोने के मूल्य मे सूचित किया जाय तथा वर्तमान दर निवल सोने के २.८८ ग्रेन प्रति रुपया अथवा ६२ ५० रु प्रति तोला है। किन्तु दिन प्रति दिन के विनिमय प्रबन्धन के लिये यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ-प्रबन्ध के लिये सामान्यत प्रयोग में लाई जानेवाली किसी एक प्रमुख मुद्रा से सम्बन्ध स्थापित किया जाय। भारत के लगभग ७० प्रतिशत विदेशी सौदो का अर्थ-प्रबन्धन स्टर्लिंग में, लगभग १० प्रतिशत डालर में तथा शेष रुपयो में होता है। देश के अन्तर्राष्ट्रीय सौदो के अर्थ-प्रबन्ध के लिये स्टर्लिंग पर अधिक निर्भर होने, यू.के के साथ परम्परा प्राप्त वैत्तिक सबधो तथा लन्दन बाजार मे वित्त की सुविधाओं की उपलब्धि के कारण रुपये का पौण्ड स्टर्लिंग से सबध बनाये रखना आवश्यक हो गया है। १९२७ में रुपये – स्टर्लिंग की विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेन्स प्रति रुपया निर्धारित की गई थी तथा यह दर अब तक कायम है।

बैंक के विनिमय संबंधी कर्त्तव्य

बैंक के विदेशी विनिमय सबधी कर्त्तव्य रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट की धारा ४० में दिये गये हैं, वे इस प्रकार है –

"बैंक किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा माँग किये जाने पर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली अथवा मद्रास, अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य शाखा में केन्द्रीय सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनिमय दर तथा शर्तों पर, जहाँ तक विनिमय दर का प्रश्न है अपने अतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रति कर्त्तव्यो को ध्यान में रखते हुए, क्रय विक्रय करेगा।

यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को दो लाख रुपये से कम के मूल्यकी विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय करने की माँग करने का अधिकार नही होगा।

व्याख्या — इस धारा के अनुसार 'प्राधिकृत व्यक्ति' वह व्यक्ति है जिसे १९४७ के विदेशी विनिमय नियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत अपनी माँग संबंधी विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है।

बैंक तत्स्थान (Spot) तथा वायदे पर (Forward) (६ माह की अवधि तक) स्टर्लिंग उन अनुसूचित बैंकों से जिन्हें विदेशी मुद्रा मे देन लेन करने का अधिकार प्राप्त होता है, १ शिलिंग ६ पेन्स की दर पर खरीदता है। बैंक स्टर्लिंग की तत्स्थान बिक्री १ शिलिंग ५-६३।६४ पेन्स की दर पर करता है, वायदे के स्टर्लिंग दर १।६४ पेन्स प्रति रुपया कम होती है। बैंक द्वारा स्टर्लिंग की तत्स्थान क्रय विक्रय की दरो के बीच कम अन्तर तथा बहुत कम दर पर वायदे के सौदे के प्रबन्ध द्वारा अधिकार प्राप्त व्यापारियों को रुपये को स्टर्लिंग में बदलने तथा स्टर्लिंग को रुपये में बदलने का अति सरल कला-विन्यास प्राप्त है, वे उत्तम (Fine) दरो पर स्टर्लिंग की क्रय विक्रय सम्बन्धी जनता की आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकते है, तथा इस प्रकार रुपये के बाहरी मूल्य की दिन प्रति दिन की स्थिरता बनी रहती है। अनुसूचित बैंको की, जनता के साथ सौदों के लिये स्टर्लिंग की क्रय विक्रय की दरे भी विनिमय बैंको की समिति, रिज़र्व बैंक की सम्मति से इन दरो के अनुसार निश्चित करती है।

स्टर्लिंग क्षेत्र में प्रबन्ध

पौंड स्टर्लिंग के अतिरिक्त अन्य मुद्राओ मे देश के विदेशी सौदो के केवल एक छोटे से भाग का वित्त प्रबन्धन होता है। विभिन्न केन्द्रीय बैंको द्वारा लगभग समान (Parity) स्तर पर किये गये पोषण के कारण स्टर्लिंग क्षेत्र मे इन मुद्राओ की अप्रतिबंधित परिवर्तनशीलता (Convertibility) बनी रहती है तथा इस के द्वारा भारत के अधिकार प्राप्त व्यापारी उन बैंको से लन्दन में अथवा सबंधित स्टर्लिंग क्षेत्र में उत्तम दरो पर आवरण (Cover) प्राप्त कर लेते हैं। जहा तक स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर की मुद्राओ की विनिमय दरो का प्रश्न है, वे सामान्यत लन्दन की दरो द्वारा निर्धारित होती है; अधिकार प्राप्त व्यापारी अपनी गैर-स्टर्लिंग चालू आवश्यकताओ तथा अग्रिम विनिमय को लदन विनिमय बाजार अथवा जिस मौद्रिक क्षेत्र के चलन का वे क्रय अथवा विक्रय करना चाहते है, वहा के बैंको द्वारा प्राप्त कर लेते है। भारत के बैंक अपनी स्वय की दरो की घोषणा करने के लिये स्वतत्र नही है किन्तु वे स्वाभाविक रूप में विदेशी केन्द्रो की दरो के बराबर ही रहती है।

भारत 'स्टर्लिंग क्षेत्र' के नाम से सबोधित देशो के समूह का एक सदस्य है, इस 'समूह' का केन्द्रीय देश यूनाइटेड किंगडम है। इस 'समूह' के मुख्य लक्षण, जो लम्बी अवधि मे विकसित हुए है, इस प्रकार हैं (अ) सदस्य देशो के मौद्रिक प्रारक्षण के बडे भाग को स्टर्लिंग में रखा जाना, (आ) तत्स्थान तथा वायदे की क्रियाओ द्वारा निजी मुद्रा की स्टर्लिंग के साथ विनिमय समानता बनाये रखना, (इ) स्टर्लिंग क्षेत्र से

बाहर के देशो की मुद्राओ, विशेषत. सयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U.S.A.) तथा कनाडा के डालरो का सचय किया जाना। युद्ध से पूर्व रिजर्व बैंक आफ इडिया के स्टर्लिग जो देश के मुख्य प्रारक्षण थे, द्वितीय युद्ध के वर्षो में प्राप्त स्तर की अपेक्षा बहुत कम थे। जून १९४५ से पिछले ५ वर्षो में रिजर्व बैंक आफ इडिया की परिसंपत्ति १५२ करोड रु से बढ कर १,४४२ करोड रु. हो गई। इस बढौती का कारण भारत द्वारा सामान तथा सेवाओ के रूप में भिन्न देशो के युद्ध प्रयत्नो मे योग देने के कारण अदायगी शेष में बचत थी। विभाजन तथा यू. के के साथ हुए अनेक समझौतो के परिणाम स्वरूप, जिनके अन्तर्गत सुरक्षा के सामान की खरीदारी, पेन्शन की किश्तो तथा अदायगी शेष की कमी को पूरा करने के लिये स्टर्लिग को निकालने के कारण, बैंक की विदेशी परिसपत्ति बाद के वर्षो में बहुत कम हो गई तथा मार्च १९५८ के अन्त में वे २६७ करोड़ रु. थी तथा इसके अतिरिक्त सोने के प्रारक्षण ११८ करोड रु. के मूल्य के थे।

स्टर्लिग क्षेत्र के कलाविन्यास के अन्तर्गत यू. के के अतिरिक्त अन्य देशो की विनिमय निधिया स्टर्लिग के रूप में जमा होती है तथा ऐसी रीति बन गई है कि उनके अधिकाश विदेशी व्यापार का वित्त प्रबन्धन स्टर्लिग में होता है। स्टर्लिग क्षेत्र से बाहर की बची हुई मुद्राए सदस्य देशो के व्यापारी बैंको द्वारा उनके इस्तेमाल के लिये तथा/अथवा राष्ट्रीय मुद्रा-अधिकारियो को पुन बेचने के लिये स्टर्लिग के बदले में लन्दन को बेच दी जाती है। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी स्टर्लिग प्रारक्षण के बनाये रखने के कारण वास्तव में लन्दन में स्टर्लिग क्षेत्र से बाहर की मुद्राए जमा हो जाती थी, परन्तु युद्ध काल मे तथा युद्ध के पश्चात् के वर्षो में स्थापित किये प्रबन्धो से एक महत्वपूर्ण दिशा में परिवर्तन हुआ। युद्ध से पूर्व सदस्य देशो को यू के. से स्टर्लिग क्षेत्र से बाहर की मुद्रायें खरीदने की पूर्ण स्वतत्रता थी। परन्तु युद्ध के वित्त प्रबन्धन के लिये स्टर्लिग क्षेत्र से बाहर की मुद्राओ को बचाने की आवश्यकता तथा युद्ध के पश्चात् स्टर्लिग क्षेत्र से बाहर के देशो के साथ सौदो के लिये मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति करने मे स्टर्लिग क्षेत्र की कठिनाइयो के कारण स्टर्लिग-क्षेत्र से बाहर की मुद्राओ, विशेषत सयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U.S.A.) के डालरो का खर्च काफी हाथ रोक कर करने की आवश्यकता पडी। यद्यपि इसके परिणाम स्वरूप डालर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रो के माल को आयात करने की नीतियो में भेदभाव होता है तथापि इस भेदभाव की मात्रा अलग अलग सदस्य देशो में अलग अलग होती है तथा प्रत्येक सदस्य देश द्वारा स्वतत्रतापूर्वक निर्धारित होती है।

विनिमय नियंत्रण—उद्देश्य

मुद्रा के बाहरी मूल्य का सधारण (Maintenance) मुख्यत. उचित मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियो (Fixed Policies) द्वारा होता है, परन्तु युद्ध तथा युद्ध के पश्चात् के वर्षो में असाधारण परिस्थितियो के कारण अनेक देशो ने, जिनमें भारत भी शामिल है, अपने निवासियो की विदेशी विनिमय की माग तथा उनके

द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय के व्यय पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना आवश्यक समझा। भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में, जब कि आर्थिक योजनाएं क्रम रूप से कार्यान्वित हो रही है, इस प्रकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण का विशेष महत्व है। भारत मे यह नियमन, व्यापार (आयात तथा निर्यात) नियंत्रण तथा विनिमय नियंत्रण द्वारा होता है।

बैंक द्वारा संचालित विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत आयात निर्यात का प्रत्यक्ष नियमन नही होता। यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग के मत्रालय (Ministry) का है। किन्तु बैंक आयात के लिये भुगतान की निश्चित रीतियों तथा निर्यात द्वारा प्राप्त मुद्रा को देश में लाने पर पर्यवेक्षण रखता है। अदृश्य कहे जाने वाले सौदो से संबंधित नियमो का प्रबन्ध बैंक करता है।

भारत में विनिमय नियत्रण द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ से रहा है। उस समय यह भारत रक्षा नियमो के वैतिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त असाधारण अधिकारो के आधार पर लागू किया गया था। युद्ध के अतिम वर्षो तथा युद्ध पश्चात् के वर्षो मे, भारत के अदायगी शेष में अधिक मात्रा में घाटा रहा है। यह महसूस किया गया कि भुगतानो पर नियत्रण सदा आवश्यक रहेगा, यद्यपि उसकी मात्रा में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। इसलिये नियत्रण को स्थायी बनाने का निश्चय किया गया तथा विदेशी विनिमय नियमन एक्ट, १९४७ बनाया गया। इस एक्ट का सचालन बैंक, उसकी सहमति से सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार करता है। युद्ध कालीन नियत्रण स्टर्लिंग क्षेत्र से बाहर के देशो के साथ सौदों तक ही सीमित था। स्टर्लिंग पावनो (Balances) के बड़ी मात्रा मे जमा हो जाने के कारण स्टर्लिंग क्षेत्र में सौदो के लिये पूर्ण स्वतत्रता संभव थी। १९४७ के मध्य में यू. के. तथा भारत के बीच आर्थिक समझौते के अन्तर्गत स्टर्लिंग पावनो के बड़े भाग पर रोक लगा देने के निश्चय के पश्चात्, उपलब्ध विदेशी विनिमय की बचत के उद्देश्य से स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों (पाकिस्तान के अतिरिक्त) तक नियंत्रण का विस्तार करना आवश्यक हो गया। २७ फरवरी १९५१ से ही विनिमय नियंत्रण पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान पर भी लागू हो गया, पाकिस्तानी रुपया हर दृष्टि से लका अथवा बर्मा के रुपये के समान विदेशी मुद्रा समझा जाने लगा। योजना द्वारा प्रेरणा मिलने के फलस्वरूप बढती हुई आयात तथा उसके भुगतान के लिये विदेशी मुद्रा के अपर्याप्त अर्जन के दृष्टिकोण से विदेशी मुद्रा का विवेकपूर्ण वितरण (Ration) आवश्यक हो गया है जिससे कि प्रतिस्पर्धी आयात मागो के बीच उसे इस प्रकार वितरित किया जा सके जिससे राष्ट्र को अधिकतम लाभ पहुँचे।

अधिकार प्राप्त व्यापारी

विदेशी विनिमय नियमन एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो को प्रयोग में लाकर बैंक ने कुछ वाणिज्य बैंको को विदेशी विनिमय मे व्यापार करने का लाइसैन्स दिया है। इन लाइसैन्स प्राप्त बैंको में, जिन्हे विदेशी विनिमय के अधिकार प्राप्त व्यापारी

कहा जाता है, वे बैंक जो द्वितीय युद्ध के प्रारभ से पूर्व विनिमय व्यापार कर रहे थे तथा कुछ अन्य बैंक जिन्हे उस तिथि के बाद विदेशी विनिमय में व्यापार करने का लाइसैन्स दिया गया, शामिल हैं। इन लाइसेंस प्राप्त बैंकों मे से कुछ को केवल स्टर्लिंग क्षेत्र की मुद्राओ में व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ है परन्तु अधिकाश को बैंक द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार सब विदेशी मुद्राओ में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, लाइसैन्स प्राप्त व्यापारी तत्स्थान एव वायदे के सौदो का आवरण स्थानीय बाज़ार भाव पर, लदन विनिमय बाजार मे अथवा सबधित मुद्रा के देश के बैंकों द्वारा कर सकते है तथा यह तत्स्थान भाव बैंक आफ इग्लैंड की क्रय तथा विक्रय की सरकारी (Official) दरो के बीच घट बढ सकते है क्योंकि भारत स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य है, इसलिये अधिकार प्राप्त व्यापारियो द्वारा प्राप्त की गई समस्त अधिक विदेशी मुद्रा लन्दन बाज़ार में स्टर्लिंग के आमुख बेच दी जाती है, तथा इसके फलस्वरूप मिलनेवाली मुद्रा बैंक को स्टर्लिंग की बिक्री द्वारा इस देश को वापस कर दी जाती है।

विदेशी विनिमय में प्रेषण

विदेशो को किये जाने वाले भुगतान निम्नलिखित श्रेणियो में विभक्त किये जा सकते है –

आयात के लिये भुगतान – विदेशी विनिमय के अधिकार प्राप्त व्यापारी साख पत्र (Letters of Credit) दे सकते है अथवा यदि माल को आयात लाइसैन्स की सप्रमाण विनिमय नियत्रण प्रति का अथवा खुले सामान्य लाइसैन्स का आवरण प्राप्त हो तो भारत के आयात के बदले धन का विदेश को प्रेषण कर सकते है। उत्पादक माल (Capital Goods) को आयात के अतिरिक्त, जब विदेशी उत्पादको के पास धन जमा करना आवश्यक होता है, धन के पेशगी प्रेषण की आज्ञा साधारणतया नही मिलती।

गैर-सरकारी प्रेषणा – भारत के अतिरिक्त स्टर्लिंग क्षेत्र के किसी अन्य देश के लोग जो अस्थायी (Temporary) निवासी हो परन्तु भारत के अध्युषित (Domiciled) न हो, अपनी चालू आय में से अपने परिवारो के पालन के लिये, बीमे की किश्त का भुगतान करने इत्यादि के लिये स्टर्लिंग क्षेत्र की किसी मुद्रा में निश्चित अधिकतम रकम* तक प्रेषण कर सकते है, तथा अधिकार प्राप्त व्यापारी रिज़र्व बैंक

---

*पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी अन्य देश को प्रेषणा किए गए धन का कुल योग प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति के लिये १५० पौंड से अधिक नही होना चाहिये। भारत में रहनेवाले पाकिस्तानी अधिवासियो को, तथा भारतीय अधिवासियो को जिनके पाकिस्तान में आश्रित है, उनके पालन के लिये ५० रु प्रति माह तक रुपया भेजने का अधिकार है।

से पूछे बिना इस प्रकार का प्रेषणा कर सकते है। विदेशियो को भी, जो भारत के अस्थायी निवासी हो, उनके परिवारों के पालन इत्यादि के लिये इसी प्रकार की उचित प्रेषणा सुविधाये मिल जाती हैं।

यात्रा व्यय – व्यापारिक यात्रा, विदेशो मे शिक्षा तथा डाक्टरी चिकित्सा के लिये निश्चित मात्रा में उचित विनिमय सुविधाये प्रदान की जाती है।

अन्य उद्देश्य – भारत के बाहर किसी अन्य देश में रहनेवाले उपकारग्राही स्वामियों (Beneficiary Owners) को भाड़े, लाभ, लाभाश तथा ब्याज का प्रेषण स्वतत्रतापूर्वक किया जा सकता है। चालू प्रकृति के अन्य सब प्रेषणो की भी आज्ञा है।

पूंजी प्रेषणा – स्टर्लिंग क्षेत्र के लोगो को, जो अस्थायी निवासी है, परन्तु भारत मे अध्युषित (Domiciled) नही है, पद-परित्याग के समय स्टर्लिंग क्षेत्र के किसी भी देश को अपनी समस्त सम्पत्ति को भेजने का अधिकार है। अन्य विदेशियों को, जो भारत मे रहते है, परन्तु अध्युषित नही है, अपने पद-परित्याग के समय स्थानान्तरित हो सकनेवाली अपनी समस्त चालू परिसपत्ति को अपने देश को स्थानान्तरित करने का अधिकार है। भारतीय देशवासी (Indian Nationals) तथा अध्युषित (Persons Domiciled) भारत के बाहर किसी भी देश मे प्रवास करते समय एक निश्चित मात्रा में अपनी परिसंपत्ति का प्रेषणा कर सकते है।

भारत को पूंजी की प्रेषणा

भारत में पूजी विनियोग करने तथा उसके वापस भेजने के प्रार्थना पत्रों पर बैंक की पूर्व-अनुमति की आवश्यकता होती हैं। स्टर्लिंग क्षेत्र तथा स्केन्डिनेवियन देशों में रहनेवालो को वापस भेजने (Repatriation) की सुविधाये स्वतत्रतापूर्वक प्रदान की जाती है। अन्य देशो के निवासियो को वापस भेजने की सुविधायें केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं में १ जनवरी १९५० के पश्चात् किये निवेशो के सम्बन्ध में मिलती हैं।

सोना चांदी

विनिमय-नियत्रण के अन्तर्गत बैंक से लाइसैन्स प्राप्त किये बिना सोने तथा चादी के भारत में आयात तथा सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध है। वर्तमान समय में बैंक सोने को निर्यात अथवा सोने चांदी की आयात के लिये लाइसैन्स नही देता, सिवाय तिब्बत में चालू चादी के सिक्को के आयात के जिन्हे ३ मई, १९५६ से भारत-तिब्बत व्यापार को सुविधा देने के उद्देश्य से स्वतत्रतापूर्वक लाइसैन्स दिया गया है। चादी की निर्यात के लिये निर्यात व्यापार नियत्रण अधिकारियों से लाइसैन्स लेना आवश्यक है।

निर्यात नियंत्रण

नेपाल, तिब्बत तथा भूटान के अतिरिक्त अन्य देशो को इस देश से माल की निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा भी विदेशी विनिमय नियत्रण के अन्तर्गत आती है। विदेशों को माल को निर्यात करने की आज्ञा मिल जाती है यदि निर्यातकर्ता तट कर-संग्रह कर्ता (Collector of Customs) को निर्देशित फार्म पर यह घोषणा लिख कर दे कि माल के पूरे मूल्य की विदेशी मुद्रा बैंक द्वारा निश्चित रीति तथा समय के अन्दर उपयोग में लाई गई है अथवा लाई जावेगी। निर्यात पर नियंत्रण का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि निर्यात द्वारा प्राप्त विदेशी विनिमय भारत भेज दिया जाता है तथा विदेशों में रोक नही लिया जाता, साथ ही यह भी देखना है कि निर्यात का वित्त प्रबन्धन उन्ही निश्चित रीतियो से होता है जिससे निर्यात द्वारा देश को अधिकतम प्राप्ति हो। यह प्रणाली तट-कर अधिकारियो के सहयोग से कार्यान्वित होती है तथा बैंको तथा जहाज वालों के लिये माल के मूल्य तथा वित्त प्रबन्धन की रीति का विवरण देनेवाले बयानो को पूरा करना आवश्यक होता है। *तट-कर अधिकारी जहाज द्वारा माल भेजने के फार्म को प्रस्तुत किये बिना निश्चित* देशों को माल भेजने की आज्ञा नही देते। आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात् ये फार्म बैंक के पास भेज दिये जाते हैं। जहाज द्वारा माल को भेजने के फार्म की अन्य प्रतिया जहाजवाले निर्यात के आवरण बिलो को भुनाने (Negotiate) के समय अपने बैंको को दे देते है। ये रिजर्व बैंक के पास भी भेज दिये जाते है तथा वह इन फार्मों को मूल फार्मो से मिलाता है तथा इस प्रकार यह निश्चय करता है कि समस्त भेजे गये माल का विवरण प्राप्त है। चाहे जहाज द्वारा माल एक निश्चित विक्रय समझौते के अन्तर्गत भेजा जाय अथवा प्रेषण (Consignment) पर, कार्य करने की रीति वही रहती है, केवल बादवाली स्थिति में विनिमय नियत्रण विभाग जहाज वालो से वास्तविक विक्रय मूल्य जानने का प्रबध करता है जिससे कि विदेशी विनिमय की भारत में पूर्णत. प्राप्ति हो।

आभूषणों, मुद्रा नोटों तथा ऋणपत्रों की निर्यात

विनिमय नियत्रण नियमों के अन्तर्गत आभूषणो तथा मुद्रा नोटों की निर्यात, जिस पर अनेक प्रतिबन्ध है, तथा ऋणपत्रो की निर्यात भी आती है। इन ऋणपत्रो में केवल स्कन्ध, शेयर, बाड तथा डिबेंचर, सरकारी ऋणपत्र, लाभाश अथवा ब्याज के कूपन अथवा अधिपत्र ही शामिल नही है, वरन् जीवन बीमा पालिसिया तथा ऋणपत्रो, इकाई ट्रस्ट (Unit Trust) की इकाइयो अथवा उप-इकाइयो से सबधित जमा रसीदें भी शामिल है। बैंक से लाइसैन्स प्राप्त किये बिना ऋणपत्रो के निर्यात पर प्रतिबन्ध है तथा जो व्यक्ति अन्तरण, विक्रय इत्यादि के लिये ऋणपत्रो को विदेश में भेजना चाहते है, उन्हे अनुमति प्राप्त विदेशी विनिमय-व्यापारी के द्वारा बैंक के

पास लाइसेंन्स प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र देना होता है। रुपये के ऋणपत्रों का अन्तरण अथवा विदेश में रहनेवाले व्यक्तियो के पक्ष मे या हित मे रुपये के ऋणपत्रों का निर्माण (Creation of Interest) बैंक की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा के बिना वर्जित है। इसी प्रकार भारत के रजिस्टरो से विदेशो के रजिस्टरो में ऋणपत्रो का अतरण तथा भारत में पंजीयित अथवा पजीयित होनेवाले ऋणपत्रो का भारत से बाहर रहनेवालो के लिये, भारत में अथवा विदेश में प्रचालन, बैंक की पूर्व अनुमति के बिना वर्जित है।

सांख्यिकीय विवरण

अधिकार प्राप्त व्यापारियो द्वारा विदेशी विनिमय की बिक्री के ऊपर उचित पर्यवेक्षण रखने के उद्देश्य से बैंक ने अधिकार प्राप्त व्यापारियों के लिये आवश्यक कर दिया है कि वे संबधित प्रार्थनापत्रो के साथ निर्धारित पत्रो (Forms) पर अपनी विदेशी विनिमय की बिक्री का विवरण प्रस्तुत करे; इनका बैंक के विनिमय नियत्रण विभाग में परिनिरीक्षण होता है जिससे कि यह निश्चय हो जाय कि विनिमय परि-नियमों का उल्लंघन नही हुआ है। बैंक अधिकार प्राप्त व्यापारियों से विदेशी विनिमय की प्राप्ति सबधी विवरण भी लेता है। यह निश्चित करने के अतिरिक्त कि परिनियमो का पालन हो रहा है ऊपर लिखित विवरणो द्वारा भारत के अदायगी शेष सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन होता है। यह कार्य बैंक का अनुसधान एवं साख्यिकी विभाग करता है।

(९)

आर्थिक एवं सांख्यिकीय अनुसन्धान

मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा उसे कार्यान्वित करना, जो बैंक का सब से महत्वपूर्ण प्रकार्य है, बहुत हद तक यथार्थ, विस्तृत तथा नवीनतम पृष्ठभूमि सूचनाओ की तुरन्त उपलब्धि तथा उनके शीघ्र विश्लेषण पर निर्भर करता है। अनुसधान एव साख्यिकी विभाग का सगठन इस प्रकार किया गया है जिससे कि वह बैंक की समस्त महत्वपूर्ण कर्मात्मक (Operational) क्रियाओ के अनुसंधान प्रतिरूप का केद्र बन सके। कर्मात्मक, समस्याओ को अनुसधान के फलो द्वारा प्रभावित करना तथा परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बैंक की उचित मुद्रा तथा साख नीतियो के निर्धारण में सहायता देना इस विभाग का सामान्य प्रकार्य हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिये, इस विभाग का बैंकिंग अनुसधान खड अनुसधान के क्षेत्र में बैंकिंग क्रियाओ, बैंकिंग विकास एव औद्योगिक वित्त विभागो का प्रतिरूप है तथा अपने कार्यो का उनकी क्रियाओ से समन्वय बनाये रखता है; मुद्रा अनुसंधान खड का विस्तृत कार्य क्षेत्र मुद्रा तथा लोक ऋण प्रबध के केन्द्रीय बैंकिंग प्रकार्यो के बीच है जिन्हे क्रमानुसार मुख्य लेखा-प्राधिकारी के कार्यालय तथा सचिव के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है; विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय वित्त खड अपने अदायगी शेष के अनुमानो के लिये अधिकतर आकडे (Data) विनिमय नियत्रण विभाग से प्राप्त करता है तथा उसकी क्रियाओ से निकट सम्पर्क बनाये रखता है; ग्रामीण अर्थ-शास्त्र खड के अन्तर्गत अध्ययन तथा कार्य का क्षेत्र है जो कृषि साख विभाग का पूरक है तथा साख्यिकी खड बैंक के सब कार्यो के साख्यिकीय प्रतिनिधित्व तथा सबधित सूचना क्षेत्रो को भेजता है। इस विभाग का यह कर्त्तव्य है कि बैंक के अधिकारियो को आर्थिक क्षेत्र की घटनाओ की सामान्यत तथा वैत्तिक तथा मौद्रिक क्षेत्रो की घटनाओ को विशेष रूप में सूचना देता रहे। केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को समय-समय पर विभिन्न आर्थिक एव वैत्तिक समस्याओ के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो को परामर्श देना होता है, तथा उनकी कुछ आर्थिक तथा वैत्तिक नीतियो के निर्धारण में सामान्यत सहायता भी देनी होती है। इसके लिये आवश्यक होता है कि लगातार तथा विस्तृत रूप में आर्थिक, वैत्तिक तथा बैंकिंग आकडो को एकत्र तथा समग्र किया जाय, मौद्रिक तथा सबधित समस्याओ का अध्ययन किया जाय तथा देश तथा विदेश की प्रवृत्तियो तथा घटनाओ पर सामान्यत दृष्टि रखी जाय; तथा यह सब अनुसधान विभाग के सामान्य कार्य का अग है। यह विभाग अपने कुछ अनुसधान कार्य के

नतीजो को बैंक की मासिक समाचार पत्रिका (Bulletin) द्वारा जनता तक पहुँचाता है तथा अनेक सरकारी रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है, जैसे मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट, भारत मे बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर रिपोर्ट, बैंक की क्रियाओं पर केन्द्रीय बोर्ड के सचालकों की रिपोर्ट तथा भारत के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारिणियाँ (ग्यारहवाँ परिच्छेद देखिए)।

यह विभाग बैंक के प्रमुख सलाहकार के सामान्य निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसे आर्थिक सलाहकार तथा सांख्यिकीय सलाहकार सहायता देते है। आजकल विभाग के पांच खड है, प्रत्येक खड एक अनुसंधान सचालक के अन्तर्गत है। मुद्रा अनुसधान के खड का सम्बन्ध आन्तरिक वित्त से सबधित समस्याओ के अध्ययन से है जिनके अन्तर्गत मुद्रा तथा द्रव्य सभरण, द्रव्य एव पूजी बाजार, बचत तथा राजवित्त (Public Finance) जिसमे कर तथा लोक ऋण भी शामिल है, तथा कीमते तथा औद्योगिक उत्पादन आदि विषय आते है। रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्य साख नियत्रण के साधनों के प्रयोग के नीति पक्ष, जैसे बैंक दर इत्यादि का इस खंड मे विशेष अध्ययन होता है, यह खंड सामान्य आर्थिक समाचार प्राप्त करने के कार्य (Intelligence Work) को भी देखता है। बैंकिंग अनुसधान खड बैंकिंग सांख्यिकी पर अनेक आपरीक्षण (Surveys) करता है जिनका उद्देश्य बैंक को उसकी बैंकिंग तथा साख नीतियों के निर्धारण तथा विवेचनात्मक (Selective) साख नियत्रण को कार्यान्वित करने मे सहायता देना है। इसके अतिरिक्त यह खड बैंकिंग की समस्याओं पर अनुसंधान करता है तथा बैंकिंग के क्षेत्र मे विदेशों में प्रवृत्तियो तथा घटनाओ से तथा विशेषतः मौद्रिक नीतियो मे परिवर्तनो से निकट सम्पर्क बनाये रखता है। यह खड बैंकों के लिये प्रारक्षण आवश्यकताओ मे परिवर्तन करने की बैंक की शक्ति को प्रयोग करने के सबध मे परामर्श देने के लिये उत्तरदायी होगा। बैंकिंग त्रियाओ, बैंकिंग विकास तथा औद्योगिक वित्त विभागों के क्षेत्र की समस्याओं के विस्तृत पक्ष के अध्ययन पर यह खंड विशेष ध्यान देता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त का खड भारत के अदायगी शेष सम्बन्धी सांख्यिकी के सग्रह एव शुद्धिकरण (Refinement) के लिये जिसमें प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष व्यापार, पूजी के सौदे, विदेशी विनिमय प्रारक्षण तथा देश के विदेशी देयता एव परिसपत्ति में परिवर्तनो के आकडे भी शामिल है, उत्तरदायी है। खड का मुख्य कार्य बैंक के विनिमय नियत्रण विभाग से प्राप्त आकडो का विधायन (Process) करना तथा उनको आर्थिक विश्लेषण तथा आर्थिक नीति के निर्धारण के लिये उपयुक्त रूप मे प्रस्तुत करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण विकास बैंक के (I.B.R.D.) द्वारा निश्चित आवश्यकताओ की पूर्ति भी करना है। खड के कार्य का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र अन्य देशो की आर्थिक स्थिति के निरूपण, विशेषत. भुगतान तुला से सबधित है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त की बढती हुई किस्मो तथा समस्याओं की सीमा में विस्तार के कारण, जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय ऋण तथा विदेशी विनियोग भी

शामिल है, इस खड के, जिसका नाम पहिले अदायगी शेष खड था, कार्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। ग्रामीण अर्थ-शास्त्र का खड कृषि उत्पादन, विपणन तथा कीमतो की प्रवृत्तियो तथा भूमि पट्टा प्रणाली (Land Tenure) एव भूमि सबधी कानूनो के बारे में अध्ययन करता है। वह ग्रामीण साख एवं वित्त मे सबधित समस्याओं का भी अध्ययन करता है। इस खड ने बैंक द्वारा १९५१ में किये गये अखिल भारतीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण से सबधित कार्य में सक्रिय भाग लिया। उसका सबसे महत्वपूर्ण चालू प्रकार्य ग्रामीण साख आपरीक्षण समिति की सिफारिशो को पूरा करने में प्रगति का निरूपण करने तथा आकने के लिये आपरीक्षण जारी रखना है। साख्यिकीय खड बैंक के प्रकाशनो के लिये आकड़े सग्रह करने तथा बैंक के आन्तरिक उपयोग तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ के उपयोग के लिये उत्पादन तथा कीमतो आदि पर महत्वपूर्ण सामान्य साख्यिकीय सूचना देने के लिये उत्तरदायी है। यह खड उत्तम ऋणपत्रो तथा औद्योगिक ऋणपत्रो के मूल्यो तथा औद्योगिक ऋणपत्रो पर लाभ दर सबधी सूचक अको (Index Numbers) की शृखला प्रकाशित करता है। वह अन्य खडो द्वारा किये गये आपरीक्षणो में विशेषत· उनमें जो नमूने लेने (Sampling) तथा अन्य तात्रिक कार्य से सबंधित हों, भाग लेता है। कपनियो के खातो का विश्लेषण इस खड का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह खड समय-समय पर विशेष अध्ययनो का आयोजन भी करता है।

(१०)

बैंक का आन्तरिक संघटन

बैंक का वर्तमान आन्तरिक सघटन बैंक के कार्यों के आकार तथा प्रसीमा में
उसकी स्थापना के समय से, तथा विशेषत: पिछले लगभग दस वर्षों में, निश्चित प्रसार
का द्योतक हैं। बैंक के कार्यों में लगातार वृद्धि के साथ साथ, उसके सघटनात्मक
ढाँचे का भी विस्तार करना पडा। युद्ध के पश्चात् बैंक के कार्यो मे विस्तार का कुछ
अनुमान बैंक मे नौकरी करनेवाले व्यक्तियो की सख्या से लग सकता है; यह सख्या
३० जून १९३९ को २,५७४ थी तथा ३१ मई १९५८ तक बढ कर ८,७८३ हो गई।
पर्याप्त समन्वय के साथ प्रकार्यों की विशेषज्ञता (Specialization) बैंक के
आन्तरिक संघटन का मुख्य पहलू है। यह पहिले ही बताया जा चुका है कि बैंक के
नोट प्रचालन तथा सामान्य बैंकिंग व्यापार सबधी प्राथमिक प्रकार्य दो अलग अलग
विभागो – बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग, द्वारा होते है। बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग,
'स्थानीय' कार्यालयो/बैंक की शाखाओ के नाम से प्रसिद्ध हैं। बैंको के निरीक्षण
तथा पर्यवेक्षण, बैंकिंग तथा साख सुविधाओ के विस्तार, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में
विस्तार से संबंधित नीतियो के निर्धारण, विनिमय नियत्रण तथा आर्थिक एव वैत्तिक
मामले पर सरकार को परामर्श देने आदि के बैंक के प्रकार्य मुख्यत. उसके बम्बई मे
स्थित मुख्यालय (Head Quarter) अथवा केन्द्रीय कार्यालय में पूरे किये जाते
है। केन्द्रीय कार्यालय में अब दस कार्यालय/विभाग हैं। वे इस प्रकार है :–

१. सचिव का कार्यालय,

२. मुख्य लेखा-अधिकारी का कार्यालय,

३. निरीक्षण विभाग,

४. कानून विभाग,

५. कृषि साख विभाग,

६. बैंकिंग क्रियाओं का विभाग,

७. बैंकिंग विकास विभाग,

८. औद्योगिक वित्त विभाग,

९. विनिमय नियत्रण विभाग तथा

१०. अनुसधान एव साख्यिकीय विभाग (सगठनात्मक मानचित्र देखिये)। बैंक के सगठन के इस अत्यधिक विस्तार ने बैंक के गौण (Secondary) अथवा विकासनात्मक प्रकार्यों को, विशेषतः बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में, आदि विधान के अन्तर्गत उसे सौपे हुए प्रारंभिक अथवा परम्परा प्राप्त तथा निवल नियमात्मक कार्यों से, अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

बैंक के कार्यालय* तथा शाखाएं

बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग बैंक की प्रमुख कर्मात्मक इकाइया है, पहिले इनके सघटनात्मक ढाँचे का विवरण देना उचित होगा। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है बैंक के बगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली में स्थानीय कार्यालय/शाखाए है। प्रत्येक कार्यालय/शाखा मे बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग है। बैंकिंग विभाग मैनेजर के अन्तर्गत है, तथा यद्यपि प्रचालन विभाग सीधे मुद्रा अधिकारी के अन्तर्गत कार्य करता है, समस्त कार्यालय मैनेजर के सामान्य रक्षण के अन्तर्गत है। विनिमय नियत्रण विभाग, बैंकिंग क्रियाओ के विभाग तथा कृषि साख विभाग की शाखाए तथा कलकत्ता का अनुसधान विभाग भी बैंकिंग विभाग मे सम्मिलित है। बम्बई के मुख्यालय मे यह विभाग केन्द्रीय कार्यालय का अग है। अन्य केन्द्रो मे, यद्यपि ये कार्यालय पृथक अधिकारियो के, जो अपने सबधित केन्द्रीय कार्यालय विभागो से निर्देश प्राप्त करते है, अन्तर्गत है, तथापि वे मैनेजर के प्रशासनिक रक्षण में है।

बैंक ने अप्रैल १९३६ में लन्दन में भारत के उच्च आयोग (High Commission) का खाता रखने, तथा भारत सरकार के लन्दन में भुगतान होने वाले रुपये के ऋण के प्रबन्ध के लिये लन्दन में एक कार्यालय स्थापित किया।

बैंकिंग विभाग

बैंक के बैंकिंग विभाग को बैंक के सरकार तथा अन्य बैंको के बैंकर के रूप में कर्तव्यो के अन्तर्गत होनेवाले सौदो के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। जैसा बताया जा चुका है बैंक के बैंकिंग विभाग के सात कार्यालय है तथा प्रत्येक कार्यालय एक मैनेजर के आधीन है। इसके अतिरिक्त एक कार्यालय लखनऊ में भी खोला गया है जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रचालित हानिपूरक बाडो (Compensation Bonds) से सबधित कार्यों को देखना है। बैंकिंग विभाग चार विभागो

* बैंक के 'कार्यालय' तथा 'शाखा' शब्दो में अतर है। चार केन्द्र — बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली, जो रिजर्व बैंक आफ इडिया एक्ट की प्रथम सूची में दिये हुए विभिन्न क्षेत्रो के मुख्य स्थानो पर है तथा जहाँ स्थानीय बोर्ड स्थापित हैं, कार्यालय कहलाते है, शेष केन्द्रो को शाखायें कहा जाता है।

में पुन विभाजित है -- लोक खाते विभाग, लोक-ऋण कार्यालय (कानपुर तथा नागपुर के अतिरिक्त), जमा खाते विभाग तथा ऋणपत्र विभाग (कानपुर तथा नागपुर के अतिरिक्त)। बम्बई के कार्यालय मे चादी के आयात तथा सरकार के लिये सोने चादी की बिक्री को लाइसेंन्स देने से संबंधित कार्य भी बैंकिंग विभाग में ही होते है।

लोक खाते

लोक खाते विभाग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन्न सरकारी विभागो के, जिनमें रेल विभाग भी शामिल है, जमा खातो को रखता तथा उनका क्रियाकरण करता है। वह उनके स्थान पर रुपया स्वीकार तथा वितरित करता है तथा उनके विनिमय एव प्रेषण सौदे पूरे करता है।

लोक ऋण

केन्द्रीय सरकार के लोक ऋण का प्रबन्ध करना रिजर्व बैंक का परिनियत उत्तर-दायित्व है। राज्य सरकारो के लोक ऋण का प्रबन्ध भी उनके साथ किये गये सम-झौतो के अनुसार बैंक ही करता है। नये ऋणो की अवधि एव शर्तो, प्रचालन की रकम, तिथि तथा रीति इत्यादि से सबधित नीति के मामलो तथा विभिन्न सरकारों के ऋण चालू करने (Loan Flotations) के समन्वयन को सचिव का कार्यालय देखता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के लोक ऋण के केन्द्रीयकरण तथा समन्वय से संबंधित कार्य तथा नवीन ऋणो के चालू करने के प्रारंभिक प्रबन्ध केन्द्रीय ऋण भाग के द्वारा, जो बैंक के सचिव के अन्तर्गत कार्य करता है, होते है। निपुणता पूर्वक प्रबन्ध करने के उद्देश्य से, कुछ भूतपूर्व "ब" श्रेणी के राज्यो द्वारा चालू किये हुए कुछ ऋणों के अतिरिक्त लोक ऋण से संबधित वास्तविक व्यवहार का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है तथा उसे बगलौर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली मे स्थित लोक ऋण कार्यालयो के अधीन कर दिया गया है। मार्च १९५४ में एक लोक ऋण कार्यालय लखनऊ मे भी स्थापित किया गया, किन्तु यह कार्यालय केवल उत्तरप्रदेश जमीदारी उन्मूलन के हानिपूर्वक बाडो के प्रबन्ध को ही देखता है। नवम्बर १९५६ मे हैंदराबाद में भी एक लोक ऋण कार्यालय खोला गया जो भूतपूर्व हैंदराबाद सरकार द्वारा अप्रैल १९५३ से पूर्व प्रचालित ऋणो का प्रबन्ध करता है तथा हैंदराबाद में जारी किये गये (Enfaced) केन्द्र तथा राज्य सरकार के ऋणो पर ब्याज देता है। सरकारी ऋण पत्रों से सबधित कानून १९४४ के लोक ऋण एक्ट तथा १९४६ के लोक ऋण नियमो में है तथा सरकारी ऋणो के प्रचालन, परिवर्तन, पुन. जारी करने, ब्याज के भुगतान इत्यादि से सबधित विधियाँ (Procedure) केन्द्रीय सरकार के अधिकार के अन्तर्गत जारी की गई सरकारी ऋणपत्रो की पुस्तिका मे दी हुई है।

लोक ऋण कार्यालय के मुख्य प्रकार्यों में सरकारी ऋण की किश्तें लेना तथा ऋण प्रमाणपत्रों (Scrips) का जारी करना सरकारी ऋणपत्रों पर अर्ध-वर्षीय ब्याज का भुगतान करना, ब्याज के भुगतान के लिये राज्य कोषों अथवा उप-राज्य कोषों इत्यादि में ऋणपत्रों को पेश करना, विभिन्न प्रकार के सरकारी ऋणपत्रों को पुनः जारी करना, उनका परिवर्तन, एकीकरण, तथा विभाजन, अवधि पूर्ण होनेवाले ऋणों का भुगतान, ऋणपत्रों से संबंधित अनिश्चित स्वत्वों की जांच करना, तथा खोये हुए, चोरी गये अथवा नष्ट हुए ऋण प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियों का जारी करना शामिल है। यह विभाग अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले राज्य कोषों के सरकारी ऋण से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है तथा राज्य कोषों द्वारा किये गये ब्याज के भुगतान का अंकेक्षण करता है।

वर्तमान समय में लोक ऋण कार्यालय द्वारा प्रचालित सरकारी ऋणपत्रों के दो रूप हैं—स्कन्ध प्रमाण पत्र (Stock Certificates) तथा रुक्के (Promissory Notes)। किसी ऋण के रुक्के स्कन्ध प्रमाण पत्रों में बदले जा सकते हैं अथवा स्कन्ध-प्रमाण पत्र रुक्कों में बदले जा सकते हैं। स्कन्ध प्रमाणपत्रों पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय द्वारा प्रचालित अधिपत्रों (Warrants) के द्वारा होता है, स्कन्ध प्रमाणपत्रों को पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु रुक्कों पर ब्याज के अधिपत्रों के प्रचालन के लिये यह आवश्यक है कि स्वयं रुक्कों को लोक ऋण कार्यालय में पेश किया जाय।

निर्धारित शर्तों के अधीन बड़े संस्थानात्मक विनियोजक जैसे अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा बीमा कंपनियां लोक ऋण कार्यालय के सहायक सामान्य लेखा खातों (Subsidiary General Ledger Accounts) में सरकारी ऋणपत्रों को रख सकते हैं। यह विशेष सुविधा संस्थानात्मक संधारकों (Holders) तथा बैंक दोनों की आसानी के लिये चलाई गई है तथा बैंक में जमा किये हुए ऋणपत्रों के लिये लगभग 'चालू खाते' के समान काम में आती है। इसके कारण किसी एक लोक ऋण कार्यालय में एक सहायक सामान्य प्रपंजी खाते से दूसरे में तथा दो पृथक कार्यालयों द्वारा रखे गये खातों में पुस्तक प्रविष्टियों द्वारा ऋणपत्रों का प्रेषण करना संभव होता है, तथा इस प्रकार स्थान परिवर्तन में हानि होने का खतरा बच जाता है। स्कन्ध प्रमाण पत्रों की तरह उन पर ब्याज का भुगतान लोक ऋण कार्यालय द्वारा जारी किये गये अधिपत्रों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त बैंक केन्द्रीय सरकार के लिये, लघु बचत योजना के अंग के रूप में, दस वर्षीय राज्य कोष बचत जमा-प्रमाणपत्रों तथा पंद्रह वर्षीय वार्षिक-वृत्ति (Annuity) प्रमाण पत्रों का प्रचालन करता है।

औद्योगिक वित्त निगम एक्ट, १९४८ की धारा २१ के अन्तर्गत प्रचालित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बांडों के प्रबन्ध से संबंधित कार्य भी लोक ऋण कार्यालय को सौंपा गया है। इन बांडों से संबंधित प्रचालन, प्रेषण, पुनः जारी करने, ब्याज के

भुगतान आदि की विधियां औद्योगिक वित्त निगम (बार्डों के प्रचालन) अधिनियमों, १९४९, में दी हुई है।

जमा खाते

जमा खाता विभाग बैंक के आन्तरिक खाते, अनुसूचित बैंको के परिनियत आधिक्य (Balances) तथा अन-अनुसूचित तथा सहकारी बैंको के जमा रखता है। वह कुछ सार्वजनिक संस्थाओ जैसे वैत्तिक निगमो, विदेशी केन्द्रीय बैंको तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ के चालू खाते भी रखता है। रिजर्व बैंक आफ इडिया की धारा १७ (१३) के अनुसार, बैंक आज कल अनेक विदेशी केन्द्रीय बैंको तथा दो अन्तर्राष्ट्रीय वैत्तिक सस्थाओ – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण एव विकास के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बैक को रुपये के चालू खाते की सुविधायें प्रदान करता है।

यह विभाग अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बैंको तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वैत्तिक निगमो के ग्राह्य बिलो का पुनर्भजन करता है तथा उन्हें ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक के धन के प्रेषणा की योजना के अतर्गत वह बैंक ड्राफ्ट जारी करके तथा डाक तथा तार द्वारा प्रेषणा करके केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो, बैंको, देशी बैंको तथा जनता के लिये निधियो का प्रेषण करता है। बैंक के लन्दन कार्यालय में भुगतान होनेवाले स्टर्लिंग के ड्राफ्ट तथा डाक और तार द्वारा प्रेषणा केवल सरकारी विभागो को ही मिलती है। यह विभाग स्टर्लिंग के क्रय विक्रय राज्य कोष-पत्रो के निविदो (Tenders) से सबधित कार्य के कुछ भाग को भी देखता है।

क्रमानुसार बैंकिंग क्रियाओ के विभाग के केन्द्रीय कार्यालयो तथा बम्बई मे स्थित कृषि साख विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य निर्देशनो के अन्तर्गत जमा खाते विभाग अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बैंको को आर्थिक निभाव प्रदान करता है।

इन प्रशासनिक प्रकार्यो के अतिरिक्त जमा खाते विभाग विभिन्न केन्द्रो के समाशोधन-गृहो (Clearing Houses) के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारत के प्रमुख केन्द्रो जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास, के समाशोधन-गृहो के सदस्य इस उद्देश्य से इपीरियल बैंक आफ इडिया के स्थानीय कार्यालयो मे रखे गये खातो द्वारा अपने समाशोधन अन्तर तय करते थे। रिजर्व बैंक आफ इडिया की स्थापना तथा एक्ट की धारा ४२ के अनुसार अनुसूचित बैंको द्वारा बैंक में परिनियत खाते खोले जाने के साथ, यह प्रबन्ध किया गया कि ऊपर दिये केद्रों मे समाशोधन-गृहों के सदस्य अपने समाशोधन अन्तर रिजर्व बैंक में अपने खातों पर चेक लिख कर तय करे। यद्यपि एक्ट की धारा ५८ (२) (त) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को समाशोधन गृहो के नियमन के लिये अधिनियम बनाने का अधिकार है,

बैंक ने अभी तक अधिनियम बनाने की आवश्यकता नही समझी तथा समाशोधन-गृह अभी तक अपना पिछला हस्तक्षेप रहित (Autonomous) लक्षण बनाये हुए हैं। किन्तु बैंक ने अधिकतर केन्द्रो मे जहां उसके कार्यालय अथवा शाखायें हैं, समाशोधन के कार्य का पर्यवेक्षण करना स्वीकार किया हैं। आज कल वह बगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली के समाशोधन-गृहों के अधिकार का संचालन कर रहा है।

ऋणपत्र

ऋणपत्र विभाग मुख्यत. बैंक के पास अपनी अधिकारीय स्थिति में सरकारी अधिकारियो द्वारा तथा स्थानीय सत्ताओ द्वारा जमा किये गये ऋणपत्रों के क्रय, विक्रय तथा सुरक्षित रखने का कार्य करता है। सरकारी अधिकारियो से प्राप्त ऋणपत्रो मे न्यास (Trust) निधिया, न्यायालयो के प्रबन्ध के अन्तर्गत नाबालिगो की जायदादें तथा ठेकेदारो की जमा तथा स्थानीय सत्ताओ से प्राप्त ऋणपत्रो में उनके प्रावधाय निधि (Provident Fund) सग्रहो तथा अन्य निधियो जैसे दान-न्यासो से संबधित स्वय उनके निवेश शामिल है। ऋणपत्रो का क्रय विक्रय अनुमति प्राप्त अनुसूचित दलालो द्वारा होता है। यह विभाग बैंक द्वारा प्रचालन तथा बैंकिंग विभागो के लिये सधारण किये ऋणपत्रों, बीमा कपनियो तथा भारत में कार्य कर रही विदेशी बैंकिंग कम्पनियो द्वारा परिनियत जमा के रूप में रखे गये ऋणपत्रो तथा बैंको द्वारा ऋण के आवरण के तथा बैंक की गारन्टी योजना के अन्तर्गत गारन्टियो के रूप में तथा वैतिक निगमो द्वारा ऋण के आवरण के रूप में जमा किये हुए ऋणपत्रो को भी सुरक्षित रखने के लिये स्वीकार करता है। इन ऋणपत्रो पर ब्याज सग्रह किया जाता है तथा सबधित सधारको के पास भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वह रिजर्व बैंक में खाते रखनेवाले विदेशी केन्द्रीय बैंको के राज्य कोष-पत्रो का पुनर्भंजन करता है तथा ऋणपत्रो का क्रय विक्रय करता है।

प्रचालन विभाग

जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है नोट प्रचालन के व्यवसाय के कुशल प्रबन्ध (अर्थात् नासिक में स्थित इडियन सिक्योरिटी प्रेस से नोटों को प्राप्त करने तथा उनका राज्य कोषो, उप-राज्य कोषो तथा बैंक के नकदी तिजोरिया रखनेवाले अभिकर्ताओ में वितरण करने तथा तिजोरियो से पुराने तथा बेकार नोटों को हटाने तथा उचित समय मे परीक्षण के पश्चात् उन्हें नष्ट करने इत्यादि) के लिये भारत सघ को प्रचालन के सात क्षेत्रो में विभाजित किया गया हैं। प्रचालन विभाग की प्रत्येक शाखा दो पृथक विभागो सामान्य विभाग तथा नकदी विभाग, में बँटी हुई हैं। सामान्य विभाग साधन (Resource) क्रियाओ, अर्थात्, इडियन सिक्योरिटी प्रेस से नोटों

के संभरण का प्रबन्ध करने, उनको नकदी तिजोरियों में भेजने, प्रचालन विभाग की परिसपत्ति तथा सचालन (Circulation) खातो के रखने, को देखता है। नकदी विभाग नकद सौदो तथा बैंक तथा नकदी तिजोरियो के बीच वास्तविक प्रेषण को सम्हालता है। नकदी विभाग एक कोषाध्यक्ष के अधीन रहता है। अधिकतर कार्यालयो में जहा प्रचालन तथा बैंकिंग विभाग एक ही इमारत में स्थित है, दोनों विभागो के लिये एक ही कोषाध्यक्ष होता है। प्रचालन-कार्य के अतिरिक्त, नकदी विभाग सरकार तथा बैंको द्वारा रिजर्व बैंक पर लिखे चेको को भुनाता है तथा उनसे जमा भी स्वीकार करता है।

सामान्य विभाग कई भागो में बँटा हुआ है। उदाहरण के लिये पजीयन शाखा ऊँचे मूल्य के नोटो के प्रचालन के रजिस्टर रखती है तथा इन रजिस्टरो में नोटो के रद्द होने का हिसाब लिखती है। रद्द किये नोटों के सत्यापन (Verification) की शाखा भुगतान तथा रद्द किये नोटों* को ले लेती है, उनकी मूल्य तथा गुण सम्बन्धी जाँच करती है तथा सत्यापन के अधिपत्र जारी करती है। स्वत्व शाखा (Claims Branch) बैंक के नोटों के प्रत्यर्पण (Refund) के अधिनियमों के अनुसार खोये, चुराये गये, खराब हुए, बदले हुए तथा अन्य दोषपूर्ण नोटो के भुगतान के लिये दिये गये प्रार्थना पत्रों को तथा जाली तथा स्वत्व रहित (Unclaimed) नोटो के मामलो को भी देखती है। साधन शाखा (Resource Branch) नकदी तिजोरियों के कलाविन्यास द्वारा विभिन्न केंद्रों में मुद्रा के संभरण का तथा सामान्य आवश्यकताओं से अधिक मुद्रा को हटाने का प्रबन्ध करती है। वह कम मूल्य के सिक्कों के गोदामो (Depots) के खाते भी रखती है।

केन्द्रीय कार्यालय विभाग

अब हम बम्बई में स्थित केन्द्रीय कार्यालय के संस्थानात्मक ढांचे को ले सकते है। जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, केंद्रीय कार्यालय में दस कार्यालय/विभाग है। इनमे से प्रत्येक इकाई को सौंपे हुए कार्य का सक्षेप में नीचे वर्णन दिया जाता है।

सचिव का कार्यालय

सचिव का कार्यालय सामान्यत: बैंक की नीति को प्रभावित करनेवाले विभिन्न मामलो से सपर्क रखता है। वह विशेषत. बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के ऋण तथा राज्य कोष पत्रों से सबंधित सामान्य मामलो,

---

* अर्थात् वे नोट जो पुराने तथा मैले होने के कारण और अधिक चलन के लिये अनुपयुक्त होते है तथा जिन्हे नकदी विभाग रद्द कर देता है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो को अल्पकालीन अग्रिम मजूर करने, सरकारो की अतिरिक्त रकमो के विनियोजन से सबधित मामलो, तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा पुर्नानिर्माण एव विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक मे रिज़र्व बैंक के व्यवहारों से सबधित कार्यो को देखता हैं। वह जनता से प्राप्त किये जानेवाले ऋण के सम्बन्ध में स्थानीय सत्ताओ, नगरपालक निगमो इत्यादि को परामर्श देता हैं। उसके अन्य प्रकार्य केंद्रीय बोर्ड तथा उसकी समितियो की सभाओ से सबधित सचिवादि कार्य तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो से उनके शेष धन तथा ऋण कियाओ की नीति से सबधित मामलो पर पत्र-व्यवहार है। केन्द्रीय ऋण अनुभाग भी जिसके कार्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋणों को चालू करना, लोक ऋण का प्रवन्ध तथा बैंक के लोक ऋण कार्यालयो का पर्यवेक्षण है, सचिव के अधीन कार्य करता हैं।

मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय

मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय प्रधानत: प्रचालन तथा वैकिंग विभागो में बैंक के खातो को सही रखने तथा उनके पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी हैं तथा साथ ही बैंक का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय हैं। वह बैंक के विभिन्न कार्यालयो तथा विभागो के व्यय पर सचालन रखता हैं। यह कार्यालय के कर्मचारियो की भर्ती तथा उनकी सेवाओ की शर्तो को निश्चित करने तथा कर्मचारियों के कल्याण से सबधित सामान्यत: सभी मामलो के लिये उत्तरदायी है। इन सब मामलो पर बैंक के समस्त कार्यालयो तथा विभागो को समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं। मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय के कुछ लेखा सम्बन्धी प्रकार्य बैंक के कलकत्ता स्थित बैंकिंग विभाग से उपयोजित केन्द्रीय लेखा भाग द्वारा किये जाते हैं। केन्द्रीय लेखा भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो तथा रेलो के प्रमुख खाते रखता है, सरकार को अल्पकालीन अग्रिम प्रदान करने तथा उसे वसूल करने तथा आधिक्य निधियो के विनियोजन को देखता है तथा बैंक की प्रेषणा सुविधाओ की योजना सचालन पर प्रशासनिक नियत्रण रखता है।

निरीक्षण विभाग

निरीक्षण विभाग, जिसके प्रकार्य बैंक के निरीक्षक के अन्तर्गत किये जाते है, बैंक के विभिन्न कार्यालयो तथा विभागो का नियत समय पर आन्तरिक निरीक्षण करता हैं तथा इन कार्यालयों में सामान्यत. चल रहे कार्य के बारे में मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय को रिपोर्ट देता है। निरीक्षण विभाग के अतिरिक्त एक केन्द्रीय अकेक्षण भाग भी हैं जिसे बैंक के खातो के विस्तृत अकेक्षण का कार्य सौंपा गया हैं। इन प्रबधो का उद्देश्य यह देखना है कि ये कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सही प्रशासनिक विधियो का अनुसरण करें।

कानून विभाग

पिछले वर्षो मे बैंक के उत्तरदायित्व बढने के कारण १९५१ में एक प्रभारी अधिकारी के नियत्रण मे कानून विभाग की स्थापना आवश्यक हुई। कानून विभाग का मुख्य प्रकार्य बैंक के विभिन्न विभागो को कानूनी मामलो, मुख्यत. रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, विदेशी विनिमय नियमन एक्ट, लोक ऋण एक्ट तथा स्टेट बैंक आफ इडिया तथा बैंकों से सबधित किसी अन्य विधान की व्याख्या तथा प्रयोग पर परामर्श देना है। कानून विभाग को एक तो बैंक से सबधित मामलों पर विधान तथा वैधानिक सशोधनों के विकर्षण (Drafting) का तथा साथ ही अधरिक विधान (Subordinate Legislation) जैसे नियम, परिनियम, तथा वैधानिक सूचनाओ तथा ऊपर लिखे एक्टो के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओ के विकर्षण का कार्य भी सौपा गया है।

विनिमय नियंत्रण विभाग

विनिमय नियत्रण विभाग सितम्बर १९३९ मे द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ होने के पश्चात् स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य विनिमय, सोना चादी तथा ऋण पत्रों में विदेशी सौदों के नियत्रण मे सबधित कार्य को, जिसे केन्द्रीय सरकार ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को सौपा था, देखना था। उसके बाद सम्बन्धित प्रावधानो को विदेशी विनिमय नियमन एक्ट, १९४७ के द्वारा परिनियत रूप दे दिया गया। रिजर्व बैंक आफ इडिया तथा भारत मे विनिमय नियत्रण के सामान्य प्रवन्धको को इस एक्ट के अन्तर्गत मिले अधिकारो का निरुपण आठवे परिच्छेद में किया गया है। बैंक का प्रवन्धक नियत्रणकर्ता (Controller) है तथा उसे उप-नियत्रण कर्ता, जो बम्बई में स्थित इस विभाग के केन्द्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी है (Officer-in-Charge) सहायता देता है। इस विभाग के बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास तथा नई दिल्ली मे शाखा-कार्यालय है।

बैंकिंग विकास का विभाग

बैंकिंग विकास विभाग की स्थापना १९५० में हुई। उसका मुख्य उद्देश्य अर्ध-शहरी क्षेत्रो मे बैंकिंग सुविधाओ के विस्तार तथा ग्रामीण वित्त की समस्याओ पर एकाग्र रूप मे ध्यान देना था। इस विभाग की स्थापना ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति १९५० की सिफारिशो के पश्चात् हुई। इस समिति ने ग्रामीण बचत को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे साख सुविधाओ के विस्तार के उद्देश्य से रिजर्व बैंक तथा इपीरियल बैंक आफ इडिया के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने के कुछ सुझाव दिये थे। यह विभाग स्टेट बैंक आफ इडिया तथा

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद से निकट एव अति-परिचित संपर्क रखता है तथा स्टेट बैंक आफ इडिया एक्ट १९५५, तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद एक्ट, १९५६ के प्रशासन से संबंधित समस्त मामलो को, जिनका भारत सरकार अथवा रिजर्व बैंक से संबध है, देखता है। यह विभाग अनेक प्रश्नो, जैसे, कम दरों पर प्रेषणा—सुविधाओं के विस्तार, नोटो तथा सिक्को के विनिमय की उत्तम सुविधाओ की उपलब्धि, राज्य कोषों तथा उप-राज्य कोषो में सुधार *तथा व्यापारी बैंको के, विशेषत अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे,* विस्तार के मार्ग मे रुकावटो को सामान्यत. दूर करने आदि प्रश्नो पर लगातार ध्यान देता है। वह भूतपूर्व "ब" श्रेणी के राज्यो के बैंकिंग तथा राज्य कोष प्रबन्धों को बाकी देश के प्रबन्धो के साथ समग्र करने के सभी महत्वपूर्ण मामलो को तथा बडे राज्य सहायक बैंको के भविष्य के ढाँचे से, तथा स्टेट बैंक आफ इडिया द्वारा छोटे राज्य-सहायक बैंको की इच्छा से उनके व्यापार को हस्तगत करने से सबधित समस्त मामलो को देखता है। यह विभाग रिजर्व बैंक तथा लघु बचत आदोलन के बीच संबध स्थापित करता है तथा विभाग का मुख्य अधिकारी भारत सरकार की लघु बचत योजना से संबंधित विभिन्न मामलो को समन्वयित करने तथा निर्णय लेने के लिये सरकार द्वारा स्थापित लघु योजना बोर्ड के सदस्य के रूप में बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी क्रियाओ में भडागारो के सम्बन्ध में व्यापारिक बैंको के योग तथा व्यापारिक बैंको के *कर्मचारियो के व्यवहारिक बैंकिंग में प्रशिक्षण की सुविधाओ की उपलब्धि से सबधित* रिजर्व बैंक के कार्यों में समन्वय करना भी शामिल है। इस विभाग का कार्य तीन खंडों में बाँटा गया है—बैंकिंग विस्तार खड, प्रशासनिक तथा सामान्य खंड तथा योजना एव विस्तार खड।

औद्योगिक वित्त विभाग

औद्योगिक वित्त की समस्याए तथा माध्यम एव लघु उद्योगो के लिये वित्त प्रबन्धन, जिनका सातवे परिच्छेद में जिक्र किया जा चुका है, तथा साथ ही राज्य वैत्तिक निगमो का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण बैंकिंग विकास विभाग के कार्य क्षेत्र के अंग थे, परन्तु इस विभाग के कार्य की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण सितम्बर १९५७ में औद्योगिक वित्त विभाग नामक नये विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग को औद्योगिक वित्त से सबधित समस्त विषय सौंपे गये है जिनमें राज्य वैत्तिक निगमों की क्रियायें भी शामिल है। यह विभाग उद्योगो के पुनः -वित्त प्रबन्ध निगम प्राइवेट लिमिटेड (Refinance Corporation for Industry Private Limited) के, जिसकी स्थापना चुने हुए अनुसूचित बैंको के द्वारा वैत्तिक क्षेत्र में मध्यम आकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से हुई थी, कार्यों को भी देखता है।

कृषि साख विभाग

कृषि साख विभाग की स्थापना अप्रैल १९३५ में रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट धारा ५४ के प्रावधानों के अनुसार हुई। उसके आदि परिनियत प्रकार्य कृषि साख से सबधित प्रश्नों के अध्ययन के लिये विशेषज्ञ कर्मचारियों को रखना तथा कृषि साख के क्षेत्र में बैंक की क्रियाओं का राज्य सहकारी बैंको तथा कृषि साख के प्रदाय मे लगी अन्य सस्थाओं की क्रियाओं के साथ समन्वय कराना था। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र मे बैंक की क्रियाओ के लगातार विस्तार के साथ साथ, जिसका विवरण छठे परिच्छेद में दिया हुआ है, कृषि उपज (विकास तथा भंडागार) निगम एक्ट, १९५६ के बनने के समय से यह विभाग कृषि उपज के विधायन तथा विपणन को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भंडागारो के देशव्यापी सगठन की स्थापना के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो को सहयोग भी दे रहा है। अभी विभाग का कार्य चार खडो मे संगठित किया गया है, अर्थात् (i) वित्त एव निरीक्षण, (ii) आयोजन तथा पुनर्मगठन, (iii) सहकारी प्रशिक्षण एव प्रकाशन तथा (iv) हाथ करघा वित्त प्रबन्धन, प्रत्येक खड एक उप-मुख्य अधिकारी के अन्तर्गत है। क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली मे भी स्थापित किये गये हैं।

बैंकिंग क्रियाओं का विभाग

बैंकिंग क्रियाओ के विभाग का मुख्य प्रकार्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण है। बैंकिंग कपनीज़ एक्ट, १९४९ के अन्तर्गत तथा रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक को समस्त बैंको के ऊपर पर्यवेक्षण तथा नियत्रण के अति विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। इस विभाग के द्वारा बैंक व्यापारिक बैंको के कार्यो पर समीप से चौकसी रखता है। उसके कर्त्तव्यो में बैंको के बैंकिंग व्यापार को प्रारभ करने तथा जारी रखने के लिये अथवा नये कार्यालय खोलने के लिये लाइसैन्स प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्रो का परीक्षण, भारत सरकार द्वारा आये पूजी के प्रचालन के लिये बैंको के प्रार्थना पत्रो को निपटाना तथा नियत समय पर बैंको का निरीक्षण शामिल हैं। यह विभाग बैंकों के ऋण के लिये प्रार्थना पत्रो को भी देखता है तथा बैंकिंग तथा वैतिक मामलों पर बैंकों तथा सरकारो को परामर्श देता है। इस विभाग के शाखा कार्यालय कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम में हैं।

अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग

जैसा कि पिछले परिच्छेद में समझाया गया है, अनुसंधान एव साख्यिकी विभाग का मुख्य प्रकार्य बैंक को उसकी नीति निर्धारित करने में तथा आर्थिक एव वैतिक मामलो पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के उसके प्रकार्य मे सहायता

देना है। इस कार्य के लिये यह विभाग भारत तथा विदेशो की चालू आर्थिक एव वैत्तिक घटनाओ से निकट सपर्क रखता है। यह विभाग पाच खडो में बँटा हुआ है— मौद्रिक अनुसधान, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त, बैंकिंग अनुसधान, ग्रामीण अर्थ-शास्त्र तथा सांख्यिकी खंड।

(११)

साप्ताहिक आवेदन, तुलन-पत्र (Balance Sheet) तथा प्रकाशन

बैंकरो के बैंक, सरकार के बैंकर तथा देश के विनिमय प्राधिकारी के रूप में रिज़र्व बैंक की क्रियायें बैंक के साप्ताहिक खातों के आवेदन तथा वार्षिक तुलन-पत्र विवरण में प्रदर्शित होती है। एक्ट की धारा ५३ के अनुसार, बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रति शुक्रवार तक का प्रचालन तथा बैंकिंग विभाग का साप्ताहिक लेखा निश्चित रूप से तैयार करे तथा उसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजे; यह साप्ताहिक आवेदन अथवा तुलन-पत्र केन्द्रीय बोर्ड की समिति की साप्ताहिक सभा के पश्चात्, जो साधारणतया बुधवार को होती है, प्रकाशित किया जाता है। बैंक का वार्षिक तुलन-पत्र भी उसी रूप में प्रकाशित होता है जिस रूप में साप्ताहिक आवेदन होता है, केवल हानिलाभ खाते का आवेदन उसके अतिरिक्त होता है। बैंक का लेखा-वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक चलता है।

बैंक के साप्ताहिक आवेदन तथा अनुसूचित बैंकों की सपिंडित स्थिति के साप्ताहिक आवेदन, जिनको भी बैंक ही जारी करता है, द्रव्य प्रदाय में गति, बैंक साख, सरकार की बजट सबंधी क्रियाओं तथा अदायगी शेष में प्रदर्शित अर्थ-व्यवस्था की वैत्तिक प्रवृत्तियो का, सक्षेप रूप मे, सामान्यतः आलेखन (Portray) करते हैं। दर्शनार्थ आवेदन जिनमें तीन तिथियों की सख्यायें एकत्रित हैं तथा १०४, १०५, १११, ११२ पृष्ठो पर दिये हुए है। रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक आवेदनो के विभिन्न मद पहिले नीचे समझाये गये हैं तथा इसके पश्चात् संख्याओ में विभिन्नता की व्याख्या दी गई है। इसीप्रकार अनुसूचित बैंकों के साप्ताहिक आवेदन के विभिन्न मदो तथा अंको में विभिन्नता को समझाया गया है।

रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक आवेदन

प्रचालन विभाग – देयता

पहिले प्रचालन विभाग को देखने से यह पता चलेगा कि देयता में दो प्रकार के मद है – बैंकिंग विभाग के पास नोट तथा संचलन मे नोट। यह दोनो मिल कर कुल प्रचालित नोटो के बराबर होते हैं।

जहाँ तक प्रचालन विभाग का सम्बन्ध है, कुल प्रचालित नोट, जो इस विभाग के देयता होते हैं, महत्वपूर्ण है। बैंकिंग विभाग के पास के नोट बैंकिंग विभाग की तुरन्त की मुद्रा-आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये बैंक की नकद राशि के अंग होते है। सचलन के नोटो में रिज़र्व बैंक के बाहर के नोट, अर्थात् देश के अन्दर जनता, बैंको, राज्यकोषो इत्यादि के पास के नोट तथा साथ ही देश के बाहर के नोट विशेषत- फारस की खाड़ी के क्षेत्र के, जहाँ कुछ शेखो (Sheikhdoms) के राज्यो में भारतीय रुपया विधिग्राह्य (Legal Tender) मुद्रा की तरह चलता है, शामिल है।

प्रचालन विभाग की परिसंपत्ति

प्रचालन विभाग की परिसपत्ति में सोने के सिक्के, सोना चादी, विदेशी ऋणपत्र, रुपये के सिक्के तथा रुपये के ऋणपत्र शामिल है। भारत में भुगतान होनेवाले विनिमय बिल तथा रुक्के भी, जो बैंक द्वारा क्रय किये जाने के लिये ग्राह्य हो, परिसंपत्ति के अग हो सकते हैं। जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, वर्तमान कानून के अन्तर्गत, सोने तथा विदेशी ऋणपत्रो के न्यूनतम सधारण (Holdings) २०० करोड़ रु. के मूल्य के बराबर निर्धारित किये गये है, इनमें से ११५ करोड रु. के मूल्य का सोना होना चाहिये। बैंक के सोने के समस्त सधारण, जिनमें धातु तथा गिन्नियां शामिल है, बैंक के लिये प्रचालन विभाग के कार्यालयो में तथा भारत सरकार की टकसाल में जमा रहते हैं। विदेशी ऋणपत्रो में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सदस्य देश की मुद्रा मे भुगतान होनेवाले ऋणपत्र आते है तथा उनमे (१) किसी बैंक के पास जो उस विदेश का प्रमुख मुद्रा अधिकारी हो, अथवा, यदि ऐसा बैंक न हो, तो उस देश में इनकारपोरेटेड किसी बैंक के पास प्रचालन विभाग के जमा शेष धन, (२) विनिमय बिल जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हो, उस विदेश के किसी स्थान में लिखे गये तथा भुगतान होनेवाले हों तथा जिनकी परिपाक होने की अवधि नब्बे दिन से अधिक न हो तथा (३) पाँच वर्ष के अन्दर परिपाक होनेवाले उस विदेश के सरकारी ऋणपत्र, शामिल हैं। यद्यपि ऊपर लिखे ऋणपत्रो में विनियोग करने का बैंक को अधिकार है, तथापि अब तक प्रचालन विभाग द्वारा संधारित विदेशी ऋणपत्रो मे केवल यू. के (U.K.) सरकार के अल्पकालीन ऋणपत्र ही शामिल है।

प्रचालन विभाग के रुपये के सिक्को मे बैंक के कार्यालयो तथा राज्य-कोष एजेन्सियो सहित उसकी एजेन्सियो में रखी नकदी तिजारियो के कुल रुपये शामिल है। जुलाई १९४० से रुपये के सिक्के के सधारणो में मुद्रा अध्यादेश (Ordinance), १९४० (१९४० के न चार) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रचालित एक रुपये के नोट शामिल है। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ३६ के अनुसार प्रचालन विभाग में रुपये के सिक्को की रकम ५० करोड रु. अथवा कुल परिसपत्ति का छठा

रिज़र्व बैंक जून १९४२ से बर्मा का मुद्रा अधिकारी, अप्रैल १९४७ से बर्मा सरकार का बैंकर, तथा जुलाई १९४८ से पाकिस्तान का केन्द्रीय बैंक नहीं रहा।

हिस्सा, इनमें जो अधिक हो, रखी जाती है। अधिकता अथवा कमी को विधिग्राह्य (Legal Tender) मूल्य के भुगतान के आमुख (बैंक के नोटो, सोने अथवा ऋणपत्रों के रूपमें) केन्द्रीय सरकार को अधिक रकम के दे देने अथवा कमी को उससे प्राप्त कर लेने के द्वारा ठीक कर लिया जाता है। ५ करोड़ रु. से अधिक के स्थानान्तरण संबधित व्यक्तियों की स्वीकृति से होते है। बैंक के पास रुपये के सिक्कों का आधिक्य वैत्तिक वर्ष के अन्त में समर्पण कर दिया जाता है, जबकि कमी किसी भी आवेदन सप्ताह के अन्त में पूरी की जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार केवल बेंक के द्वारा ही रुपये के सिक्को का प्रचालन अथवा सचलन करती है, तथा बैंक भी संचलन अथवा ऊपर दी हुई रीति से सरकार को देने के अतिरिक्त रुपये के सिक्कों को किसी प्रकार इस्तेमाल नही करता। इस धारा के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप तथा रुपये के सिक्कों के सचलन से वापस होने के कारण प्रचालन विभाग में बैंक द्वारा सधारित रुपये के सिक्कों की मात्रा बराबर बढ रही है, ४ अप्रैल १९५८ को यह संख्या १२७.६ करोड़ रु. थी।

रुपये के ऋणपत्रों में राज्य कोष पत्र तथा सार्वजनिक ऋण से सबंधित किसी भी अवधि के केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रचालित ऋणपत्र शामिल है।

बैंकिग विभाग—देयता

बैंकिग विभाग के आवेदन में, देयता की तरफ, प्रथम दो मद चुकती पूजी तथा प्रारक्षित निधि है। प्रारंभ से ही बैंक की पूजी ५ करोड रु ही रही है तथा १ जनवरी, १९४९ से इस समस्त पूजी पर भारत सरकार का स्वामित्व रहा है। कुछ समय पूर्व तक प्रारक्षित निधि ५ करोड़ रु. थी जिसका अशदान एक्ट की धारा ४६ के अनुसार सरकार ने सरकारी ऋणपत्रो के रूप में किया था, किन्तु प्रचालन विभाग द्वारा संधारित सोने के अक्टूबर १९५६ में पुनः मूल्याकन के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, पुनः मूल्याकन के फलस्वरूप होनेवाले ७७.७ करोड रु. के लाभ में से ७५ करोड़ रु. की रकम प्रारक्षित निधि मे स्थानान्तरित कर दी गई तथा इस प्रकार ३० जून, १९५७ से प्रारक्षित निधि बढ़ कर ८० करोड़ रु. हो गई।

अगले दो मद राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) निधि है जो एक्ट की धारा ४६क तथा ४६ ख के अन्तर्गत स्थापित हुए तथा जिनमें बैंक को वार्षिक अशदान देना आवश्यक होता है। जून १९५८ के अंत में इन निधियो के शेष धन क्रमानुसार २५ करोड रु तथा ३ करोड़ रु. थे।

बैंक के पास जमा का वर्गीकरण तीन समूहो में होता है—सरकार की, बैंको तथा दूसरों की जमा। सरकार की जमा, जिन्हे बैंक एक्ट की धाराओं २०, २१ तथा २१ क के अन्तर्गत रखता है, पुनः केन्द्रीय सरकार की जमा तथा अन्य सरकारी

जमा में विभाजित हैं। अन्य सरकारी जमा राज्य सरकारों के जमा खातों को प्रदर्शित करती है। केन्द्रीय सरकार की जमा अप्रैल १९४६ में अपनी ५३३ करोड रु. की चर्म सीमा तक पहुँच गई। सरकारी शेष धन में विभिन्नता केवल जनता के साथ सौदों को ही प्रतिविम्बित नही करती, वरन् स्वयं रिज़र्व बैंक के साथ तथा कभी कभी विदेशी सरकारों तथा एजेन्सियों के साथ किये सौदों को भी प्रतिविम्बित करती है।

बैंकों की जमा में एक्ट की धारा ४२(१) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंको के परिनियत शेष धन, उन अन-अनुसूचित बैंको के, जिन्हे रिज़र्व बैंक में खाते खोलने की आज्ञा मिल गई है, शेष धन, तथा उन राज्य, सहकारी बैंको के शेष धन, जो बैंक का वैत्तिक निभाव प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये समझौतो के अनुसार शेष धन रखते है, शामिल हैं। यह देखा गया है कि बैंक सामान्यत. परिनियत न्यूनतम से अतिरिक्त शेष धन रखते हैं, अनुसूचित बैंकों के उन अतिरिक्त जमा में उतार-चढाव द्रव्य बाज़ार की परिस्थितियो को भलीभाँति दर्शाते है। सामान्यत., व्यस्त समय (नवम्बर-अप्रैल) में अतिरिक्त शेष धन घटते है जबकि मन्दी की ऋतु (मई-अक्टूबर) में उनकी प्रवृत्ति बढोतरी की ओर होती है। हाल के वर्षों में अनुसूचित बैंको के अतिरिक्त प्रारक्षण घटे है जब कि रिज़र्व बैंक से लिये उनके ऋण में वृद्धि हुई है।

बैंक के पास अन्य जमा में नाना प्रकार के मद जैसे (i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वैत्तिक निगमो आदि अर्ध-सरकारी सस्थाओं की जमा, (ii) रिज़र्व बैंक के कर्मचारियो की प्रावधायि (Provident), पेन्शन तथा गारंटी निधियाँ, (iii) विदेशी केन्द्रीय बैंको तथा सरकारो के शेष धन तथा (iv) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण एव विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के खाते शामिल हैं। बैंक बिना कुछ लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिये रुपये के दो चालू खाते तथा पुनर्निर्माण एव विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के लिये एक खाता रखता है। न. १ खाते का उद्देश्य, जिसमें भारत के अभ्यंश (Quota) का १० प्रतिशत जमा किया गया है, देश के विनिमय सौदो को पूरा करना है। निधि के लिये प्राप्त हुआ रुपया भी इसी खाते में जमा कर दिया जाता है। इस खाते में भारत के अभ्यंश का न्यूनतम एक प्रतिशत शेष धन सदा रखना आवश्यक है। निधि का न २ खाता क्रियाशील खाता है जिसका प्रयोग बैंक द्वारा किये गये निधि के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने तथा निधि द्वारा उसके प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यकताओ के हेतु धन निकालने के लिये होता है। कोष के सचालन व्यय को पूरा करने के लिये नियत अवधि पर न. एक खाते से छोटी रकमें स्थानान्तरित करके इस खाते में जमा कर दी जाती है।

बैंकिंग विभाग के देयता पार्श्व में शेष शीर्षक भुगतान करनेवाले बिल तथा अन्य देयता है। भुगतान करने वाले बिलो में मुख्यत. बैंक के कार्यालयो द्वारा एक दूसरे के ऊपर, बैंक की एजेन्सियो द्वारा बैंक के कार्यालयो के ऊपर तथा राज्य-कोष कार्यालयो द्वारा एक दूसरे के, स्टेट बैंक आफ इडिया तथा अन्य एजेन्ट बैंको के ऊपर लिखे अदत्त

(Outstanding) सरकारी तथा बैंक ड्राफ्ट शामिल है। अन्य देयता में बैंकों के कार्यालय के बीच मार्गस्थ मदों से संबंधित निलम्बित-लेखे में लिखी रकमें तथा लेखा-वर्ष के अन्त में सरकार को हस्तान्तरण करने से पूर्व विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बैंक के लाभ जैसे ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन इत्यादि शामिल है।

बैंकिंग विभाग – परिसंपत्ति

परिसंपत्ति पार्श्व में पहिले तीन मद नोट, रुपये के सिक्के तथा छोटे सिक्के होते हैं जो सब मिल कर बैंकिंग विभाग के नकद सधारणों की रचना करते हैं। यहाँ दिखाई नोटों की रकम प्रचालन विभाग के देयता पार्श्व में दिए मद – बैंकिंग विभाग में संधारित नोटों – के बराबर होती है, जब कि क्रय तथा बट्टे पर लिये बिल राज्यकोष पत्रों तथा पुनर्भंजन किये व्यापारी बिलो को दर्शाते हैं; यह मद सामान्यतया छोटा होता है, इसमें मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के राज्यकोष पत्र रहते हैं।

विदेशों में संधारित शेष धन में प्रधानतः नकदी (मुख्यतः बैंक आफ इग्लेंड के पास शेष धन) तथा बैंक आफ इग्लैंड के पास संधारित अल्पकालीन ऋणपत्र शामिल हैं; उनमे रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान, फेडरल रिज़र्व बैंक आफ न्यूयार्क तथा बैंक के लदन स्थित कार्यालय मे रखे कार्यरत शेष धन भी शामिल है।

सरकार को ऋणपत्र तथा अग्रिम केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अर्थोपाय उधार के रूप में प्रदान किये अल्पकालीन निभाव को दर्शाते है। इस शीर्षक के अन्तर्गत एक्ट की धारा ४६ क के अनुसार राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाओं) निधि से राज्य सरकारों को प्रदान किये गये ऋण तथा अग्रिम तथा राज्य सरकारों को दिये गए अस्थिर ओवर ड्राफ्ट भी शामिल है।

अन्य ऋण तथा अग्रिमों में धारा १७ की अनेक उपधाराओं के अन्तर्गत, जो रिज़र्व बैंक को अनुसूचित बैंको, राज्य सहकारी बैंको, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वैत्तिक निगमों की वैत्तिक निभाव प्रदान करने का अधिकार देती है, बैंक द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं। पिछले ६-७ वर्षो में इन अग्रिमो की प्रवृत्ति सामान्यतः वढोतरी की ओर रही है।

निवेशों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के रुपये के ऋणपत्र तथा अन्य अनुमति प्राप्त ऋणपत्र जैसे स्टेट बैंक आफ इंडिया, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य वैत्तिक निगमों के शेयर, तथा भूमि बंधक बैंको के डिबेन्चर शामिल हैं। धारा १७ (८) के अन्तर्गत बैंक को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के किसी भी अवधि के ऋणपत्रों तथा बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये निश्चित किसी स्थानीय सत्ता के ऋणपत्रो को क्रय विक्रय तथा बैंकिंग विभाग में धारण करने का अधिकार है। बैंक को स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा इस कार्य के लिये केन्द्रीय

रिजर्व बैंक

रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, १९३४ के अनुसार मार्च २८, १९५८, अप्रैल

देयता	२८ मार्च, १९५८ को	४ अप्रैल, १९५८ को	५ अप्रैल, १९५७ को
	रु.	रु.	रु.
			प्रचालन
बैंकिंग विभाग में सधारित नोट	१०,२१,१४	७,९४,४३	७,८८,२९
संचलन में नोट ..	१५७९,१३,३९	१६१९,६८,८२	१५६३,५६,९०
कुल प्रचालित नोट ..	१५८९,३४,५३	१६२७,६३,२५	१५७१,४५,१९
कुल देयता	१५८९,३४,५३	१६२७,६३,२५	१५७१,४५,१९
			बैंकिंग
चुक्ती पूजी	५,००,००	५,००,००	५,००,००
प्रारक्षित निधि .	८०,००,००	८०,००,००	५,००,००
राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि..	२०,००,००	२०,००,००	१५,००,००
राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) निधि ..	२,००,००	२,००,००	१,००,००
जमा :–			
(अ) सरकार			
(१) केन्द्रीय सरकार	४८,३३,३१	५५,२७,२२	६०,५९,४४
(२) अन्य सरकारें	५४,८५,०१	७,२३,८९	७,९०,३१
(ब) बैंक .. .	६७,८३,२७	८१,०५,८६	५९,९९,६५
(स) अन्य . ..	११७,५१,५२	११६,३२,४६	७४,४९,०९
भुगतान होनेवाले बिल .	२९,४१,०८	२५,६६,०९	१७,९३,८३
अन्य देयता	४१,०४,७३	४०,३७,०६	११६,३६,४१
कुल देयता .	४६५,९८,९२	४३२,९२,५८	३६३,२८,८१

आफ इंडिया

४, १९५८ तथा अप्रैल ५, १९५७ को पूरे होनेवाले सप्ताहों का लेखा।

(००० छोड़े हुए)

परिसम्पत्ति	२८ मार्च, १९५८ को रु.	४ अप्रैल, १९५८ को रु.	५ अप्रैल, १९५७ को रु.
विभाग			
क. सोने के सिक्के तथा सोना चादी :–			
(अ) भारत में संधारित	११७,७६,०३	११७,७६,०३	११७,७६,०३
(ब) विदेशों में संधारित	–	–	–
विदेशी ऋणपत्र ..	१७१,१९,४३	२१६,०६,९३	४१२,५१,९१
क का योग ..	२८८,९५,४६	३३३,८२,९६	५३०,२७,९४
ख. रुपये के सिक्के ..	१२९,२८,६६	१२७,५७,३८	१२६,२०,०६
भारत सरकार के रुपये के ऋणपत्र	११७१,१०,४१	११६६,२२,९१	९१४,९७,१९
आतरिक विनिमय बिल तथा अन्य व्यापारिक पत्र ..	–	–	–
कुल परिसपत्ति ..	१५८९,३४,५३	१६२७,६३,२५	१५७१,४५,१९
विभाग			
नोट .. .	१०,२१,१४	७,९४,४३	७,८८,२९
रुपये के सिक्के ..	१०,६८	३,९८	४,४७
छोटे सिक्के	२,७६	२,७३	५,६९
क्रय तथा बट्टे पर लिए बिल			
(अ) आतरिक ..	–	–	
(ब) बाहरी ..	–	–	
(स) सरकारी राज्य कोप पत्र ..	७,६७,८९	१२,७१,७४	१५,२३,६३
विदेशों में सधारित शेप धन*	९५,८१,०३	६८,३४,२९	११२,८२,३१
सरकार को ऋण तथा अग्रिम	२१,२३,२४†	३७,६३,०८†	१५,६५,४६
अन्य ऋण तथा अग्रिम ..	७८,४०,१२	७३,९२,३५	१०६,०४,३४
निवेश	२३८,४४,४७	२१८,११,०९	९१,९७,४९
अन्य परिसपत्ति -	१४,०७,५९	१४,१८,८९	१३,५७,१३
कुल परिसपत्ति . ..	४६५,९८,९२	४३२,९२,५८	३६३,२८,८१

* इनमें नकदी तथा अल्पकालीन ऋणपत्र शामिल हैं।

† इनमें राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं।

सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बैंक अथवा वैत्तिक संस्था के शेयरों तथा पूजी में विनियोग करने का तथा उन्हे बेचने का अधिकार प्राप्त है।

अन्य परिसंपत्ति मे मुख्यत भू-गृहादि, फरनीचर, फिटिंग, लेखन-सामग्री, बैंक द्वारा किये गये व्यय को प्रदर्शित करनेवाले शीर्षकों के नाम आधिक्य तथा सग्रह के दौरान मे मद आदि शामिल हैं।

एक सप्ताह में विभिन्नता की व्याख्या

पिछले अनुच्छेदो में बैंक के साप्ताहिक आवेदन मे लिखे जाने वाले विभिन्न मदो की प्रकृति का वर्णन किया गया है। किन्ही दो क्रमानुसार सप्ताहो की तुलना से, जैसा कि साथ दिये हुए दृष्टान्त में है, यह पता चल जावेगा कि किस प्रकार देयता में परिवर्तन के अनुरूप परिसपत्ति मे भी परिवर्तन होते है तथा किस प्रकार प्रचालन विभाग के किसी खाते से बैंकिंग विभाग मे अथवा उसके विपरीत स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप समायोजन (Adjustments) होते हैं। अधिक अवधि जैसे एक वर्ष के अन्तर के आवेदनो की तुलना से वैत्तिक प्रवृत्तियो तथा देश की सामान्य आर्थिक परिस्थिति पर अधिक प्रकाश पडेगा।

१०४, १०५ पृष्ठो पर दिये आवेदनो से यह देखा जा सकता है कि ४ अप्रैल, १९५८ को समाप्त होनेवाले सप्ताह मे — एक अवधि जिसमे वैत्तिक वर्ष के अन्त के सौदे आते हैं — सचलित नोटो में ४० . ६ करोड रु. की वृद्धि हुई, दूसरी ओर बैंकिग विभाग में सधारित नोटो मे २ ३ करोड रु की कमी हुई तथा इस प्रकार प्रचालन विभाग के कुल देयता में ३८ करोड़ रु. के लगभग निबल वृद्धि हुई। इसके अनुरूप परिसपत्ति पार्श्व मे ३८ करोड़ रु. की निबल वृद्धि हुई तथा जिसमें विदेशी ऋणपत्रो मे ४५ करोड रु. की वृद्धि तथा रुपये ऋणपत्रो तथा रुपये के सिक्को मे क्रमानुसार ५ करोड रु तथा २ करोड रु. की कमी व्याप्त थी। उस सप्ताह में ३९ करोड रु. के तदर्थ (*Ad hoc*) राज्य-कोष पत्रो की (जिन्हे रु के ऋणपत्रो मे दिखाया गया है) अवधि पूरी हो गई है। इनमें से १५ करोड रु की पूर्ति नये तदर्थ बिलो की सृष्टि द्वारा हो गई तथा शेष २४ करोड रु. की स्थानापत्ति, जो निबल मिटाने की क्रिया (Cancellations) को प्रदर्शित करते थे, बैंकिग विभाग से २० करोड रु के विदेशी ऋणपत्रो तथा ४ करोड रु. के, रुपये के ऋणपत्रो के स्थानान्तरण द्वारा हुई। इसके अतिरिक्त सचलन मे नोटो मे विस्तार को बैंकिंग विभाग से प्रचालन विभाग को २५ करोड़ रु. के विदेशी ऋणपत्रो तथा १५ करोड रु. के रुपये के ऋणपत्रो को स्थानान्तरित करके ढाका गया। संचलन में, नोटो मे विस्तार राज्य सरकारो द्वारा बडी मात्रा में किये गये व्यय के कारण हुआ, जिसे उन्होंने अपने रिज़र्व बैंक के पास नकद आधिक्य को निकाल कर तथा बैंक से अर्थोपाय ऋण लेकर पूरा किया। बैंक के पास राज्य सरकारो की जमा में ४८ करोड रु. की कमी हो गई, किन्तु उसने अर्थोपाय उधार द्वारा १६

करोड़ रु. के ऋण को ढँक लिया; और यदि इस तथ्य को जोड़ा जाता है तो राज्य सरकारों के शेष धन में कुल ६४ करोड़ रु. की कमी हुई। केन्द्रीय सरकार के शेष धन में, तदर्थ राज्य-कोष पत्रों की रद्द करने की निबल क्रिया के कारण २४ करोड रु. नाम लिखे जाने के पश्चात्, ७ करोड रु. की वृद्धि हुई। लन्दन मे भारत के उच्च आयुक्त के कहने पर स्टर्लिंग के स्थानान्तरण द्वारा २२ करोड रु. की रकम जमा होने के पश्चात् भी विदेशो में संधारित शेष धन में २७ करोड़ रु. की कमी हो गई। यहाँ यह बताना ठीक होगा कि निधि का यह स्थानान्तरण बैंक के पास केन्द्रीय सरकार की जमा मे वृद्धि के लिये मुख्यतः उत्तरदायी था। परन्तु, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, विदेशो मे संधारित शेष धन में अधिकाश कमी बैंकिंग विभाग से प्रचालन विभाग मे स्थानान्तरणो के कारण हुई। विदेशी परिसपत्ति पर इन सौदों का सम्मिलित प्रभाव साधारण हुआ – केवल ४ करोड रु. की कमी हुई।

उस सप्ताह में बैंकिंग विभाग मे देखे गये दो अन्य परिवर्तन बैंक की जमा में १३ करोड़ रु. की वृद्धि तथा अन्य ऋण तथा अग्रिमों में, जो मुख्यतः अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बैंको के पास चालू साख को दिखाते हैं, ४ करोड़ रु. की कमी थी।

यह पहिले भी लिखा जा चुका है कि प्रचालन तथा बैंकिंग विभागों का अन्तर आधारभूत महत्व का नहीं है। यह भी देखा जा चुका है कि प्रचालन तथा बैंकिंग विभागो की परिसंपत्ति का समय-समय पर स्थान-परिवर्तन होता रहता है। इसलिये सदा यह उचित है कि किसी अवधि मे विस्तृत मौद्रिक तथा वैत्तिक प्रवृत्तियो पर विचार करने के लिये दोनो विभागो की सम्मिलित देयता तथा परसपत्ति में परिवर्तनों, अर्थात पूरे बैंक का एक साथ, अध्ययन किया जाय। जैसा कि उचित हो है, इस प्रकार एक विभाग से दूसरे में परिसंपत्ति के स्थान परिवर्तन की उपेक्षा हो जावेगी। यह बैंक के रुपये के ऋणपत्रो तथा विदेशी परिसपत्ति के संधारणो पर विशेषत लागू होता है।

एक वर्ष में विविधता का विश्लेषण

यह कथन कि रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक आवेदन अर्थ-व्यवस्था की वैत्तिक प्रवृत्तियो को सामान्यत. प्रतिबिम्बित करते हैं, एक सप्ताह से अधिक लम्बी अवधि, जैसे एक वर्ष, के आवेदनो की तुलना करने मे, स्पष्ट हो जावेगा। यदि वर्ष को ४ अप्रैल, १९५८ तक बढा कर देखा जाय तो विदित होगा कि बैंक के देयता तथा परिसपत्ति मे हुए मुख्य परिवर्तन इस प्रकार थे—संचालित नोटो मे ५६ करोड़ रु. की वृद्धि हुई, केन्द्रीय सरकार की जमा में ५ करोड रु. की तथा राज्य सरकारों की जमा मे ०.७ करोड रु. की अल्प कमी हुई। प्रत्यक्ष रूप में इन अल्प विभिन्नताओ ने इन सरकारो तथा रिज़र्व बैंक के बीच वर्ष में हुए बड़े सौदो को ढाक लिया। इसका पता बैंक के रुपये के निवेशों तथा राज्य सरकारों को दिये ऋणों तथा अग्रिमो में सार्थक वृद्धि से चलता है। उस वर्ष मे बैंक के रुपये के निवेशो मे ३७७ करोड रु. की वृद्धि हुई,

२५१ करोड़ रु. की प्रचालन विभाग मे तथा १२६ करोड रु. की बैंकिंग विभाग में। यह निबल स्थिति ४४१ करोड़ रु. की तदर्थ राज्य कोष पत्रो (जिनके आमुख उतनी ही मात्रा में, मुख्यत द्वितीय योजना के बढते हुए विकासनात्मक व्यय के वित्त प्रबन्ध के लिये, केन्द्रीय सरकार को साख दी गई) तथा ६७ करोड रु. की बैंक के रुपये के ऋण-पत्रो की खुले बाज़ार मे बिक्री को जोडने के पश्चात् है।

रिज़र्व बैंक द्वारा सधारित विदेशी परिसपत्ति में २४१ करोड रु. की कमी हो गई, यह इस अवधि के मूल लक्षण, अदायगी शेप में घाटे की सूचक थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ३४.५ करोड रु के निबल ऋण तथा यू. के से पेन्शन वार्षिक-वृत्ति (Annuity) निधि के आधिक्य (Excess) के पूर्व भुगतान के अन्तर्गत २२ करोड़ रु. की प्राप्ति को हिसाब में लेने के पश्चात् भी प्रचालन विभाग के विदेशी ऋणपत्रो में १९६ करोड रु की तथा बैंकिंग विभाग के विदेशो मे सधारित शेप धनो में ४५ करोड रु. की कमी हो गई; पहिले वाला सौदा, जिसने अपने अनुरूप बैंक की देयता को जन्म दिया, बैंक के पास अन्य जमा में वृद्धि के रूप मे प्रतिबिम्बित हुआ (४१.८ करोड रु.)। बाद वाले सौदे ने केन्द्रीय सरकार के रिज़र्व बैंक के पास जमा में अपने बराबर वृद्धि कर दी। रिज़र्व बैंक आफ इडिया (सशोधन) एक्ट, १९५६, के अनुसार प्रचालन विभाग में सधारित सोने के पुनः मूल्याकन से प्राप्त ७७.७ करोड रु. के लाभ में से, (प्रचालन विभाग में सधारित सोने में उतनी ही वृद्धि हुई) लेखा वर्ष के अन्त में (७५ करोड रु) प्रारक्षित निधि खाते में तथा (२.७ करोड रु.) केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित करने के कारण अन्य परिसपत्ति में ७६ करोड़ रु की कमी हो गई। इस प्रकार संचलित नोटो मे विस्तार, जिसका पहिले जिक्र किया जा चुका है, मुख्यत. बजट मे ठोस घाटे के कारण हुआ जिसे उस अवधि में हुए अदायगी शेप (Balance of Payments) के भारी घाटे द्वारा पूरा किया गया।

अनुसूचित बैंकों की संपिडित स्थिति के साप्ताहिक आवेदन

रिज़र्व बैंक आफ इडिया एक्ट की धारा ४३ के अनुसार बैंक प्रति सप्ताह एक आवेदन तैयार तथा प्रकाशित करता है जिसमें अनुसूचित बैंकों के भारत में व्यापार की संपिडित स्थिति के मुख्य मद होते है। यह आवेदन धारा ४२ (२) के अन्तर्गत शुक्रवार को व्यापार बन्द होने के समय तक के (अथवा यदि शुक्रवार की छुट्टी हो तो उसके पहिले कार्य के दिन तक के) अनुसूचित बैंको द्वारा दिए हुए आकड़ो पर आधारित होता है, तथा सामान्यतः अगले शुक्रवार तक छपने के लिये दिया जाता है। यह उस सप्ताह में अनुसूचित बैंको के मुख्य परिसपत्ति तथा देयता में विस्तृत परिवर्तनो पर प्रकाश डालता हैं। साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति को तैयार करते समय उन बैंको के संबध मे जो अतिम विवरण देने मे असमर्थ रहे हो, अस्थायी अको का प्रयोग किया जाता है, परन्तु बाद में अंतिम अक प्राप्त हो जाते है तथा उन्हे बैंक के पत्र तथा साख एव वित्त पर रिपोर्ट में प्रकाशित आकडो में समामेलित कर दिया जाता है। समस्त

वाणिज्य बैंको, अर्थात् भारतीय अनुसूचित बैंको, विदेशी बैंकों तथा सूचना देनेवाले अन-अनुसूचित बैंकों की भारत में परिसपत्ति तथा देयता के सम्पूर्ण ढांचे से सबंधित पूरे आकड़े भी रिजर्व बैंक द्वारा प्रति माम प्रकाशित होते हैं। यह आकड़े उन विवरणो पर आधारित होते हैं जिन्हे बैंकिंग कपनीज एक्ट की धारा २७ (१) के अनुसार बैंको को निर्धारित रूप* में रिजर्व बैंक को देना होता है। भारतीय बैंको की विदेशो मे परिसंपत्ति तथा देयता से संबधित साख्यिकी, प्रति वर्ष नियत समय पर बैंक के पत्र में छपे लेखो में प्रकाशित होती है। साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति मे प्रकाशित होनेवाले विभिन्न मद नीचे समझाये गये हैं।

माँग देयता में वे सब देयता शामिल हैं जिनका भुगतान माँगने पर करना होता है, उदाहरण के लिये माँग जमा, तार तथा डाक द्वारा चालू स्थानान्तरण, माँग ड्राफ्ट, माँग पर भुगतान होनेवाले बचत के जमा, कालातीत सावधि जमा, देय बिल, लाभाश के अदत्त अधिकार पत्र, तथा बैंको से माँग ऋण (रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इडिया तथा इस सदर्भ मे अधिसूचित किसी अन्य बैंक के अतिरिक्त)।

मियादी देयता में सावधि जमा (रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इडिया तथा अधिसूचित बैंक के अतिरिक्त), बैंको से लिये सावधि ऋण, तथा अन्य बाहरी देयता जिनका भुगतान माँग पर होना नही होता, शामिल है। चुकती पूजी, प्रारक्षित निधि, लाभ हानि खाते मे जमा आधिक्य आदि मद, जो बाह्य देयता नही है, माँग अथवा सावधि देयता मे शामिल नही होते।

बैंकों से ऋण (स्टेट बैंक आदि के अतिरिक्त) जून १९४८ से पृथक दिखाये जा रहे हैं।

स्टेट बैंक तथा/अथवा सूचित किये बैंक से ऋण उनके द्वारा अनुसूचित बैंको को प्रदान की साख को दिखाते हैं। रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋणो में धारा १७ (४) (क) तथा धारा १७ (४) (ग) के अन्तर्गत बैंक द्वारा प्रदान किये अग्रिम आते है; धारा १७ (४) (ग) के अन्तर्गत अग्रिम, जो बिल बाजार योजना के अन्तर्गत अग्रिमो को दर्शाते हैं, पृथक कोष्ठकों (Brackets) मे दिखाये जाते हैं। रिजर्व बैंक से लिये ऋण से संबधित आंकडे धारा ४२ (२) के अन्तर्गत नही माँगे जाते, वरन् रिज़र्व बैंक के अभिलेखो से तैयार किये जाते हैं।

नकदी में चालू नोट तथा सिक्के, जिन्हे जमा किये धन के रूप में रखा जाता है (Maintained as till money) शामिल है; विदेशों की मुद्रायें शामिल नही की जाती।

---

* निर्धारित रूप बैंकिंग कंपनीज एक्ट १९४९ के अन्तर्गत बने नियमो के साथ दिया तेरहवाँ फार्म है।

रिज़र्व बैंक के पास शेष धन वे होते हैं जिन्हे रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ४२ (१) के अनुसार अनुसूचित बैंक रखते हैं। बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट, १९४९ की धारा ११ (२) के अनुसार विदेशो में इनकारपोरेटेड बैंको द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखे नकद जमा, इस मद में शामिल नही किये जाते।

चालू खाते मे अन्य बैंको के पास शेष धन अन्य बैंको के पास सधारित माँग जमा को प्रदर्शित करते है, इस मद के अक नवम्बर १९५१ से उपलब्ध है।

अविलम्ब तथा अल्पसूचना पर राशि (Money at call and short notice) में प्रधानतः अन्य बैंको को उनकी प्रार्थना पर उपलब्ध होनेवाली निधिया जिनका पुन भुगतान ऋणदाता बैंको की इच्छा के अनुसार अविलम्ब अथवा अल्प सूचना (पन्द्रह दिन अथवा उससे कम) पर हो, शामिल हैं। ये आकड़े, जो पहिले अग्रिमो के अन्तर्गत शामिल किये जाते थे, नवम्बर १९५१ से अलग उपलब्ध है।

सरकारी ऋणपत्रो में निवेश केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के ऋणपत्रों के, जिनमें राज्य-कोप पत्र, राज्य-कोप जमा की रसीदें, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र तथा राज्य-कोप बचत जमा प्रमाणपत्र शामिल है, बहियो में लिखे मूल्य (Book Value) को प्रदर्शित करते है। बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट १९४९ की धारा ११ (२) के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक में जमा की हुई केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के ऋण-पत्रो (मय राज्य-कोप पत्र के) इस मद के अन्तर्गत शामिल हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत आकडे नवम्बर १९५१ से मँगाये जा रहे हैं।

अग्रिमों में ऋण, ओवर ड्राफ्ट, नकद साख, अन्य बैंको की प्रार्थना पर उन्हे दिया ऋण जिसका भुगतान पन्द्रह दिन के पश्चात् होना हो, शामिल है।

खरीदे तथा वट्टा किये स्वदेशी-बिलो मे भारत मे लिखे गये तथा भुगतान होनेवाले बिल, मय खरीदे हुए माँग ड्राफ्ट के, आते हैं। खरीदे हुए स्वदेशी-बिल नवम्बर १९५१ तक अग्रिमो के अन्तर्गत दिखाये जाते थे।

खरीदे तथा वट्टा किये विदेशी-बिलो में आयात तथा निर्यात के सब ही विदेशी बिल शामिल हैं। मई १९५४ से पूर्व भारत में खरीदे तथा वट्टा किये आयात बिल अग्रिमो के अन्तर्गत दिखाये जाते थे लेकिन खरीदे तथा वट्टा किये निर्यात बिलो से सबधित आँकड़े उसी महिने से ही मँगाये जाने लगे।

रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों में प्रयोग किये गये शब्द 'बैंक साख' अग्रिमों के योग तथा खरीदे और बट्टा किये स्वदेशी तथा विदेशी बिलों को दर्शाते हैं।

शुक्रवार, ४ अप्रैल १९५८ को व्यापार के बन्द होने तक अनुसूचित बैंकों की स्थिति का आवेदन, पिछले सप्ताह के शुक्रवार को तथा पिछले वर्ष के उसी शुक्रवार को बैंकों की स्थिति के तुलनात्मक आवेदन के साथ

००० छोड़े हुए

	४-४-१९५८*	२८-३-१९५८*	५-४-१९५७
	रु.	रु.	रु.
१. भारत में माँग देयता			
(i) स्टेट बैंक तथा अधिसूचित बैंको के अतिरिक्त बैंको से ऋण (क) ..	१५,९५,१३	१५,२६,१८	७,८९,४६
(ii) अन्य माँग देयता	७५१,५३,५८	७२९,९९,००	७१८,१४,५३
२. भारत मे मियादी देयता			
(i) स्टेट बैंक तथा अधिसूचित बैंको के अतिरिक्त बैंको से ऋण (क) ..	१५,०२,००	१४,८५,५०	२,०९,००
(ii) अन्य मियादी देयता ..	७२८,०८,७८	७१९,६४,२२	४७८,५४,४४
३. स्टेट बैंक तथा/अथवा अधिसूचित बैंक से भारत में ऋण			
(i) माँग देयता ..	१०,३६,३२	१०,७७,५४	१०,७६,५५
(ii) मियादी देयता ..	९५,००	९०,००	–
४. भारत में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऋण (ख) ..	३७,९४,१७ (२४,११,००)	४२,००,२६ (२६,५८,१६)	८१,९६,३७ (५८,३२,३०)
५. भारत में नकदी ..	४१,७४,१२	३७,२०,९२	४२,१८,४५

			००० छोड़े हुए
	४-४-१९५८*	२८-३-१९५८*	५-४-१९५७
	रु	रु	रु.
६. भारत में रिज़र्व बैंक के पास शेष धन ..	८३,०७,७६	६७,७८,१०	६१,२७,६१
७ भारत में अन्य बैंको के पास चालू खातो में शेष धन	१२,२७,५१	११,१६,७०	११,१५,२८
८. भारत में अविलम्ब तथा अल्प सूचना पर राशि	४३,२८,९८	४१,६८,२६	१२,६०,१७
९. भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के ऋणपत्र, मय राज्य-कोष पत्रों तथा राज्य-कोष की जमा रसीदो मे निवेश (बहियो में लिखे मूल्य पर) ..	४४०,५५,९०	४४०,३५,९२	३४७,२३,८२
१० भारत मे अग्रिम ..	८०८,४९,०४	८०५,८८,९३	७१६,५२,४५
११ भारत मे खरीदे तथा बट्टा किये स्वदेशी बिल . ..	१२०,६३,२२	११६,५९,६०	१२४,३८,६५
१२ भारत में खरीदे तथा बट्टा किये विदेशी बिल	४०,२९,१६	३९,८४,४०	५८,७०,६२

*उन बैंकों के जो अतिम विवरण नही भेज सके अस्थिर अक शामिल किए गए हैं।

नोट क – रिज़र्व बैंक से ऋण के भी अतिरिक्त

ख – कोष्ठको (Brackets) में अंक रिज़र्व बैंक से मियादी बिलो तथा/अथवा रुक्को के आमुख ऋणों को दर्शाते हैं।

साप्ताहिक तथा वार्षिक विभिन्नताओं की व्याख्या--

यह बताने के लिये कि किस प्रकार देयता में परिवर्तनो के अनुरूप अनुसूचित बैंको की परिसपत्ति में भी परिवर्तन होते है, इन आवेदनो में दिये हुए अको में साप्ताहिक तथा वार्षिक विविधताओ को मक्षेप में समझाना यहा उचित होगा। ४ अप्रैल, १९५८ को समाप्त होनेवाले सप्ताह में निबल माग देयता (अर्थात बैंको से लिये ऋण के अतिरिक्त) मे २२ करोड़ रु. की एकदम वृद्धि हुई। शुद्ध मियादी देयता में भी लगभग ८ करोड़ रु. की वृद्धि हुई। इस प्रकार कुल निबल देयता में ३० करोड रुपए की वृद्धि हुई। सप्ताह में साख प्रदान करने में केवल ७ करोड रु. का विस्तार हुआ, जिससे बैंकों ने अपने अतिरिक्त साधनों का उपयोग अपने नकद प्रारक्षणो में २० करोड़ रु. की वृद्धि करने में तथा रिज़र्व बैंक से लिये अपने ऋण में ४ करोड़ रु की कमी करने में किया, २ करोड रु. की कमी बिल बाज़ार योजना के अन्तर्गत हुई। उस सप्ताह में बैंको ने अपने अपने निवेशों में भी कुछ वृद्धि की।

४ अप्रैल १९५८ को समाप्त होनेवाले वर्ष में, निबल जमा देयता में एकदम २८३ करोड़ रु की वृद्धि हुई, सबसे अधिक वृद्धि (२५० करोड रु.) मियादी देयता में हुई। जमा देयता में उस वर्ष वृद्धि पिछले वर्ष में हुई वृद्धि (१३६ करोड़ रु.) से दोगुनी से अधिक थी। परन्तु, यह बताना आवश्यक है कि वर्ष मे मियादी देयता में एकदम वृद्धि का एक भाग विशेष लाइसैन्स (P.L. 480) के अन्तर्गत सयुक्त राष्ट्र, अमेरिका (U.S.A) से माल के आयात से सबधित प्रतिरूप निधियो (Counter-part Funds) के कारण हुआ। वर्ष में, चालू साख (Credit Outstanding) में केवल ७० करोड रु. की वृद्धि हुई, तथा इसके परिणाम स्वरूप बैंक अपने सरकारी ऋणपत्रो में ९३ करोड़ रु. की वृद्धि कर सके, रिज़र्व बैंक से लिये अपने पिछले ऋणो में से ४४ करोड रु. का भुगतान कर सके (जिनमे से ३४ करोड़ रु. बिल बाज़ार योजना के अन्तर्गत थे) तथा अपनी नकद प्रारक्षणो मे २१ करोड रु.की वृद्धि कर सके। वर्ष में दूसरे परिवर्तन परिसपत्ति पार्श्व मे अविलम्ब तथा अल्प-सूचना पर प्राप्त होनेवाली राशि मे ३१ करोड़ रु. की बडे परिमाण में वृद्धि तथा देयता पार्श्व में अन्तर-बैंक ऋणो में २१ करोड रु. की वृद्धि थी। वर्ष में अग्रिम-जमा अनुपात ७५.२ प्रतिशत से कम होकर ६५.५ प्रतिशत हो गया, यह तुलनात्मक दृष्टि से अनुसूचित बैंकों की अच्छी स्थिति का द्योतक है। किन्तु नकद अनुपात (Cash Ratio) ८.७ प्रतिशत से कम होकर ८.४ प्रतिशत हो गया, जब कि निवेश-जमा अनुपात २९.० प्रतिशत से बढ कर २९.८ प्रतिशत हो गया।

रिज़र्व बैंक का आय-व्यय

यहा रिज़र्व बैंक की अर्जित आय तथा लाभ की प्रवृत्तियो का सक्षेप में जिक्र करना उचित होगा। बैंक की आय रुपये तथा स्टर्लिंग के ऋणपत्रो पर तथा बैंको

को दिये अग्रिमो इत्यादि पर ब्याज, स्टर्लिंग तथा रुपये राज्य कोष पत्रों तथा आतरिक बिलो पर अर्जित बट्टे, विनिमय शीर्षक के अन्तर्गत बैंको को स्टर्लिंग की बिक्री, तथा प्रेषणा की सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत सरकार के लिये स्टर्लिंग के स्थानातरण तथा ड्राफ्टो के जारी करने, तार द्वारा स्थानान्तरण इत्यादि से प्राप्ति, तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के सार्वजनिक ऋण के प्रबन्ध करने तथा सरकार तथा दूसरो के लिये ऋणपत्रों के क्रय विक्रय से अर्जित कमीशन, से होती है। युद्ध के बाद से बैंक की आय, परिनियत तथा अन्य नियोजन करने के पश्चात, लेखा वर्ष १९४०-४१ में ३ ८२ करोड रु से बढ कर १९५६-५७ में ३६ २१ करोड रुपये हो गई। उसी अवधि में बैंक का व्यय, जिसमे प्रशासन के खर्चे तथा अनेक देयता तथा सभावनाओ के लिये किये गये प्रबन्ध शामिल है, १ ०३ करोड रु से बढ कर ६ २० करोड रु. हो गया। राष्ट्रीयकरण से पूर्व निबल लाभ में से ३ १।२ प्रतिशत प्रति वर्ष लाभाश (१९४२-४३ से ४ प्रतिशत) शेयर होल्डरो को दिया जा रहा था तथा शेष लाभ एक्ट की धारा ४७ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को हस्तानरित कर दिया जाना था, परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद से कुल लाभ सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। सरकार को हस्तान्तरित किये निबल लाभ की रकम १९४०-४१ में २ ६२ करोड रु. से बढ कर १९५६-५७ में ३० ० करोड रु हो गई।

बैंक के प्रकाशन

बैंक अनेक नियतकालिक (Periodical) प्रकाशन निकालता है जिनमे बैंक की क्रियाओ तथा बैंकिंग तथा वैत्तिक क्षेत्रों में प्रवृत्तियो तथा घटनाओ (Developments) से सबधित सविस्तार साख्यिकीय सूचना तथा व्यापक लेखा रहता है। ये प्रकाशन देश मे आर्थिक एव वैत्तिक घटनाओ तथा बैंक के कार्यों के महत्व को समझाने तथा उसे निर्धारित करने का प्रयत्न करते है, तथा सार्वजनिक इस्तेमाल के लिये अधिक मात्रा में तथ्यो को दर्शानेवाले (Factual) आकडों को उपलब्ध करते है। बैंक के नियमित प्रकाशनो में (१) प्रतिमाह जारी होनेवाला रिजर्व बैंक आफ इडिया का पत्र (Bulletin) तथा उसका साप्ताहिक साख्यिकीय परिशिष्ट, (२) बैंक द्वारा निर्गमित अनेक वार्षिक रिपोर्टें, जैसे सचालकों के केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, मुद्रा एव वित्त पर रिपोर्ट, भारतीय बैंकिंग मे प्रवृत्तिया तथा प्रगति, तथा भारत मे सहकारी आन्दोलन का निरूपण तथा (३) विभिन्न साख्यिकीय सग्रह, जैसे भारत में बैंको मे सबधित साख्यिकीय सारिणी तथा भारत मे सहकारी आन्दोलन से सबधित साख्यिकीय आवेदन, शामिल है। बैंक ने समय-समय पर विशेष प्रकाशन भी निकाले है। इनमे (१) विशेष समस्याओ को सुलझाने के लिये बैंक के अन्तर्गत स्थापित की गई तदर्थ (*Ad hoc*) विशेषज्ञ समितियों जैसे अखिल भारतीय कृषि साख आपरीक्षण की निर्देशन समिति, तथा वैयक्तिक क्षेत्र के लिये वित्त पर समिति (२) कृषि साख, सहकारिता तथा अदायगी शेष से सबधित अनेक समस्याओ में

अनुसंधानो को प्रकाशित करनेवाले अनेक लेख (Monographs) (३) भारत के बैंकिंग तथा मौद्रिक सांख्यिकी पुस्तक का सग्रह, शामिल है। प्रमुख प्रकाशनो मे दिये विषयो का सक्षिप्त साराश नीचे दिया जाता है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया का पत्र (Reserve Bank of India Bulletin) देश में चालू आर्थिक प्रवृत्तियो की प्रतिकृति (Pattern) को चित्रित करने के उद्देश्य से सक्षेप मे साख्यिकीय तथा अन्य सूचना देता है। उसमे बैंक द्वारा तथा विशेषतः अनुसंधान एव साख्यिकी विभाग द्वारा किये गये विभिन्न अध्ययनों तथा अनुसधानो के परिणाम भी दिये होते हैं। उसके सूची पत्र मे आर्थिक एव वैत्तिक स्थितियो का मासिक निरूपण, चालू आर्थिक समस्याओ पर लेख, भारत तथा विदेशो को वर्तमान घटनाओ पर टिप्पणिया, तथा वित्त एव बैंकिंग से सबधित विधान, शामिल रहते हैं। इस पत्र मे एक साख्यिकीय खड भी होता है जिसमे चालू मौद्रिक तथा आर्थिक साख्यिकी होते है। इनमे से कुछ साख्यिकी जो साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध है, पत्र के साप्ताहिक साख्यिकी परिशिष्ट में भी प्रकाशित होते हैं।

संचालकों के केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट (Report of the Central Board of Directors) मुख्यत. जून को समाप्त होनेवाले वर्ष में बैंक की क्रियाओ तथा नीतियो का निरूपण करती है तथा रिजर्व बैंक आफ इडिया एक्ट की धारा ५३(२) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को पेश की जाती है। उसमे देश की सामान्य आर्थिक तथा वैत्तिक स्थितियो पर सक्षिप्त पर्यालोचना भी होती है।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (Report on Currency and Finance) रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व मुद्रा के नियत्रण-कर्ता द्वारा प्रकाशित मुद्रा रिपोर्टों का कुछ विस्तृत रूप मे निरन्तर भाव (Continuation) है। यह रिपोर्ट अधिक मात्रा में साख्यिकीय सूचना के साथ, विदेशो मे आर्थिक घटनाओ की पृष्ठ भूमि मे, विशेषत· उत्पादन, कीमतो, द्रव्य प्रदाय, बैंकिंग पूजी तथा सोने-चादी के बाजारो, राज-वित्त (Public Finance) तथा अदायगी शेष के सदर्भ में, मार्च को समाप्त होनेवाले वर्ष की, जिससे कि वह सबधित है, भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विस्तृत निरूपण करती है।

भारतीय बैंकिग की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर रिपोर्ट (Trend and Progress of Banking in India) जो बैंकिंग कपनीज़ एक्ट की धारा ३६ (२) के अनुसार जारी की जाती है, केलेन्डर वर्ष मे बैंकिंग की प्रगति तथा बैंकिंग की नीति के क्षेत्र मे बड़ी घटनाओ का निरूपण करती है तथा उसमे देश की बैंकिग प्रणाली को मजबूत करने के सुझाव भी रहते हैं।

भारत में सहकारी आन्दोलन का निरूपण (Review of the Co-operative Movement in India) जो दो वर्ष मे एक बार प्रकाशित

होता है, भारत मे सहकारी आन्दोलन की प्रगति तथा समस्याओ का सविस्तार ब्यौरा प्रस्तुत करता है तथा उसमें अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सहकारी साख के ढाँचे, सहकारी विपणन, उपभोक्ताओं की सहकारी संस्थाओं, सहकारी भवन निर्माण तथा सहकारी क्रियाओं के अन्य पहलुओ पर अलग अलग परिच्छेद होते हैं।

भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारिणियाँ (Statistical Tables relating to Banks in India) में भारत में कार्य कर रहे भारतीय तथा विदेशी बैंको के कार्यों पर विस्तृत आकडे दिये होते हैं। इस प्रकाशन में दी हुई एक परिचयात्मक सूचना बाद मे दी हुई साख्यिकीय सारिणियो को सक्षेप में समझाती है। सारिणिया दो वर्गों में विभाजित होती है – सक्षेप तथा सामान्य, पहिले वर्ग में मुख्यतः विभिन्न वर्गों के बैंकों के स्थिति विवरणो की सपिन्डित स्थिति दी हुई होती है तथा दूसरे वर्ग में अलग अलग बैंको के स्थिति विवरणो की विशिष्ट बातें होती हैं। इस प्रकाशन में परिशिष्ट भी होते हैं जिनमें भारत संघ के नगरो में कार्य कर रहे बैंको के नाम तथा विदेशो में भारतीय बैंको की स्थिति दी होती है।

भारत में सहकारी आन्दोलन के बारे में सांख्यिकीय सारिणियां (Statistical Tables relating to the Co-operative Movement in India) प्रस्तावना से आरम्भ होती है जिसमें सबधित वर्ष मे सहकारी आन्दोलन की घटनाओ का संक्षिप्त निरूपण होता है। साख्यिकीय आवेदन तीन भागों में विभाजित होते हैं। सामान्य आवेदनो में भारत सघ के सभी सघटक राज्यो में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओ के सविस्तार साख्यिकी दिये होते है। साराश (Abstract) सारिणिया सामान्य आवेदनो में दिये हुए महत्वपूर्ण आकडो को सक्षेप में एक साथ प्रस्तुत करती है। परिशिष्टो में कुछ वर्षों के तुलनात्मक अक दिये होते हैं।

भारत के बैंकिंग तथा मौद्रिक सांख्यिकी (Banking and Monetary Statistics of India) जिनका प्रकाशन १९५४ में हुआ, भारत से सबधित महत्वपूर्ण बैंकिंग, मौद्रिक तथा वैत्तिक साख्यिकी को, जिस समय से वे उपलब्ध है तब से १९५२ तक, एक पुस्तक में एक साथ रखने का प्रयास रूप है। इस पुस्तक में १२ खड है जिनमें रिज़र्व बैंक, वाणिज्य बैंको, सहकारी समितियों, चेको के समाशोधन, मुद्रा दर तथा ऋणपत्र बाजार, लघु बचत, राज-वित्त तथा लोक ऋण, मुद्रा एव सिक्को, प्रेषणा, सोने-चांदी की आयात निर्यात तथा बीमा कपनियो के बारे में सविस्तार साख्यिकी दी हुई है। प्रस्तावनाओं में आकडो का क्षेत्र तथा सीमायें समझाई गई हैं तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि भी दी हुई है।

(१२)

निष्कर्ष

रिज़र्व बैंक को स्थापित हुए लगभग २५ वर्ष हो गये। एक केन्द्रीय बैंक के लिये यह लम्बी अवधि नहीं है। रिज़र्व बैंक के लिये ये वर्ष घटनापूर्ण रहे हैं। स्थापना के पश्चात् पहिले चार वर्षों में बैंक मुख्यतः संगठन की समस्याओं में तथा नोट प्रचालन अधिकारी तथा सरकार के बैंकर के रूप में अपने प्रकार्यों के संपिडन में संलग्न रहा। उसके बाद के सात वर्षों में, विश्व-व्यापी युद्ध के झटकों तथा संविधान की सीमाओं का, जो देश की पूर्ण वैत्तिक स्वतंत्रता में बाधक थी, बैंक के सामान्य उद्‌भव (Evolution) पर बहुत प्रभाव पड़ा। युद्ध के वित्त प्रबन्धन की अनेक समस्यायें, अनेक सरकारी ऋणों को सफलतापूर्वक जारी करना, स्टर्लिंग, ऋण का भुगतान तथा विनिमय नियन्त्रण का आयोजन तथा प्रबन्ध—इन सब ने बैंक का ध्यान इतना उलझाये रखा कि बैंक के एक भूतपूर्व गवर्नर के शब्दों में 'एक केन्द्रीय बैंक के अधिक सामान्य प्रकार्यों के पालन के लिये कलाविन्यास को परिपूर्ण करने का बहुत कम अवसर मिल सका'।*

शान्ति कालीन अर्थ-व्यवस्था में पुनः लौटने के लिये राज्यों द्वारा संचित प्रारक्षणों में से सरकारी ऋणपत्रों को बेचकर राज्यों के विकासनात्मक व्यय का अर्थ-प्रबन्ध करना आवश्यक हो गया। युद्ध की समाप्ति से केवल दो वर्ष बाद ही देश के विभाजन से नई समस्यायें खड़ी हो गईं जैसे विस्थापितों का पुनर्निवास तथा देश के कुछ भागों में, जहां विभाजन के कारण बहुत दंगे हुए, बैंकिंग में गंभीर संकट। उसके एक वर्ष बाद ही, यह कहा जा सकता है कि, बैंक ने ठोस तथा पर्याप्त बैंकिंग तथा साख ढांचे का, जिसका प्रारम्भ उसने अपनी स्थापना के तुरन्त बाद कर दिया था तथा जिसमें युद्ध होने के कारण विघ्न पड़ा, फिर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इन वर्षों में बैंक ने व्यापारी बैंकिंग क्षेत्र के पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण की प्रणाली उन्नत की है तथा बैंकिंग की आदत तथा बैंकिंग ढांचे के विकास के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थानात्मक साख की बढ़ोतरी के लिये उसने सार्थक योग दिया है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भी बैंक का योग लगातार बढ़ रहा है।

बैंक की इन क्रियाओं ने देश के लिये उपयुक्त बैंकिंग भवन की मजबूत नींव रखने में योग दिया है। इस नींव की शक्ति की परीक्षा आनेवाले वर्षों में होगी जब

---

* अगस्त १९४८ में रिज़र्व बैंक के शेयर होल्डरों की चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा में श्री सी. डी. देशमुख के भाषण से।

बैंक को देश की आर्थिक प्रगति मे महत्वपूर्ण योग देना होगा। बैंक के योग के लिये यह आवश्यक होगा कि वह प्रवर्तन तथा नियमन, दोनो रूप में हो, नियमन की आवश्यकता सार्थक मात्रा में घाटे के वित्त प्रबन्धन के सदर्भ में पडेगी, जो अब प्राय होनेवाली है। साधक साख नियमन के लिये रिजर्व बैंक की स्थिति अच्छी है क्योंकि उसके अन्तर्गत अनेक साधन है जैसे – गुण तथा मात्रा सम्बन्धी साख नियन्त्रण तथा बैंकिंग प्रणाली पर सीधे पर्यवेक्षण तथा नियत्रण के विस्तृत अधिकार। इस प्रकार बैंक ने अपेक्षत द्रुत आर्थिक विकास के युग मे अधिक स्थिरता बनाये रखने के कार्य मे योग देने का प्रयत्न किया है। यद्यपि द्रव्य पर आधारित अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र (Monetised Sector) मे विस्तार तथा बैंकिंग आदत की लगातार बढोतरी से, मुद्रा-नीति को कार्यान्वित करने के अधिक अवसर मिलते है, तथापि मुद्रा नियत्रण की सीमा मे विस्तार होने से उनके कारण बडी समस्याए भी खडी हो जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण बचत को काम में लगाने तथा ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रो की विनियोगीकरण की आवश्यकताओ की पूर्ति करने से सबधित बैंकिंग प्रणाली के कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे है। आनेवाले वर्षों में रिजर्व बैंक के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य, ऐसे बैंकिंग ढाँचे के निर्माण का, प्रवर्तन करना है जिसमें पर्याप्त अवसर तथा सीमा हो, तथा साथ ही जो गुणो मे सुधरा हुआ तथा मात्रा मे बढा हुआ हो, जिसमे विविध प्रकार की साख-आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये सस्थाओ के वित्त प्रबन्धन के विभिन्न (Diversified) रूप हो, तथा आजकल की अपेक्षा देश की ग्रामीण अन्तर्वर्ती भूमि (Hinterland) की सेवा करने मे भौगोलिक दृष्टि से अधिक विस्तृत हो।

GLOSSARY

Terms in English	*Equivalents in Hindi*
Advances	अग्रिम
Agents	एजेन्ट
Agreement	समझौता
Agricultural credit	कृषि साख
Agricultural Credit Department	कृषि साख विभाग
All-India Rural Credit Survey Committee	अखिल भारतीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण समिति
Amalgamation	समामेलन
Assets	परिसम्पत्ति
Authorised dealers	अधिकार प्राप्त व्यापारी
Balance sheet	तुलन-पत्र
Bank	बैंक
Bank rate	बैंक दर
Bankers Training College	बैंकर्स का प्रशिक्षण महाविद्यालय
Banking	बैंकिंग
Banking and Monetary Statistics of India	बैंकिंग तथा मुद्रा सम्बन्धी भारतीय सांख्यिकी
Banking Department	बैंकिंग विभाग
Bill Market Scheme	बिल बाजार योजना
Bills of exchange	विनिमय बिल
Board of Directors	संचालक बोर्ड
Central	केन्द्रीय
Local	स्थानीय
Branches/offices	शाखायें/कार्यालय
Call money	अविलम्ब राशि
Call money market	अविलम्ब-राशि बाजार
Capital	पूंजी

Terms in English	*Equivalents in Hindi*
Capital Market	पूजी बाज़ार
Cash	नकद
Cash reserves	नकद प्रारक्षण
Central Board of Directors	केन्द्रीय सचालक बोर्ड
Central Debt Section	केन्द्रीय ऋण अनुभाग
Central Government	केन्द्रीय सरकार
Central land mortgage banks	केन्द्रीय भूमि बधक बैंक
Central Office	केन्द्रीय कार्यालय
Chief Accountant	मुख्य लेखा-अधिकारी
Chief Accountant's Office	मुख्य लेखा-अधिकारी का कार्यालय
Circles of issue (of notes)	नोटो के प्रचालन के क्षेत्र
Clearing House	समाशोधन-गृह
Consolidated position of scheduled banks	अनुसूचित बैंको की सपिंडित स्थिति
Co-operation	सहकारिता
Co-operative banks	सहकारी बैंक
Co-operative movement	सहकारी आन्दोलन
Co-operative societies	सहकारी समितियाँ
Cottage and small-scale industries	कुटीर एव लघु उद्योग
Credit	साख
Credit control	साख नियत्रण
Credit policy	साख नीति
Currency	मुद्रा
Currency chests	नकदी तिजोरियाँ
Debentures	डिबेंचर
Department	विभाग
Deposits	जमा
Fixed (Time)	सावधि
Current (Demand)	माँग
Deputy Governor	उप-गवर्नर
Directives to banks	बैंको को निर्देश
Discount	बट्टा
Discount market	बट्टा बाज़ार
Discount rate	बट्टे की दर

Terms in English	*Equivalents in Hindi*
Economy	अर्थ-व्यवस्था
Exchange Control Department	विनिमय नियत्रण विभाग
Finance	वित्त
Foreign banks	विदेशी बैंक
Foreign exchange	विदेशी विनिमय
Foreign trade	विदेशी व्यापार
Functions	कार्य
General credit control	सामान्य साख नियंत्रण
Gold coin and bullion	स्वर्ण मुद्रा एव स्वर्ण
Government	सरकार
Governor	गवर्नर
High Commission of India	भारत का उच्च आयोग
Hyderabad State Bank	हैदराबाद स्टेट बैंक
Imperial Bank of India	इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया
Income and expenditure	आय और व्यय
Indigenous bankers	देशी बैंक
Industrial Credit and Investment Corporation of India	भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम
Industrial finance	औद्योगिक वित्त
Industrial Finance Corporation	औद्योगिक वित्त निगम
Industrial Finance Department	औद्योगिक वित्त विभाग
Informal Conference on Rural Finance	ग्रामीण वित्त पर अनौपचारिक सम्मेलन
Inspection	निरीक्षण
Instruments of credit control	साख नियत्रण के साधन

Terms in English	*Equivalents in Hindi*
Interest rates	ब्याज दर
Internal organisation	आंतरिक संगठन
International Bank for Reconstruction and Development	पुनर्निर्माण एवं विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक
International Monetary Fund	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि
Issue Department	प्रचालन-विभाग
Investments	निवेश
Land mortgage banks	भूमिबंधक बैंक
Liabilities	देयता
Licensing	लाइसेन्स देना
Liquidation	परिसमापन
Loan floatations	नये ऋण को जारी करना
Loans	ऋण
Long-term	दीर्घकालीन
Short-term	अल्पकालीन
Local Boards	स्थानीय बोर्ड
Monetary and credit policies	मुद्रा एवं साख नीतियाँ
Money market	द्रव्य बाजार
Moneylenders	साहूकार
Money supply	द्रव्य संभरण
Moral suasion	नैतिक प्रभाव
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घ कालीन क्रियायें) निधि
(Stabilisation) Fund	(स्थायीकरण) निधि
Non-scheduled banks	अन-अनुसूचित बैंक
Note issue	नोट प्रचालन
Notes in circulation	संचलन में नोट
Open market operations	खुले बाजार की क्रियाएँ

Terms in English	*Equivalents in Hindi*
Paid-up capital	चुकती पूंजी
Press Communique	प्रेस विज्ञप्ति
Primary Credit Society	प्रारम्भिक साख समिति
Promissory notes	रुक्के
Public Accounts	लोक-खाता
Public Accounts Department	लोक-खाता विभाग
Public debt	लोक-ऋण
Public Debt Offices	लोक-ऋण कार्यालय
Publications	प्रकाशन
Rediscount	पुनर्भंजन
Refinance Corporation for Industry	उद्योगों के लिए पुन वित्त प्रबध का निगम
Remittance facilities	प्रेषण की सुविधायें
Report of the Central Board of Directors	केन्द्रीय सचालक बोर्ड की रिपोर्ट
Report on Currency and Finance	मुद्रा एव वित्त पर रिपोर्ट
Research	अनुसन्धान
Reserve Bank of India	रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया
Reserve fund	प्रारक्षित निधि
Reserve requirements	प्रारक्षण आवश्यकताएँ
Review of the Co-operative Movement in India	भारत मे सहकारी आन्दोलन का निरूपण
Rupee Coin (Notes)	रुपये के सिक्के (नोट)
Rural Banking Enquiry Committee	ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति
Rural credit policies	ग्रामीण साख-नीतियाँ
Rural credit	ग्रामीण साख
Scheduled banks	अनुसूचित बैंक
Seasons	ऋतु
Busy	व्यस्त
Slack	मंदी

Terms in English	*Equivalents in Hindi*
Seasonal variations	ऋतुकालीन उतार-चढाव
Second Schedule to the Reserve Bank of India Act	रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की द्वितीय सूची
Secretary's Office	सचिव का कार्यालय
Securities	ऋण पत्र
Selective and direct credit regulation	विवेचनात्मक एव प्रत्यक्ष साख नियमन
Small coin depots	छोटे सिक्को के गोदाम
Standing Advisory Committee on Agricultural Credit	कृषि साख के लिए स्थायी सलाहकार समिति
State Bank of India	स्टेट बैंक आफ इन्डिया
State co-operative banks	राज्य सहकारी बैंक
State Financial Corporations	राज्य वैत्तिक निगम
State Government	राज्य सरकार
Statistics	साख्यिकी
Statistical Statements relating to the Co-operative Movement in India	भारत में सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धी साख्यिकीय सारिणियाँ
Statistical Tables relating to Banks in India	भारत में बैंको से सबधित साख्यिकीय सारिणियां
Sterling	स्टलिंग
Supervision	पर्यवेक्षण
Training	प्रशिक्षण
Treasuries and sub-treasuries	राज्य-कोप तथा उप राज्य-कोप
Treasury bills	राज्य-कोप पत्र
Usance bills	सावधि बिल
Warehousing facilities	भडागार की सुविधायें
Ways and means advances	अर्थोपाय अग्रिम
Weekly statements	साप्ताहिक आवेदन

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या

अनुक्रमणिका

पृष्ठ सख्या

पृष्ठ संख्या